Monday, 29 August, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation 13-5-94
Fumigated On 29-11-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० से १६५६ और १६५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १६६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३६–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–६०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२६१–६२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र ३५२१,३५२२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३५२१–२२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भूकम्प ३५२२–२३

विधेयक—पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० . ३५२३–२४

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . . ३५२४

औषधि (संशोधन) विधेयक . . . ३५२४–३०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५२४,३५२५–२९

खण्ड २ से ११ तथा १ . . . ३५२९–३०

पारित करने का प्रस्ताव . ३५३०

सभा का कार्य . . . ३५२४

सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक ३५३०–३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३०–३१

खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ . ३५३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३१

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ३५३२–५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३२–४९

खण्ड २ से १० तथा १ . . . . . ३५४९–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५५२–५३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक ३५५३–५६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५५३–५६

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३५५७–६३

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां,, . . ३५६३

दैनिक संक्षेपिका ३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २६ अगस्त, १९६०
७ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

निर्माण कार्यों में मितव्ययिता

+

†*८२४ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयोजन आयोग ने संघ और राज्य सरकारों की निर्माण संबंधी योजनाओं का मूल्यांकन करने और कम खर्ची के उपायों के सुझाव देने के लिये श्री स० का० पाटिल के नेतृत्व में एक दल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में कमखर्ची के कौन कौन से मुख्य उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) जी हां । आयोजन की परियोजनाओं संबंधी समिति ने श्री स० का० पाटिल के नेतृत्व में भवन निर्माण परियोजना दल स्थापित किया है ।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८**] ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1058(Ai) LSD—1.

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : विवरण से यह पता लगता है कि मद संख्या (१) के अनुसार नये ढांचे के लिये आपत्ति इतनी ही थी कि शेस स्ट्रक्चर का नक्शा बनाने के लिये पर्याप्त जानकार लोग नहीं थे। इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त जानकार लोग प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह प्रशिक्षण का विषय है और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिये और इसके लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, भोपाल के बारे में विवरण के मद (५) में दिया गया सुझाव क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह ठीक नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या मंजूर किया है लेकिन वे इस सुझाव पर यथासंभव अधिक ध्यान दे रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या इस समिति में कोई विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं क्योंकि देश की यह धारणा है कि इन कई मंजिलों वाली इमारतों पर बहुत अधिक खर्च हो रहा है। दल ने जो सुझाव दिये हैं उनसे यह बात मालूम होती है कि बहुत थोड़ी किफायत की जा सकती है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : बिना किसी औचित्य के कई विषयों पर कई धारणायें हैं। इस विषय में मैंने कोई धारणा नहीं सुनी है। इस मामले में कुछ विकल्पों का सुझाव दिया गया है जिन्हें स्वीकार किया जा रहा है और लागू किया जा रहा है। यह बात नहीं है कि इन इमारतों पर असाधारण खर्च हो रहा है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि इस इस्पात की जगह वह इस्पात या कम इस्पात काम में लाया जाये। उस पर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि जापान के दौरे से वापस लौटने के बाद हमारे राष्ट्रपति ने विभिन्न मंत्रालयों को इन विलासितापूर्ण इमारतों के बारे में पत्र लिखे थे और कुछ कम खर्ची के उपाय सुझाये थे और यदि हां तो क्या उन सुझावों पर विचार किया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : राष्ट्रपति के प्रत्येक सुझाव पर सरकार बड़े सम्मान के साथ विचार करती है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कुछ समय पहले हमने सरकारी निश्चय के समाचार देखे कि तथाकथित प्रतिष्ठा सूचक इमारतें अब नहीं बनायी जायेंगी। क्या इस्पात की कमी के कारण जो बहुत अधिक निर्माण कार्य के कारण हुई, वह निश्चय बदल दिया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम प्रतिष्ठा-सूचक इमारतें बनाने में विश्वास नहीं करते किन्तु जहां जमीन की कीमतें बहुत ऊंची हैं वहां यह जरूरी है कि लम्बी इमारतों की बजाय ऊंची इमारतें बनायी जायें। यह नितान्त आवश्यकता है और इसलिये प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।

†**श्री मती इला पाल चौधरी** : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि गन्दी बस्तियां हटाने के संबंध मे अशोक सेन समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली गयी है। जिन शहरों में गन्दी बस्तियां हटाने का काम शुरू करने का विचार है क्या उनमें से किसी शहर में गन्दी बस्ती हटाने का काम शुरू किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : रिपोर्ट मंजूर करना यह पहला कदम है और यह हो चुका है। दूसरे कदम और आगे उठाये जायेंगे और उस संबंध में, संबधित नगरपालिकायें और अन्य निकाय कार्यवाही करेंगे ।

जम्मू और काश्मीर में खनन और खनिज पदार्थ निगम

†*८२५. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खनन और खनिज पदार्थ निगम स्थापित करने के संबंध में जम्मू और काश्मीर राज्य द्वारा भेजी गयी प्रस्थापनाओं पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद हिन्हा)** : जम्मू और काश्मीर राज्य के खनिज स्रोतों से खनिज धातु निकालने के लिये जम्मू और काश्मीर खनन और खनिज पदार्थ निगम (प्राइवेट) लिमिटेड नामक एक निगम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव जम्मू और काश्मीर सरकार ने इस बीच मजूर कर लिया है। निगम की स्थापना हो चुकी है और वह मई, १९६० से काम कर रहा है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब से इस कारपोरेशन का कयाम अमल में लाया गया है, तब से कारपोरेशन ने क्या क्या काम किया है, और कहां कहां रिसर्च की है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जैसा कि मैंने बताया, यह कारपोरेशन मई सन् १९६० में शुरू किया गया है, और यह बिल्कुल काश्मीर गवर्नमेंट का कारपोरेशन है, और इसमें अभी छान बीन का काम किया जा रहा है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं यह जानना चाहता हूं कि रियासत के किन इलाकों में छान बीन का काम किया जा रहा है, और उस छान बीन के मामले में हुकूमत हिन्द क्या मदद दे रही है ?

†**श्री गजेजन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी कोइला, लिगनाइट और लाइम स्टोन के सम्बन्ध में छानबीन हो रही है क्योंकि यह कारपोरेशन इन सब खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए बनाया गया है। रियासत काश्मीर और दूसरे प्रान्तों के अनेक हिस्सों में जिआलाजीकल सर्वे आफ इंडिया से भी छान बीन की जा रही है और जो मदद जरूरी है वह प्रान्तों को दी जा रही है ।

†**श्री आसार हरवानी**: क्या भारत सरकार ने इस निगम को कोई वित्तीय सहायता दी है; यदि हां, तो कितनी धनराशि ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह विशुद्ध राज्य संचालित निगम है । भारत सरकार ने अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

+

†*८२६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इक बाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री ११ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ दिन पहले इस बात पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाओं को कहां तक अपनाया जा सकता है, जो कार्यकारी दल नियुक्त किया था उसने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) उस कार्यकारी दल का काम कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) कार्यकारी दल ने विचार विमर्श पूरा कर लिया है और उसका प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : किन किन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के माध्यम के तौर पर भारतीय भाषाओं को अपनाया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कई विश्वविद्यालय हैं किन्तु वह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता । उत्तर प्रदेश के अधिकतर और बिहार तथा गुजरात के कुछ विश्वविद्यालयों ने कुछ विषयों में प्रादेशिक भाषायें प्रारम्भ कर दी हैं । यदि माननीय सदस्य विस्तृत जानकारी चाहते हों तो वे एक अलग प्रश्न पूछें और में बड़ी प्रसन्नता से वह जानकारी दूंगा ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को यह समझाया है कि अंग्रेजी का स्थान लेने के लिये जब तक कोई अखिल भारतीय भाषा तैयार नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी को दुरयम स्थान पर रखना राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं । सरकार की सामान्य नीति यह है कि प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये और इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यकारी दल स्थापित किया था और उस दल को एक कार्यक्रम तैयार करने के लिये कहा था । इस विषय में हमारी सामान्य नीति यह है कि पर्याप्त तैयारी के बाद यथासंभव शीघ्र प्रादेशिक भाषायें अपना ली जायें । एक अनिश्चित काल तक, जब तक कि अखिल भारतीय भाषा तैयार नहीं हो जाती, तब तक प्रतीक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार अंग्रेजी या हिन्दी भाषा को शिक्षा का माध्यम रख कर कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ओस्मानिया विश्वविद्यालय को लेने का प्रस्ताव किसी समय था और यह सुझाव दिया गया था कि शायद हिन्दी शिक्षा का माध्यम हो जाये किन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र सरकार से प्रस्ताव मे सहमत नहीं हुई और इसलिए वह रद्द कर दिया गया। अभी सरकार के सामने कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार को मालूम है कि जिन विश्वविद्यालयों ने प्रादेशिक भाषायें अपना ली हैं उन्हें पाठ्य पुस्तकें न होने के कारण कितनी कठिनाई हो रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसीलिये एक कार्यक्रम तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था। जब रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी तो मैं उसे पुस्तकालय में रख दूंगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि गवर्नमेंट की इस सम्बन्ध में यह नीति होते हुए भी कि प्रान्तीय भाषाओं को माध्यम का स्थान मिले, विश्वविद्यालयों में इसमें देर हो रही है, और इस कारण काफी असन्तोष भी हुआ है, यहां तक कि गुजरात विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने इसी प्रश्न पर अभी अपना त्यागपत्र दिया है ? और क्या यह बात सही नहीं है कि जब तक सरकारी नौकरियों के लिये हिन्दी वैकल्पिक रूप से एक भाषा नहीं मानी जाएगी, तब तक विश्वविद्यालयों को देशी भाषाओं को माध्यम बनाना बहुत कठिन है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, वह बड़ा विस्तृत है। इस प्रश्न का सम्बन्ध तो वर्किंग ग्रुप से है। माननीय सदस्य के विस्तृत प्रश्न के उत्तर में यदि एक विस्तृत वक्तव्य दिया जाये, तभी उनको सन्तोष होगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य से यह विदित हुआ है कि इस सम्बन्ध में सरकार लगभग सहमत है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषायें हों। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य तैयार कराने की दिशा में कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसी के लिये वर्किंग ग्रुप बिठाया गया और एक प्लान आफ एक्शन बनाया जा रहा है। जब उसकी रिपोर्ट आ जायेगी, तो मैं उसकी एक प्रति लाइब्रेरी में रख दूंगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या कार्यकारी दल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस प्रस्ताव के बारे में बताया है और यदि हां तो उस पर विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

†**अध्यक्ष महोदय** : रिपोर्ट यहां होगी और वह बतायेगी कि क्या प्रतिक्रिया है।

†**श्री हेम बरुआ** : विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषायें अपनाने के लिये नियुक्त किये गये इस कार्यकारी दल के उद्देश्य और प्रयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति के, जिसने कुछ समय के लिये अंग्रेजी कायम रखने की सिफारिश की है, उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नहीं, उनमें कोई प्रतिकूलता नहीं है। आयोग ने पहले जो समिति नियुक्त की थी उसका भी यही विचार था कि कुछ समय में प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो जाएंगी। समिति ने उस समय यही निश्चय किया था कि बिना पर्याप्त तैयारी

---

†मूल अंग्रेजी में

के माध्यम में परिवर्तन नहीं होना चाहिये। कार्यकारी दल एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है ताकि पर्याप्त तैयारी कर ली जाये और तब स्तरों में किसी प्रकार की गिरावट की गुंजाइश न रखते हुए विश्वविद्यालय प्रादेशिक भाषाएं अपना सकते हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : प्रश्न इस विषय में है कि कार्यकारी दल इस पर विचार कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम कहां तक बनाया जा सकता है। क्या सरकार और कार्यकारी दल तात्कालिक समय-सीमा निर्धारित करने के, जिसके अन्दर हम अपनी भाषाओं में शिक्षा का माध्यम बना देंगे, प्रश्न पर छानबीन कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।

†**श्री त्यागी** : जब विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम हो जायेंगी और विभिन्न राज्य उन्हें अपनी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तब विभिन्न राज्यों में सम्पर्क के लिये समान भाषा कौन सी होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हिन्दी को राजकीय भाषा मान लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि राज्यों के बीच वही समान माध्यम होगी।

†**श्री त्यागी** : क्या हिन्दी प्रत्येक विश्वविद्यालय में अवश्य रूप से सिखायी जाएगी या वह केवल एक आशा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को मालूम है कि सरकार ने तीन भाषा वाला सूत्र स्वीकार कर लिया है और उस सूत्र के अनुसार हायर सकेन्डरी स्कूल से निकलने वाले लड़के और लड़की को हिन्दी भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात के लिये कोई एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है कि सब विषयों के ग्रन्थ हर भाषा में तैयार करने की कोशिश की जाये और यह कब तक आशा की जा सकती है कि विश्वविद्यालयों के माध्यम के ये साहित्य सरकार तैयार करा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वर्किंग ग्रुप का यही मकसद है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। जब यह रिपोर्ट आयेगी, तो उसकी एक प्रति लाइब्रेरी में रख दी जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या साइंटिफिक टर्म्ज़ और पोलीटिकल साइंस की टर्म्ज़ में कोई एकरूपता लाने का प्रयत्न हो रहा है, ताकि सब क्षेत्रीय भाषाओं में एक ही शब्द का प्रयोग हो।

डा० का० ला० श्रीमाली : साइंटिफिक टर्म्ज़ का अनुवाद किया जा रहा है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि कई विषयों के साइंटिफिक टर्म्ज़ हिन्दी में निर्माण कर दिये गए हैं और जैसा कि लैंग्वेज कमीशन और पार्लियामेंट की कमेटी ने सिफारिश की थी, गवर्नमेंट की यह भी तजवीज़ है कि इस बारे में कमीशन कायम किया जाये और उस कमीशन को कायम करने के लिए कोशिश की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों और साहित्य के परस्पर आदान प्रदान की कठिनाई किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि हमारे अधिकतर प्राध्यापक एक से अधिक भाषाएं जानेंगे। वे न केवल अपनी प्रादेशिक भाषा ही समझेंगे बल्कि उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी का भी पर्याप्त ज्ञान होगा। इसलिये प्राध्यापकों और छात्रों के आदान प्रदान में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

†**श्री आचार :** यदि विश्वविद्यालय प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम मान लेते हैं तो क्या इसका अर्थ यह न होगा कि एक प्रदेश का छात्र दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालय में कभी नहीं जा सकता और वहां नहीं पढ़ सकता ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने इस प्रश्न का अभी उत्तर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन सभी को हिन्दी सीखनी पड़ेगी।

†**श्री नाथपाई :** यह एक छोटी सी बात है। किन्तु अनेक माननीय सदस्यों ने राज्य-भाषा को कहा है "क्षेत्रीय भाषा"। उन भाषाओं को राज्य भाषा या प्रान्तीय भाषा कहना चाहिये। उन को क्षेत्रीय भाषा कहना अपमानास्पद है। क्षेत्रीय भाषा का अर्थ है लोकल लैंग्वेज। वे राज्य भाषाएं हैं। मेरी दरख्वास्त है कि फिर कभी जब इनका जिक्र किया जाये, तो इन को क्षेत्रीय भाषा नहीं, राज्य भाषा कहा जाये।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरे माननीय मित्र समझ नहीं पाये हैं। क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्र-भाषा में फर्क है।

श्री नाथपाई : मैं सब समझता हूं। यह संस्कृत का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी माननीय सदस्य की मातृभाषा नहीं है।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, यह संस्कृत का सवाल है, हिन्दी का नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि जब मेरी भाषा का यहां पर जिक्र होता है, तो उसको क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। मैंने उस को राष्ट्र-भाषा नहीं कहा है। वह क्षेत्रीय भाषा नहीं है। वह तो एक राज्य की भाषा है, एक प्रान्त की भाषा है। क्षेत्रीय भाषा का अर्थ यह है कि वह एक लोकल लैंग्वेज है। मैं यह नहीं मानता। मराठी को क्षेत्रीय भाषा नहीं कहा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ हो सकता है।

†**श्री नाथ पाई :** यदि माननीय सदस्य का संस्कृत कमजोर हो तो मेरी लाचारी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे वास्तव में इस बात पर आश्चर्य होता है कि संस्कृत के समर्थक यह कहने के लिये नहीं उठ खड़े हुये कि तीन भाषा-सूत्र के बजाय चार-भाषा सूत्र होना चाहिये या उनमें से कोई भाषा हटा दी जाये और उसकी जगह संस्कृत आ जाये। इस राय का कोई मूर्त रूप होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय खेल संस्था

* ८२८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री आर० सी० मांझी :
श्री नेकराम नेगी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री कालिका सिंह :
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :
श्री जीन चन्द्रन् :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खेल संस्था स्थापित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका विधान कब तैयार किया गया था और वह क्या है ;

(ग) उक्त संस्था कब अपना कार्य आरम्भ करेगी ;

(घ) क्या इस संस्था के लिये एक बोर्ड स्थापित किया गया है ;

(ङ) यदि हां, उसके सभापति और सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(च) क्या राजकुमारी अमृतकौर खेल कूद शिक्षण योजना को इस संस्था में मिला दिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान का संविधान फरवरी, १९६० में तैयार किया गया था और उसका रूप वैसा ही है जैसा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी सोसायटी का होता है ।

(ग) दिसम्बर, १९६० ।

(घ) और (ङ) जी, हां । प्रबंधक मंडल (बोर्ड आफ गवर्नर्स) के सदस्यों की सूची सभा-पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

(च) प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :** क्या यह सच है कि यह संस्था पटियाला में खोली जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां, यह ठीक है ।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** दिल्ली की अपेक्षा, जहां पहले से ही एक स्टेडियम (खेल का मैदान) है और जो अधिक मध्य में है, खासकर पटियाला क्यों चुना गया ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** खेल-कूद परिषद् की समिति की राय पर यह किया गया था। हमने सभी राज्य-सरकारों को भी लिखा था और यह देखा गया कि सबसे अधिक सुविधायें पटियाला में ही उपलब्ध थीं ।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या यह रूस के सहयोग या उसकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय मंत्री ने बताया कि खेल कूद संस्थान फरवरी में बनाया गया था और राजकुमारी अमृत कौर प्रशिक्षण योजना के साथ उसे मिला देने पर अभी विचार होना है । इस विषय में अंतिम निर्णय करने में सरकार कितना समय लगायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस विषय पर खेल परिषद् की अगली बैठक में संभवतः चर्चा की जायेगी । आशा है वह बैठक अक्तूबर में होगी और उस समय संभवतः कुछ निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री जोनचन्द्रन :** खेल परिषद् और इस असोसियेशन में क्या सम्बन्ध है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** खेल परिषद् एक सामान्य निकाय है जो खेल सम्बन्धी सभी मामलों में सरकार को मंत्रणा देता है । यह निकाय पटियाला में खेल संस्था स्थापित करने और उसका प्रबन्ध करने के विशेष उद्देश्य से स्थापित किया गया है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री के अधूरे उत्तर के कारण कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है । मैं परिषद् का सदस्य हूं और मैं जानता हूं कि क्या निर्णय किया गया है । स्थिति यह है कि राजकुमारी अमृत कौर खेल प्रशिक्षण योजना एक स्वतंत्र चीज है । हमने जो निर्णय किया है वह यह है कि एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना होगी । इस नयी प्रशिक्षण योजना को पटियाला स्थित इन्स्टिट्यूट के साथ नहीं मिलाना चाहिये । यह संस्था भावी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये है जब कि दिल्ली जैसे कुछ प्रादेशिक क्षेत्रों में और स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में नयी प्रशिक्षण योजना बिलकुल अलग है । जब राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित होगी तब राजकुमारी प्रशिक्षण योजना अपने आप ही उसके साथ मिल कर एक हो जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमारे नियमों के अधीन, किसी गैर-सरकारी सदस्य को भी प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहा जा सकता है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं सरकारी स्थान के लिये तैयार हो रहा हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अब अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री से या श्री जयपाल सिंह से पूछे जायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य का एक विशेष स्थान है क्योंकि वे खेल परिषद् के सदस्य हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** खेल की विभिन्न शाखाओं के लिये अनेक अखिल भारतीय संगठनों को देखते हुये, इन संस्थाओं और प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल संस्था के सम्बन्ध के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सभी खेल असोसियेशन स्वायतशासी हैं । विभिन्न खेल-असोसियेशनों और खेल परिषद् का सम्बन्ध केवल इतना है कि खेल परिषद् उन्हें सलाह-मशविरा देती है जब भी उससे सलाह मांगी जाती है । खेल परिषद् उन्हें वित्तीय सहायता भी देती है और देश में खेलों को प्रोत्साहन देती है । असोसियेशनों और खेल परिषद् के बीच प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है । ये दोनों ही स्वतंत्र और अलग हैं और उनके कार्य भी अलग अलग हैं ।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** हमारे समक्ष रखे गये विवरण से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ९ सदस्य हैं जिसमें से ५ सरकारी हैं; ४ सदस्यों के बारे में हम नहीं जानते । इस तरह की अखिल भारतीय टेक्नीकल संस्थाओं के मामले में किसी संसद् सदस्य को क्यों नहीं शामिल किया गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** खेल परिषद् में संसद् सदस्य हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** वहां एक संसद्-सदस्य है--राजकुमारी अमृतकौर ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** माननीय मन्त्री ने हमें बताया कि खेल की विभिन्न शाखाओं के लिये स्वायतशासी संगठन हैं और एक अखिल भारतीय खेल परिषद् है जहां श्री जयपाल सिंह एक आभूषण के तौर पर हैं । किन्तु मैं नहीं समझ पाता कि इस दुसरे संगठन से वर्तमान स्थिति और पेचीदा किस तरह नहीं हो जाती ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं, कोई पेचदगी नहीं । यह विशिष्ट संगठन, खेल संस्था का प्रबन्धक बोर्ड, खास इसी संस्था के प्रबन्ध के लिये कायम किया गया है । अतः इन दोनों संगठनों के बीच कोई संघर्ष नहीं है ।

५०५ सेनावर्कशाप, दिल्ली में वस्तुओं का बनाया जाना

†***८२९. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५०५ ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली के लिये १९५८ और १९५९ में कितने मूल्य का सामान स्थानीय रूप से खरीदा गया ; और

(ख) इस तरह की खरीद कम करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) १९५८-५९ में ५०५ ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली के लिये स्थानीय रूप से ९०,८४६ रुपये का और १९५९-६० में ४,४५,९२८ रुपये का सामान खरीदा गया ।

(ख) स्थानीय खरीद केवल आपात काल में ही की जाती है अर्थात जब कि वर्कशाप में साज-सामान की मरम्मत या साजसंवार कुछ फुटकर पुर्जों की कमी के कारण, जो सप्लाई के सामान्य साधनों के जरिये उस समय उपलब्ध नहीं होते रुक जाती है । वर्कशाप के कमान्डेन्ट का उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है और आर्मी हेडक्वार्टर्स स्थानीय खरीद पर किये जाने वाले खर्च पर काफी सतर्क निगरानी रखता है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि शिवरलेट ट्रकों के लिये मफलर और टेल-पाइप ७५ रु० प्रति यूनिट की दर से कहीं अधिक ऊंची दर से, जो सेना आयुध कारखाने में उसके तैयार करने की लागत से अधिक थी, खरीदे गये थे ? यदि हां, तो इस बात की ओर ध्यान देने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है कि जो वस्तुएं हमारे कारखानों में तैयार की जा सकती हैं, वे न खरीदी जायें ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस संबंध में वर्तमान प्रक्रिया यह है कि फुटकर पुर्जों की कुछ मात्रा साज समान के साथ ही प्राप्त कर ली जाती हैं। यदि सामान बहुत पुराना हो जैसा कि हमारा अधिकतर सामान पुराना है, और फुटकर पुर्जे न हों तो ये या तो निर्माताओं से या स्थानीय उत्पादन से प्राप्त किये जाते हैं यह सब सेना आयुध डीपों पर निर्भर होता है। जब कोई विशिष्ट वस्तु काम में लायी जाती है और फुटकर पुर्जों की कमी के कारण उसका काम रुक जाता है तभी उन्हें खरीदा जाता है। मुझे मफलर के इस विशिष्ट मामले के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं तहकीकात करूंगा। लेकिन स्थानीय खरीद पर आर्मी हेडक्वार्टर्स का सामान्य नियंत्रण होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मफलर ऊंची दर पर क्यों खरीदे गये ?

†**श्री रंगा** : दुख इस बात का है कि हम उनका उत्तर नहीं समझ सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न : इस प्रश्न में कोई खास बात नहीं है। माननीय मंत्री को थोड़ा कुछ कहना चाहिये।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे दुख है।

मतदाताओं के लिए पहचान पत्र

+

†*८३०. **श्री वारियर** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अब्दुल सलाम :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये अभी हाल के उप-चुनाव में पहचान पत्र पद्धति से मतदान के अनुभव की छानबीन की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख) दक्षिण पश्चिम कलकत्ता संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग इस बात पर विचार

---

†मूल अंग्रेजी में

कर रहा है कि फोटो सहित पहचान पत्र की पद्धति अपनाना कहां तक उचित है और प्रशासनिक दृष्टि से अपेक्षित है और सरकार इस विषय में निर्वाचन आयोग की राय की प्रतीक्षा कर रही है ।

†**श्री वारियर** : कितने व्यक्ति उस उप चुनाव में मत नहीं दे सके ?

†**श्री अ० कु० सेन** : किसी विशिष्ट क्षेत्र में मतदाताओं की वास्तविक संख्या मालूम करने का एक मुख्य तरीका पहचान पत्रों के जरिये मालूम करना है । निर्वाचन आयोग ने इस उपाय का जो सुझाव दिया उसका एक कारण यह है कि मतदाताओं की सूची में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अस्तित्व में नहीं थे या जो कम से कम उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं थे । निर्वाचन नामावलि में ३,४२,००० मतदाताओं में से २,१३,६३८ का ही फोटो लिया गया । इन व्यक्तियों में से ६५ प्रतिशत मत देने के लिये आये और यह संख्या भी काफी ऊंची प्रतिशतता थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : शासक दल के लिये इस विशिष्ट उपनिर्वाचन में कटु अनुभव को देखते हुये क्या इसे १९६२ के चुनावों में कार्यान्वित करने से पहले क्या इस प्रणाली पर सभी राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की जायेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे अनुमान निकाले हैं जो बहुत विवादस्पद हैं। वह कहते हैं कि शासक दल को कटु अनुभव हुआ है । यदि प्रत्येक बार एक कटु अनुभव हो, तब ऐसा हो सकता है। किन्तु मेरे विचार में संसदीय लोकतंत्र में, वास्तवमें हार का अर्थ किसी दल के लिये निन्दा नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनीस्वामी** : इस तरीके से कितने समय और धन की बचत हुई ?

†**श्री अ० कु० सेन** : अधिक खर्च हुआ है । फोटो लेने से कमखर्ची नहीं हो सकती । उससे खर्च बढ़ जाता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में फोटो खींचने पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†**श्री अ० कु० सेन** : फोटो खींचने के संबंध में अलग आंकड़े हमारे पास नहीं हैं । हमारे पास पहचान पत्र सहित फोटो के आंकड़े हैं । वह २,६१,२१७ रुपया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रति व्यक्ति १ रुपया बैठता है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जी हां ।

†**श्री त्यागी** : क्या इन पहचान पत्रों पर संख्या दी गयी है ? यदि हां, तो क्या पहचान पत्र की संख्या और निर्वाचक नामावली की संख्या एक है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी हां, उन पर संख्या दी हुई है । दोनों में एक ही संख्या है या नहीं यह में नहीं जानता । किन्तु निर्वाचन संख्या का उल्लेख पहचान पत्र में अवश्य ही होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि माननीय मंत्री यहां सेंट्रल हाल में उसके प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि यह इच्छा हो तो मैं वैसे कर सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं केवल यही चाहता हूं कि विस्तारों के बारे में इन प्रश्नों से बचाव हो ।

†**डा० अ० क० सेन :** वास्तविक पहचान-पत्रों को दिखाने के अतिरिक्त इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगर उसे यहां लाया जाये तो उसे देखा जा सकता है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** इन लोगों के लिये फोटोग्राफी कोई विशेष बात नहीं है । सबके लिये एक ही प्रक्रिया होती है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†* ८३१. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के चार पदाधिकारियों के विरूद्ध कथित भ्रष्टाचार के संबंध में अभी हाल में कोई जांच की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकाला ; और

(ग) जांच करने वाले पदाधिकारियों के पदों के क्या नाम हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस जांच का उल्लेख कर रहे हैं । इस समय भिलाई इस्पात कारखाना के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध विभाग अथवा मैजिस्ट्रेट द्वारा कोई जांच विचाराधीन नहीं है। किन्तु भिलाई इस्पात कारखाना के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध कुछ बातों की तफतीश की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** भिलाई इस्पात परियोजना के कर्मचारियों के कुछ मामलों की जांच करने के लिये श्री आर० एल० मेहता और श्री रघुपति की एक समिति नियुक्त की गयी थी । क्या यह सच है कि इस समिति ने भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों संबंधी मामलों के बारे में आलोचनात्मक रिपोर्ट पेश की थी ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट का क्या बना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह ठीक नहीं कि कर्मचारियों संबंधी मामलों की, जैसा कि माननीय सदस्य का कथन है, जांच करने के लिये दो पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गयी थी, यह सच है कि ये दो पदाधिकारी जिनमें से एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि है और दूसरा केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि है, कुछ महीने पहले हुई हड़ताल के पश्चात उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिये भिलाई गये थे और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जो सामान्य किस्म की थी । यह कहना गलत होगा कि रिपोर्ट में इस्पात संयंत्र के कार्य संचालन की कड़ी आलोचना की गयी थी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को भिलाई इस्पात परियोजना के राजपत्रित (गजेटेड) पदाधिकारियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गयी है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे याद नहीं कि उन लोगों के विरूद्ध, जिन्हें माननीय सदस्य गजेटेर्द पदाधिकारी कह रहे हैं, कोई शिकायत मिली हो । मैं पहले यह बता चुका हूं कि विशेष पुलिस

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिष्ठान द्वारा (स्पैशल पोलीस एस्टबिलशमेंट) दो तीन मामलों की तफतीश की जा रही है। वे मामले इस प्रकार हैं। वर्ष १९५७-५८ में बम्बई से कुछ चीजों की आपातकालीन खरीद करने के संबंध में तफतीश हो रही है। इस्पात कारखाने को खराब चुगलम लकड़ी की सप्लाई करने के बारे में भी तफतीश हो रही है और तीसरी तफतीश कलकत्ता से बिजली का कुछ सामान खरीदने के बारे में है। यही तीन मामले हैं जिनकी मुझे जानकारी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री शुक्ल द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताया है कि सर्वश्री आर० एल० मेहता और रघुपति हड़ताल के बाद की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनकी रिपोर्ट के बारे में क्या कार्यवाही की है और इस रिपोर्ट की स्थूल रूपरेखा क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस समिति की सिफारिशों के बारे में कोई प्रश्न उत्पन नहीं होता। इन स्थितियों में अधिकारियों को भेजा जाता है और वे इन बातों के संबंध में रिपोर्ट पेश करते हैं, जैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या थे, अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहा, किसका व्यवहार उचित था और किसका अनुचित। इस समिति द्वारा कोई विशिष्ठ सिफारिश देने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री जांगडे** : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता लगा है कि भिलाई इस्पात कारखाने के स्टोर्स विभाग से तांबे की निरन्तर चोरी के लिये एक कनिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे पता नहीं, मुझे तो माननीय सदस्य से यह सूचना मिल रही है। अगर उस अधिकारी पर इस चोरी का दायित्व है तो उसके विरूद्ध अवश्य कोई कार्यवाही की गयी होगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मंत्री महोदय ने अभी जिन मामलों का उल्लेख किया है उनकी जांच कौन कर रहा है ? मंत्रालय के अधिकारी अथवा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इन मामलों की तफतीश विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा की जा रही है।

कच्चे लोहे के कारखाने और बिजली की भट्टियां

+

†*८३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे लोहे के छोटे कारखानों और बिजली की भट्टियों के स्थान के बारे में कौन सी आवश्यक शर्तें पूरी होनी हैं ;

(ख) क्या पिछड़े हुये और अल्पविकसित क्षेत्रों को कोई बरीयता दी गयी है ;

(ग) क्या राजस्थान के लिये किन्हीं एककों की योजना बनायी गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) (एक) मुख्य बात यह है कि संयंत्र की स्थापना बड़े इस्पात कारखाने में काफी दूर स्थान पर होना चाहिये और उस कारखाने में आस पास के क्षेत्रों में उपलब्ध घटिया श्रेणी के लौह अयस्क और कोक-कोयले के अलावा अन्य किस्म के कोयले का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

(दो) आजकल बिजली की नई भट्ठियों की स्थापना करने का क्षेत्र बड़ा सीमित है क्योंकि मौजूदा भट्ठियों और उन भट्ठियों में, जिनकी मंजूरी पहले से दी जा चुकी है, १९६१ तक उपलब्ध होने वाले अनुमानत: ६००,००० टन गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की खपत हो जाने की आशा है । किन्तु तीसरी पंच वर्षीय योजना के सन्दर्भ में नई भट्ठियों की स्थापना के लिये अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) यदि कारखाना स्थापित करने में अन्य शर्तें पूरी हो जायें तो वरीयता दी जाती है ।

(ग) और (घ). **कच्चा लोहा** : सरकार को राजस्थान के बारे में कोई प्रस्थापना नहीं मिली किन्तु यदि अन्य आवश्यक शर्तें पूरी हो जायें तो सरकार कच्चे लोहे का छोटा संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना पर उसके पक्ष विपक्ष की बातों के आधार पर विचार करने को तैयार है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, एक कारखाने पर कुल कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कच्चे लोहे के छोटे कारखानों अथवा बिजली की भट्ठियां गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अभी हाल ही में, जमशेदपुर में स्थित राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला में यह जानने के लिये एक 'लो शाफ्ट' (low shaft) धमन भट्ठी लगायी गई है कि क्या इस्पात के निर्माण के लिये नान-कोकिंग (non coking) कोयला और लौह अयस्क से काम लिया जा सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस अनुसन्धानकार्य में क्या प्रगति हुई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला के अग्रिम संयंत्र को चालू हुये लगभग एक वर्ष से ऊपर समय हो चुका है । इस संयंत्र में विभिन्न प्रकार के लौह-अयस्क और कोयले की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किये गये हैं । जो परिणाम प्राप्त हुये हैं वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े उपयोगी है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कारखाना खोलने का प्रोपोजल मिला है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पिग आयरन के मुताल्लिक तो नहीं मिला । इलेक्ट्रिक फर्नेस मेरा ख्याल है, वहां पहले भी कुछ थीं और कुछ नई भी चालू होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पाण्डे :** क्या मैं जान सकता हूं कि कच्चे लोहे के इस संयंत्र के एक एकक का सामान्य आकार कितना है और क्या इसे बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करना सम्भव हो सकेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कच्चे लोहे के इस संयंत्र की, जिसकी मंजूरी दी गई है, सामान्य वार्षिक क्षमता १५,००० टन होगी । उड़ीसा में ऐसा एक संयंत्र चालू है और उसमें कच्चे लोहे का उत्पादन हो रहा है । उनका कहना है कि उत्पादन-व्यय तुलनात्मक दृष्टि से कुछ अधिक है । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इसमें वृद्धि की जाये अथवा नहीं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि कच्चे लोहे का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में पंजाब को कितना कोटा दिया जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कच्चे लोहे से लोहा बनाने के लिये पंजाब में कोयला नहीं है इसलिये मुझे यह जरा मुश्किल नजर आता है । एलेक्ट्रिक फर्नेस वहां लग सकती हैं और पहले से भी लगी हुई है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** मंत्री जी ने फरमाया कि एलेक्ट्रिक प्लान्ट लग सकता है, तो क्या जिला महेन्द्रगढ़ में, जहां काफी तादाद में पिग आयरन मिलता है, इस प्लान्ट को लगाने की तजवीज है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : महेन्द्रगढ़ में कोयला भी नहीं है और कच्चा लोहा भी नहीं है ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : आपने एलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में फरमाया ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** एलेक्ट्रिक फर्नेस स्क्रेप से चलती है । और चूंकि लूधियाना, बटाला या जालन्धर में ज्यादा स्क्रेप होता है इस लिये वहां ज्यादा एलेक्ट्रिक फर्नेस लगाई गई हैं । अगर महेन्द्रगढ़ में स्क्रेप मिल सकता है तो कोशिश कीजिये । छोटे स्केल की एलेक्ट्रिक फर्नेस के लिये तो लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है ।

†**श्री महन्ती :** क्या हम जान सकते हैं कि क्या सरकार 'लो-शाफ्ट' भट्टियों के संचालन-व्यय को कम करने के उपायों के बारे में विचार कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य को 'लो-शाफ्ट' वाली भट्टी का अनुभव है । मैं उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहूंगा । मैं नहीं जानता कि इस संयंत्र का संचालन-व्यय किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कच्चे लोहे का उत्पादन बिजली की भट्टी में बिना कोयले के किया जा सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि कच्चा लोहा उन भट्टियों में तैयार होता है जहां मुख्यतः बिजली का इस्तेमाल किया जाता है । तथापि थोड़ी बहुत मात्रा में कोयले की आवश्यकता पड़ती ही है । यह मात्रा ४० प्रतिशत तक कम की जा सकती है । मेरे विचार में कोयले के बिना सफलता प्राप्त होना सम्भव नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनरल तिमय्या की जीवनी

+

†*८३३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री जीनचन्द्रन :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हन्फ्रे इवान्स की "तिमय्या आफ इंडिया–ए सोल्जर्स लाइफ" नामक पुस्तक का अध्ययन करने वाले पदाधिकारियों का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है; और

(ख) क्या लेखक की यह भूमिका कि यह पुस्तक जनरल तिमय्या की पांडुलिपि का ही विशद-रूप है और जनरल ने पुस्तक लिखने में सहयोग दिया है, ठीक है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) पुस्तक की सामान्य रूप से जांच कर ली गई है ।

(ख) जनरल तिमय्या से पता चला है कि इस पुस्तक के प्रकाशन में उन्होंने लेखक को कोई वास्तविक सहयोग नहीं दिया और यह किताब बिना अनुमति के प्रकाशित की गई है तथा उन्हें इसके प्रकाशन के बारे में कुछ पता नहीं था । ऐसा लगता है कि यह पुस्तक उस सामग्री के आधार पर लिखी गई है जो जनरल तिमय्या ने लेखक को एक अन्य पुस्तक के सम्बन्ध में दी थी जिसके बारे में जनरल का कहना है कि उनका उस पुस्तक को लिखने का विचार है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुये कि यह पुस्तक मुख्यतः उस पुस्तक पर आधारित है, जिसे जनरल तिमय्या लिखना चाहते हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह उस नियम का उल्लंघन नहीं है जिसके अनुसार सेना की गतिविधियों तथा युद्ध-नीति के बारे में कोई पुस्तक नहीं लिखी जा सकती और ना ही कोई सूचना दी जा सकती है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमने अभी इस किताब की कानूनी दृष्टि से विवेचना नहीं की है । किन्तु मैंने उनसे पूछा है कि क्या यह जानकारी दी गई है और उनका उत्तर यह है कि उन्होंने इस पुस्तक के बारे में लेखक को कोई पत्र नहीं लिखा । किन्तु दिये गये उद्धरणों से अपरिहार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जानकारी केवल सेनाध्यक्ष से ही प्राप्त हो सकती थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य :** हम उत्तर का वह अंश नहीं सुन रहे जिसमें निष्कर्ष दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अप्रतिरोध्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस पुस्तक की सामग्री जनरल तिमय्या से प्राप्त हुई थी ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय ने पुस्तक की जिल्द के अन्दर के भाग पर दिये गये नक्शे को देखा है जिसमें काश्मीर को भारत के अंग के रूप में नहीं दिखाया गया ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** पुस्तक की जिल्द के अन्दर के भाग में एक नक्शा है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत-संघ से पृथक दिखाया गया है जैसा कि विदेशों में छपने वाले नक्शों में दिखाया जाता है । किन्तु मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह नक्शा जनरल तिमय्या द्वारा दिया गया था और अथवा इस नक्शे की जिम्मेवारी उन की है । किन्तु पुस्तक में यह नक्शा है अवश्य ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इस पुस्तक में "श्रीनगर" शीर्षक अध्याय के बारे में जानकारी है जिसमें हमारे मित्र जनरल तिमय्या ने उन सैनिक-नीतियों को प्रकट किया है जिन्हें हमने काश्मीर में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुये अपनाया था । क्या मैं जान सकता हूं कि सैनिक-नीतियों को प्रकट करने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं यह नहीं कह सकता कि क्या यह युद्ध-नीति (tactics) के अन्तर्गत आता है । किन्तु व्यौरा दिये बिना काश्मीर में हुए युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता । इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है और ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि जानकारी उस सूत्र से नहीं मिली क्योंकि यह उद्धरण-चिन्हों के अन्दर है । किन्तु मुझे जो कहना है वह यह है कि सेना-अध्यक्ष द्वारा इसके प्रकाशन के लिये अधिकार नहीं दिया गया था । उनका कहना है कि उन्होंने अन्य पुस्तक अथवा पुस्तकें लिखने के उद्देश्य से इस सज्जन के साथ चर्चा की थी । किन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यह जानने के लिये कि क्या प्रकटीकरण कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, हमें उचित समय पर विधि मंत्रालय से परामर्श लेना पड़ेगा ..... **(अन्तर्बाधाएं)**

†**डा० राम सुभग सिंह :** श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न है। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने अभी जो कुछ कहा है उससे सेनाध्यक्ष के कार्यों की निन्दा होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्री का यह कार्य न्यायोचित है ? अगर वह ऐसा समझते हैं तो बेहतर है कि वे सेनाध्यक्ष को डांटें .... **(अन्तर्बाधाएं)** बजाय इसके कि समय कुसमय पर उन के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये और उन्हें नीचा दिखाया जाये ..... **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैंने आपको तथ्यों की जानकारी दी है । मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि मैं संसद् से उस जानकारी को छिपा कर रखूं जो कि एक प्रकाशित पुस्तक में दी गयी है । मुझसे पूछा गया कि क्या इससे काश्मीर के बारे में किसी बात का रहस्योद्घाटन हुआ है और मैंने यह जवाब

---

†मूल अंग्रेजी में

दिया कि मैं यह नहीं कह सकता कि इसका सम्बन्ध युद्ध नीति से है अथवा नहीं, किन्तु पुस्तक में कुछ जानकारी अवश्य दी गयी है ..... (**अन्तर्बाधाएं**)

†**डा० राम सुभग सिंह :** प्रतिरक्षा मंत्री हमेशा यह कहा करते हैं कि यह बात जनहित में नहीं, किन्तु आज उन्होंने इतनी अधिक जानकारी दे दी है। मेरा औचित्य प्रश्न यह है..... (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। सदस्य महोदय ने औचित्य प्रश्न उठाया है। पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। बहुत से प्रश्नों की सूचना दी गयी है और मैंने बहुत ध्यान से इस बात पर विचार किया कि इस मामले को सभा के समक्ष लाना चाहिये अथवा नहीं। किन्तु पुस्तक का काफी प्रचार हो चुका था और पुस्तक एक विदेशी द्वारा लिखी गई है तथा उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल खास खास सूत्रों से ही प्राप्त हो सकती हैं, इसलिये मैंने यही उचित समझा कि संसद् को इस बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिये क्या यह ठीक था अथवा गलत। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने प्रश्नों का उत्तर दिया है। एक बार उन्होंने यह कहने का यत्न किया कि उन्होंने अभी तक किताब को पूरी तरह से नहीं देखा इसलिये उनके लिये यह कहना सम्भव नहीं कि यह उचित है अथवा अनुचित। श्री तारिक द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह उत्तर दिया कि वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि पुस्तक में दी गई जानकारी का युद्ध नीति से सम्बंध है अथवा नहीं। अगर वह सेनाध्यक्ष को नीचा दिखाना चाहते तो वह बड़ी आसानी से यह कह सकते थे कि हां, इसका सम्बन्ध युद्ध-नीति से है। इसलिये उन्होंने बड़ा सोच-समझ कर उत्तर दिये हैं और वह यह कहने से पहले कि यह गलत है अथवा ठीक, कानूनी राय लेना चाहते हैं। वैसे किसी किताब के छपने से पहले किसी विदेशी को कुछ बातें बता देना और उस व्यक्ति द्वारा उस जानकारी का प्रयोग कर लिया जाना, बड़ी विचित्र सी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई सदस्य इस प्रश्न के पूछे जाने पर और प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अपनी पूर्ण योग्यता के साथ सभा को यह तसल्ली दिये जाने पर कि कोई गलत काम नहीं होने दिया जायेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह कोई भी हो अथवा कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी भेद को प्रकट होने नहीं दिया जायेगा, कैसे आपत्ति हो सकती है। प्रतिरक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर जिस ढंग से दे रहे हैं उससे माननीय सदस्यों के मन में कोई अन्य विचार तो बेशक आ जाये किन्तु इससे उन पर यह आरोप कदापि नहीं लगाया जा सकता कि वह समय कुसमय जनरल तिमय्या को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यह नहीं कहना चाहिये। माननीय सदस्य जब आरोप लगाते समय यह कहते हैं कि सेनाध्यक्ष के सम्मान की रक्षा होनी चाहिये तो इसके साथ साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रतिरक्षा मंत्री की प्रतिष्ठा भी कायम रहनी चाहिए।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि देश की सुरक्षा के हित में मुझे प्रतिरक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ? क्या वह सभा को और जनता को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि सेनाध्यक्ष के साथ उनके सम्बन्ध बड़े अच्छे हैं और गलतफहमी की कोई बात नहीं है ..... (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। यह एक ऐसी निष्कर्षात्मक पूर्वधारणा है जिसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। जब तक प्रतिरक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष एक ही सरकार के सदस्य हैं, उनके आपसी सम्बन्ध अच्छे ही होंगे। फिर यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। हम मुख्य प्रश्न से भटक रहे हैं। श्री बनर्जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके पश्चात् अगला प्रश्न लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या म जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उक्त पुस्तक के पृष्ठ १४ पर आजाद हिन्द फौज के बारे में प्रयुक्त शब्दावलि की ओर आकृष्ट किया गया है :—

"आजाद हिन्द फौज—जापान द्वारा 'मित्र-राष्ट्रों' के विरुद्ध लड़ने के लिये भारतीय सैनिक बन्दियों को गठन करके बनायी गई भारतीय राष्ट्रीय सेना"

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात से सहमत है और यदि नहीं तो क्या कोई विरोध किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह पुस्तक सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह देखेंगे कि हम पुस्तक की जांच सी करने जा रहे हैं और प्रतिरक्षा मंत्री से यह पूछ रहे हैं कि वे पुस्तक इस कथन अथवा उस बात से सहमत हैं या नहीं । उन्होंने सामान्य रूप से यह कह दिया है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनरल तिमय्या ने सूचना दी है, यद्यपि यह सूचना इस पुस्तक के लिये नहीं दी गई थी । तब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या उनकी राय में यह जानकारी देना ठीक है अथवा नहीं । ये इस प्रश्न के कानूनी पहलू हैं और वह इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय से जांच करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिये यह ठीक नहीं कि इस मामले को बढ़ाया जाये ..... (**अन्तर्बाधाएं**) । अगला प्रश्न ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या मैं डा० राम सुभग द्वारा उठाये गये प्रश्न के सन्दर्भ में कुछ स्पष्टीकरण मांग सकता हूं । माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने पहले यह बताया है कि यह जानकारी किसी अन्य प्रकाशन के सम्बन्ध में थी । अतः इस अमरीकन लेखक—अथवा जो कुछ भी वह है—का सम्बन्ध दोनों प्रकाशनों से है । एक का प्रकाशन हो चुका है । किन्तु दूसरे का प्रकाशन जिसमें मुख्य जानकारी होगी, अभी कुछ कारणवश नहीं हो सकती । ये कारण स्पष्ट हैं । इस सारे उत्तर से यह प्रकट होता है कि जैसे सेनाध्यक्ष ने इसके प्रकाशन की स्पष्ट अनुमति दे दी हो । मुझे यह समझ नहीं आती कि यह निष्कर्ष कैसे निकाला गया है । वह तो मुख्य पुस्तक लिखने में सहयोग दे रहे हैं और वह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई । हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने इस विशेषाधिकार का अनुचित लाभ उठाया हो । हम जानते हैं कि यह जानकारी इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये नहीं दी गयी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है । हम इस मामले के ऊपर वाद-विवाद नहीं कर रहे और ना ही किसी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का यत्न कर रहे हैं । यह तो केवल एक प्रश्न है, जिसके द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है । यह जानकारी किसी अन्य पुस्तक के बारे में भी दी गयी है जिसे प्रकाशित करने का उनका विचार है । क्या यह पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए अथवा नहीं, क्या वह ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं, क्या उन्हें इस बात की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं, इन सब बातों के ऊपर हम विचार नहीं कर रहे । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी:** श्रीमन्, आपने श्री जयपाल सिंह को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है । कृपया मुझे भी एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** श्रीमन्, आपने मुझे केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है । मुझे एक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये । इस पुस्तक की प्रस्तावना में श्री हम्फरी ईवन्स ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि यह सामग्री उन्हें जनरल तिमय्या से प्राप्त हुई है । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या जनरल तिमय्या द्वारा कभी इस बात का प्रतिवाद किया गया है ?

---

†नूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** कहां ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** जनता में अथवा कहीं और। यह पुस्तक बाजार में खुले आम बिकती है। इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी सामग्री जनरल तिमय्या द्वारा प्रदान की गयी थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी है कि क्या जनरल तिमय्या द्वारा अखबारों में अथवा किसी अन्य तरीके से पुस्तक की प्रस्तावना में उल्लिखित इस बात का प्रतिवाद किया गया है कि पुस्तक की सामग्री जनरल तिमय्या से प्राप्त हुई थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** श्रीमन्, सरकार ने विरोधी पक्ष के सदस्य के कहने के बावजूद इस सम्बन्ध में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का यत्न किया और सेनाध्यक्ष से इस बारे में पूछा गया था। उन्होंने बताया, "मैंने अपनी आत्म-कथा, जो अभी पाण्डुलिपि की शक्ल में है और जिसे मेरे अवकाश-प्राप्त करने के पश्चात् प्राकशित किया जायेगा, लिखने के लिये पुस्तक की योजना और क्रम तैयार करने में निश्चित ही श्री ईवन्स की सहायता ली थी।" उन्होंने यह भी बताया है कि मैंने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये नहीं कहा था और इस पुस्तक के आने तक उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था तथा इस पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले इस पुस्तक के सम्बन्ध में पुस्तक के लेखक से उनका कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ। और जब उन्होंने स्थानीय पत्रों में इस पुस्तक की समीक्षा पढ़ी तो उन्हें इसके प्रकाशन का पता चला तथा इसके पश्चात् उन्होंने पुस्तक के लेखक के साथ पत्र-व्यवहार किया और पुस्तक के प्रकाशन के लिये नाराजगी प्रकट की ..... **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा है कि जनरल तिमय्या ने यह बताया है यह पुस्तक जनरल तिमय्या को बिना कोई जानकारी दिये लिखी गई है।

†**श्री रंगा :** हम यही बात पहले सुनना चाहते थे।

†**श्री हेम बरुआ :** जनरल तिमय्या ने प्रतिरक्षा मंत्री को यह लिखा है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक के प्रकाशन के विरुद्ध, यह कहने पर कि यह पुस्तक जनरल तिमय्या के सहयोग से लिखी गई है, कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती जब कि जनरल तिमय्या का इस किताब के लिखने में कोई सहयोग नहीं था।

†**श्री रंगा :** यह सूचना सभा को पहले ही दी जा सकती थी जब कि इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये थे। मंत्री महोदय ने सभा को यह जानकारी क्यों नहीं दी **(अन्तर्बाधाएं)**

†**डा० राम सुभग सिंह :** श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पहले यह प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने हमें यह सूचना नहीं दी थी।

†**श्री प्र० के० देव :** एक औचित्य प्रश्न है। मेरा यह विचार है कि जिस ढंग से प्रश्न और उनके अनुपूरक पूछे जाते हैं उनसे सेना उत्साह मन्द होता है (अन्तर्बाधाएं)। मेरा कहना यह है कि जब एक व्यक्ति सभा में अपने बचाव के लिये उपस्थित न हो तो क्या हम उसकी आलोचना कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : उनका बचाव करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्री जो हैं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या अन्य देशों में इस स्तर के सैनिक अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित नहीं की जातीं; यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूं कि इस किताब पर तूफान क्यों मचाया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला बिल्कुल स्पष्ट है । इस पुस्तक का प्रकाशन जनरल तिमय्या की जानकारी के बिना हुआ है । उन्होंने कुछ सामग्री दी थी ताकि उनके सेवा-निवृत्त होने के पश्चात् उनकी आत्म-कथा लिखी जा सके । हम यह नहीं जानते कि वह लिखी जा सकती है अथवा नहीं---हम उस मामले की जांच नहीं कर रहे । किन्तु इस पुस्तक के लेखक को यह बात कहने का कोई अधिकार नहीं था । उसका ऐसा करना अनुचित था---जनरल तिमय्या का यह कहना है । हम इस मामले को यहीं छोड़ते हैं **(अन्तर्बाधाएं)** ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में लिखा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : : यह हमारा कार्य नहीं है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

\+

†*८३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामी रेड्डी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धी :
श्री वेंकटा सुब्बया :

क्या **वित्त** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा नियुक्त दल ने नागार्जुन सागर परियोजना के एकीकरण के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या सुझाव हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). रिपोर्ट २६ जुलाई, १९६० को पूरी की गई थी और उसी दिन राज्य सरकारों को उनके अन्तिम विचार जानने के लिये भेज दी गई थी । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रखवा दी गई हैं और महत्वपूर्ण सिफारिशों का मसौदा सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) राज्य सरकार की टिप्पणियों के मिलने के पश्चात्, रिपोर्ट पर योजना आयोग और योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा, आन्ध्र के मुख्य मंत्री भी जिसके सदस्य ह,

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार किया जायेगा। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के ब्यौरे के सम्बन्ध में इन बैठकों में निश्चय किये जायेंगे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि परियोजना के विस्तृत पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे जिसमें परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा किये गये परिवर्तनों को भी शामिल किया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना-प्राक्कलन को तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : समूची रिपोर्ट विचाराधीन है। जब रिपोर्ट पर योजना आयोग और योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी द्वारा विचार किया जायेगा तो इस सम्बन्ध में निश्चय किये जायेंगे।

† **श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो परियोजनाओं के एकीकरण से, जिसका अर्थ कृष्ण नदी से अधिक पानी लेना है, अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? क्या इस प्रश्न की जांच की गई है, और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : रिपोर्ट सम्बन्धित राज्यों के विचार जानने के लिये उनके पास भेजी गई है। उन्होंने अभी हमें अपने विचारों की सूचना नहीं दी। रिपोर्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भी भेजी गई थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अभी हम अन्तिम रिपोर्टों का इन्तजार कर रहे हैं।

शारीरिक शिक्षा समिति का प्रतिवेदन

†*८३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा, आमोद प्रमोद और युवक कल्याण की सभी योजनाओं का समन्वय करने के लिये कुछ समय पहले जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) उस समिति द्वारा अपना काम कब तक पूरा किये जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) समिति से प्रार्थना की गई थी कि वह अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करे और उसने आशा प्रकट की है कि इस वर्ष दिसम्बर तक वह अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप में तैयार कर लेगी।

विवरण

(क) समिति की बैठक ७ मई, १९६० को और फिर २५ से २७ जुलाई, १९६० तक हुई थीं। इसने जो प्रश्नावलि जारी की थी उसके भाग १ के उत्तर में प्राप्त सांख्यिकी तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सामग्री की जांच पड़ताल की थी। समिति ने (१) राष्ट्रीय अनुशासन योजना, (२) स्काउटिंग और गाइडिंग तथा (३) भारत सेवक समाज के प्रतिनिधियों का,

†मूल अंग्रेजी में

और कुछ शिक्षा शास्त्रियों का जिन्हें इन योजनाओं को चलाने का ज्ञान एवं अनुभव था, मौखिक साक्ष्य नई दिल्ली में लिया था। यह समिति ५-८-१९६० को लक्ष्मी बाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर में की गई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** शारीरिक स्वास्थ्य की कुछ प्रणालियां हैं जिनका समय समय पर मान था और जिनका गांवों में प्रयोग किया जाता है। क्या समिति उन पुरानी प्रणालियों पर भी ध्यान देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समिति शारीरिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर विचार करेगी तथा समय समय पर मान प्राप्त योजनाओं पर भी ध्यान देगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता चलता है कि समिति केवल वर्तमान युग की योजनाओं का ही परीक्षण कर रही है। राष्ट्रीय अनुशासन योजना, स्काउटिंग और भारत सेवक समाज का उल्लेख है—मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सेवक समाज किस योजना को लेगी। क्या समिति इस देश में प्रचलित प्रणालियों को भी ध्यान में रखेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के उपकुलपतियों का नैनीताल में जून में जो सम्मेलन हुआ था, उसने यह सिफारिश की थी कि पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कालेजों और यूनिवर्सिटी में सप्ताह में से चार दिन विद्यार्थियों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार शारीरिक शिक्षा की इस योजना के साथ उस योजना को कार्यान्वित करने का विचार करती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस समिति ने योगिक आसनों का अध्ययन किया है और इसके कुछ विशेषज्ञों से बातचीत की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** योगिक आसन शारीरिक शिक्षा की पूर्ण योजना के रूप में मान लिये गये हैं। जब समिति शारीरिक शिक्षा की सब योजनाओं का पुनरीक्षण कर रही है, स्वभावतः वह योजना भी इसके पर्यवेक्षण में आएगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या समिति ने योगिक आसन के विशेषज्ञों से बातचीत की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने कहा है कि समिति उनके साथ यदि बातचीत करना चाहती है तो कर सकती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** परन्तु क्या उसने ऐसा किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री ने इस पर विचार कराने के बारे में हिदायत दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समिति के निर्देश निबन्धन ये हैं : (क) प्रत्येक के गुण दोष का मूल्यांकन करना और शारीरिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के क्षेत्र की व्याख्या करना ; मनोरंजन, चरित्र निर्माण, और शिक्षण सम्बन्धी संस्थाओं में फैला हुआ अनुशासन ; (ख) दोहरे-पन तथा संसाधनों की फिजूलखर्ची को रोकने के लिये अनुमोदित योजनाओं के उचित समन्वय के

†मूल अंग्रेजी में

लिये उपायों की सिफारिश करना ; तथा (ग) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, तथा विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और अनुशासन बढ़ाने के लिये अत्यन्त उपयोगी योजनाओं और कार्यवाहियों के विकास के लिये अर्थोपायों का परीक्षण करना। निर्देश निर्बन्धन बहुत व्यापक है और मुझे विश्वास है कि इस समिति में जो अत्युच्च शक्ति सम्पन्न समिति है जिसमें इस सभा और दूसरी सभा के बहुत से संसद् सदस्य हैं, इन सब बातों पर निश्चय ही ध्यान देगी। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो वह समिति को अपने सुझाव भेज सकते हैं और वह समिति के समक्ष साक्ष्य भी दे सकते हैं।

†**डा० मा० श्री अणे :** क्या इस समिति की भ्रमण की योजना में सांस्कृतिक केन्द्र अमरावती का दौरा सम्मिलित है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य समिति को यह सुझाव दे सकते हैं।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति की कोई तिथि निर्धारित की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने समिति से प्रतिवेदन की प्रस्तुति में शीघ्रता करने की प्रार्थना की है और उसने हमें सूचित किया है कि दिसम्बर के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

पंजाब नेशनल बैंक

+

†***अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४.** { **श्री त्यागी :** / **श्री अमजद अली :** / **श्री अ० मु० तारिक :** }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पंजाब नेशनल बैंक के खातेदारों में पैदा किये गये आकस्मिक और अवांछनीय भय का स्रोत जानने में सफल हुई है ;

(ख) क्या सरकार बैंक के वित्तीय रूप से ठोस होने के बारे में सन्तुष्ट है ;

(ग) पिछले शुक्रवार को बैंक के पास कितनी ऐसी आस्तियां थीं जिन्हें बेच कर रुपया लिया जा सकता था ;

(घ) क्या यह सच है कि क्या इस बैंक की ऐसी आस्तियां जिन्हें बेच कर रुपया लिया जा सकता है, उनकी प्रतिशतता स्टेट बैंक को छोड़ कर अन्य सब बैंकों से अधिक है ;

(ङ) क्या यह सच है कि बैंक शनिवार को देर तक और रविवार को भी खातेदारों को भुगतान करने के लिये खुला रहा ; और

(च) दिल्ली और नई दिल्ली में इस बैंक की विभिन्न शाखाओं ने शनिवार और रविवार को कितनी राशि का भुगतान किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इस विषय में कुछ आरोपों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, परन्तु व्यापक पड़ताल के बिना उनकी पुष्टि करना या खंडन करना संभव नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नक़दी, रिजर्व बैंक के पास अवशेष और अनुमोदित प्रत्याभूतियों में धन विनियोजन की राशि शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६० को ६२ करोड़ रुपये के लगभग थी ।

(घ) क्योंकि बैंकों की ऐसी आस्तियों की प्रतिशतता, जिन्हें बेच कर रुपया लिया जा सकता है, दिन प्रति दिन बदलती रहती है, कोई स्पष्ट विवरण देना संभव नहीं, परन्तु पंजाब नेशनल बैंक की ऐसी आस्तियां सदैव अच्छी रही हैं ।

(ङ) जिन शाखाओं से धन निकाला गया था, उनके बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई, परन्तु यह अनुमान है कि दिल्ली और नई दिल्ली में बैंक की शाखायें शनिवार, २७ अगस्त, १९६० को रात्रि के १२ बजे तक और रविवार, २८ अगस्त, १९६० को लगभग पांच या छः बजे सायंकाल तक खुली रही ।

(च) जनहित में ये आंकड़े प्रकाशित करना वांछनीय नहीं है, परन्तु दोनों दिन जितना रुपया निकाला गया, उससे अधिक राशि बैंक के पास थी ।

†**श्री त्यागी** : भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस भय के स्रोत की जांच करने का आदेश पहले ही दे दिया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम जांच करवा रहे हैं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या वित्त मंत्री को पता है कि बैंक के एक अत्युच्च पदाधिकारी ने अपने एक सम्बन्धी को २ करोड़ रुपये का ऋण दिया है और इस कारण लोगों के दिलों में भय छा गया ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे इसका पता नहीं है ।

†**श्री कमल नयन बजाज** : क्या यह सच है कि आज प्रातः खातेदारों ने पुनः बैंक में आना आरम्भ कर दिया है और एक शाखा में ७ लाख रुपये से अधिक जमा हो गये हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी हां, यह साढ़े ग्यारह बजे की सूचना है और अब दिल्ली में स्थिति साधारण है । जिन खातेदारों ने धन निकाला था, उन में से कुछ लोग धन जमा करा रहे हैं । एक ही शाखा में ७ लाख रुपये आ गये हैं, यह सच है ।

†**श्री मणियंगाडन** : उस बैंक में खातेदारों की कितनी राशि जमा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : लगभग १५० करोड़ रुपये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा था कि कुछ लोग शरारत करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्होंने ही यह किया है । क्या रिजर्व बैंक या सरकार उन लोगों का पता लगा सकती है और ऐसी समाजविरोधी बात करने के लिये उन के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरराजी देसाई :** यदि इस बात का कोई साक्ष्य मिल जाये तो निश्चय ही सरकार उन के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार करेगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बैंक ने अपने कुछ ऊंचे पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और कुछ दूसरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार किया गया है, और इस कारण उन लोगों ने यह शरारत करना आरंभ किया, जिस के परिणामस्वरूप यह सब कुछ हुआ है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं । इसलिये मेरे लिये उनकी सत्यता या मिथ्यापन बताना संभव नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल:** क्या इस बैंक में खातेदारों की भागदौड़ से अन्य किसी बैंक पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी, नहीं और मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा ।

†**श्री राधा रमण :** जैसाकि वित्त मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में स्थिति साधारण हो गई है, क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि दिल्ली में ऐसा होने के कारण अन्यत्र भी बैंक में ऐसी ही बात हुई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** सूचना यह मिली है कि अन्यत्र सब जगह स्थिति साधारण है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले आठ दस दिनों में जो बैंकों के फेल होने की एक दो घटनायें हुई हैं, एक पलई बैंक और दूसरे लक्ष्मी बैंक और उसी आधार पर पंजाब नेशनल बैंक के सम्बन्ध में जो यह भगदड़ मची है, तो बैंक जगत के प्रति जनता की आस्था यथावत् बनी रहे, इस के सम्बन्ध में सरकार कुछ पग उठाने की तैयारी कर रही है ?

श्री मोरारजी देसाई: जैसे मैं ने बताया था शुरू में पलई बैंक के डिसकशन पर, एक बैंकिंग एमेंडमेंट बिल लाने का खयाल है ।

†**श्री साधन गुप्त:** माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंक ठोस है, क्या रिजर्व बैंक इन कठिनाइयों में कोई सहायता देने का विचार रखता है और यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता होगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जब तक आवश्यकता अनुभव न हो । मैं नहीं कह सकता कि वहां क्या आवश्यकता है । परन्तु रिजर्व बैंक इस बैंक की अवश्य सहायता करेगा यदि इस की आवश्यकता होगी परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि स्थिति साधारण हो चुकी है, इस की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री जीनचन्द्रन :** माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है क्या उसमें उन्हों ने पंजाब नैशनल बैंक के खातेदारों को भुगतान की गारंटी दी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी, नहीं । मैं कैसे कोई गारंटी दे सकता हूं ? परन्तु बैंक की स्थिति ही यह सब गारंटी देती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ दूसरे बैंकों के कुछ अधिकारी लाइनों में खड़े तथा पंजाब नैशनल बैंक के विरुद्ध प्रचार करते हुए पाये गये और इस के परिणामस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक के खाते दो या तीन दूसरे बैंकों में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे इस का ज्ञान नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बम्बई और मद्रास में कच्चे लोहे के कारखाने

†*८२७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और मद्रास में कच्चे लोहे के जिन छोटे कारखानों की स्थापना की मंजूरी दी गई थी क्या उन की अब स्थापना हो चुकी है ; और

(ख) जिन छोटी घमन भट्टियों में उत्पादन शुरू हो गया है उन में अब तक कुल कितना कच्चा लोहा तैयार किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) छोटे कच्चे लोहे के छः संयंत्रों को, तीन बम्बई में और तीन मद्रास में, उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया है । इस के अतिरिक्त, लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में ग्वालियर के समीप एक इकाई की अनुमति दी गई है । मद्रास में लाइसेंस प्राप्त एक इकाई और ग्वालियर के समीप एक छोटी भट्टी उत्पादन कर रही है, और एक इकाई उड़ीसा में लगातार उत्पादन करती है । उड़ीसा और ग्वालियर की इकाइयों में कुल उत्पादन लगभग १५,२०० टन है । मद्रास इकाई के उत्पादन आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए, जिस के बारे में सूचना मिली है कि उस ने अप्रैल, १९६० से उत्पादन बन्द कर रखा है ।

वैमानिक अनुसन्धान संस्था

†*८३६. **श्री बि० दास० गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई वैमानिक अनुसंधान संस्था स्थापित की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ; और

(ग) इस विषय में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी, हां । यह बंगलौर में स्थापित की जा रही है ।

(ग) प्रयोगशाला के निदेशक तथा कुछ वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी भी नियुक्त किये जा चुके हैं । अधिक वैज्ञानिक कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है ।

ट्रांसौनिक विंड टनल, जो प्रयोगशाला का बड़ा उपकरण है, का डिजाइन तैयार किया जा रहा है । इस उपकरण के कुछ पुर्जों का फ़ैब्रीकेशन भी आरम्भ किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थायी प्रयोगशाला की इमारत का प्लान और अनुमान तैयार करने के लिये वास्तुशास्त्री नियुक्त किये गये हैं। जब तक यह तैयार नहीं होती, काम किराये की अस्थायी इमारत में हो रहा है। पवन शक्ति के प्रयोग संबंधी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

गोहाटी और बरौनी के तेल शोधक कारखाने

†*८३७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी और बरौनी स्थित तेल शोधक कारखानों को पूरे तौर से चलाया जायेगा और पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन किया जायेगा ;

(ख) क्या निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिक कर्मचारी

†*८३८. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थापनों के ८० प्रतिशत औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक असैनिक कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

भारतीय छात्रों के लिये विदेशी पुस्तकें

†*८३९. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री आसर :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय छात्रों के लिये विदेशी पुस्तकें सस्ती दरों पर उपलब्ध करने पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

हिन्द महासागर का अध्ययन

†*८४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद की विशेष समिति के नेतृत्व में हिन्द महासागर का अध्ययन आरम्भ होने जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : समुद्र विषयक अनुसंधान सम्बन्धी विशेष समिति, जो अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद् के तत्वावधान में बनाई गई थी, अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान का प्रबन्ध कर रही है ।

भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार

†*८४१. **श्री आसर :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "चाइना रिकन्स्ट्रक्ट्स" नामक पत्रिका के मार्च, १९६० के अंक में भारत के विरुद्ध प्रचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी, हां । पत्रिका के मार्च, १९६० के अंक का आयात बन्द कर दिया गया है और भारत में इसकी जो प्रतियां परिचालित हैं, उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है ।

बिहार कोयला खानों में उत्पादन

†*८४२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की कोयला खानों के मालिकों को उनके यार्डों से कोयला न उठाये जाने के कारण उत्पादन में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार को कोयला खानों के मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जनवरी से जून १९६० तक बिहार में खानों के प्रवेश द्वार पर माल बढ़ जाने से यही निष्कर्ष निकलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उद्योग से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में यह शिकायत की गई है कि वैगन कम मिल रहे हैं और इस का उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) रेलवे वैगनों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही हैं। सड़क द्वारा माल भेजने के पर्मिट भी उदारतापूर्वक दिये जा रहे हैं।

मनीपुर में अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु

†*८४३. **श्री हाल्दर :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६० के पहले सप्ताह के लगभग मनीपुर में बिशनपुर थाना की हवालात में एक अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु के कारण के बारे में आगे जांच पड़ताल पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जांच अभी पूरी नहीं हुई।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संघ लोक सेवा आयोग की मौखिक परीक्षा

†*८४४. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सेवाएं और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में उम्मीदवारों को लिखित परचों में और मौखिक व्यक्तित्व परीक्षा में दिये गये अंकों में प्रायः बहुत अधिक अन्तर होता है;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय विदेश सेवा के बोर्डों द्वारा तथा क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए अंक देने के संभवतः विभिन्न स्तर अपनाये जाने के कारण नई दिल्ली में इन्टरव्यू के लिए बुलाये गये बहुत से अधिक योग्य उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचता है; और

(ग) क्या इस प्रकार की विषमताओं की जांच की जायेगी और व्यक्तित्व परीक्षा के लिए रखे गये कुल अंक कम करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा जिससे कि परीक्षा को अधिक सन्तुलित बनाया जा सके ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) कुछ मामलों में अन्तर हुआ है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली और मंडलीय बोर्डों में कुछ सामान्य सदस्य रखता है और इस प्रकार इन्टर्व्यू का सामान्य स्तर रखने का प्रयत्न करता है।

(ग) मौखिक परीक्षा के आवंटित अंकों को कम करने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय संस्थाओं को सहायता

*८४५. { श्री श्री नारायण दास :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महत्व की उपयुक्त संस्थाओं का इस दृष्टि से चुनाव किया जा चुका है कि उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी संस्थाएं हैं और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ग) चालू वर्ष में कुल कितनी धन राशि दी गयी और कितनी मंजूर की गयी थी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस योजना के लिये १९६०-६१ के चालू वर्ष के लिये बजट में १३ लाख रुपये का उपबंध है।

राज्य सरकारों को ऋण

*८४६. डा० राम सुभग सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से आयोजना की योजनाओं की कार्यान्विति के लिये भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को कितना ऋण दिया है;

(ख) अब तक कितने ऋण की वसूली हुई है; और

(ग) बकाया ऋण की वसूली कब तक होगी?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सरकारी विभागों में वैज्ञानिक

†*८४७. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे कितने वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जो सामान्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के तौर पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वैज्ञानिकों की कमी है और सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न प्रयोगशालाओं में काम रुक जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी विभागों के वैज्ञानिकों का मुख्यतः वैज्ञानिक कार्य के लिये उपयोग करने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) वरिष्ठ वैज्ञानिकों को सामान्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता है।

(ख) जी, नहीं; परन्तु कभी-कभी अपेक्षित अनुभव प्राप्त वैज्ञानिक कर्मचारियों की नियुक्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयम्बटूर जिला

†*८४८. **श्री आचार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर जिले के तलवाडी फिरका के १० हजार से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रार्थना की गयी है कि उक्त कन्नड़ क्षेत्र को मद्रास से मैसूर राज्य को हस्तान्तरित कर दिया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र की ७५ प्रतिशत से अधिक जनता कन्नड़ भाषी है और वह क्षेत्र मैसूर राज्य के कोल्लेगल तालुक के बिल्कुल निकट है; और

(ग) क्या सरकार ने उस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ?

(ख) मद्रास सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार तलवाडी फिरका में ८१.१५ प्रतिशत लोग कन्नड़ भाषी हैं और फिरका बोल्लेगल तालुक के निकट नहीं अपितु गोबिचेट्टिपल्लयम् तालुक से घिरा हुआ है।

(ग) सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

सस्ते रेडियो सेट

†*८४९. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में सस्ते रेडियो सेट तैयार किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का कारखाने पर क्या मूल्य है; और

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में ट्रान्जिस्टर रेडियो सेट बनाने की कोई अस्थापना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). फिलहाल भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में रेडियो सेट तैयार नहीं किये जा रहे हैं। परन्तु, कम्पनी के उत्पादन कार्यक्रम में शनैः शनैः ऐसी जन उपयोगी वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जायेगा जिनका उत्पादन लाभप्रद आधार पर और प्रतिरक्षा की आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य अत्यावश्यक सरकारी मांगों जैसे कि पुलिस तथा रेलवे की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सके। उस कार्यक्रम में यदि रेडियो सेटों को उचित समझा गया तो उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्बन्ध में यत्न तो किया जा रहा है, परन्तु अभी तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं कया गया है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को शिक्षा संबंधी अनुदान

†*८५०. श्री दे० च० मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक-पूर्व कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां और इकट्ठे अनुदान देने के लिये क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य को दिये जाने वाले वित्तीय अनुदान बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां तो कब; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). जी, हां; दिसम्बर १९५७ में ।

(ग) राज्य सरकार से पहले यह निवेदन किया गया था कि वह अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित राशि में से ही अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा कर लें, या योजना के अन्य सेक्टरों के लिये निर्धारित की गयी राशि में से ही इन आवश्यकताओं को पूरा कर लें परन्तु बाद में, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये योजना में सम्मिलित कल्याण सम्बन्धी अन्य योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुसार, १९५९–६० और १९६०–६१ के लिये राशियां निर्धारित करते समय कुछ राशि बढ़ा दी गयी है । इस प्रकार से द्वितीय योजना में कुल १०.३४ लाख रुपयों की वृद्धि कर दी गयी है, जबकि कुल २२.५२ लाख रुपयों की वृद्धि की मांग की गयी थी ।

राज्यों में कोयले की कमी

†*८५१. श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत के कुछ राज्यों में खास कर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कोयले की बहुत अधिक कमी मालूम हो रही है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है;

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, परन्तु केवल ईंटों को पकाने के लिये "स्लैक" कोयले और घरेलू प्रयोग के लिये साफ्ट कोक की कमी है ।

(ख) सरकारी उपयोग तथा अत्यावश्यक उद्योगों के लिये अपेक्षित कोयले की तुलना में इस प्रकार के कोयले के यातायात को प्राथमिकता कम दी जाती है । उसके परिणामस्वरूप उपलब्ध परिवहन क्षमता की सीमाओं के अन्दर सप्लाई की जाने वाली मात्रा मांग की तुलना में कम पड़

†मूल अंग्रेजी में

जाती है। उस के अतिरिक्त "मुगलसराय के ऊपर" की ओर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की ओर यातायात में बड़ी कठिनाई भी है।

(ग) रेलवे माल डिब्बों की उपलब्धि को बढ़ाने और "मुगलसराय से ऊपर" की ओर यातायात की क्षमता बढ़ाने का पूरा पूरा यत्न कर रही है।

गोपेश्वर मन्दिर

*८५२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १९ अप्रैल १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में स्थित गोपेश्वर मन्दिर के रखरखाव और मरम्मत के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उप मंत्री (डा म० मो० दास) : मामले पर अभी विचार हो रहा है।

(प्रतिरक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम) जातियों के लिए पदों का रक्षण

*†८५३. **श्री द० अ० कट्टी :**
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद रक्षित नहीं रखे गये हैं, जबकि अन्य मन्त्रालयों में वे रक्षित रखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जहां तक प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक पदों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का रक्षण गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाता है। जहां तक सैनिक पदों का सम्बन्ध है, सशस्त्र सेनाओं के कमीशन प्राप्त पदों के लिये कोई स्थान रक्षित नहीं है। जहां तक गैर-कमीशन प्राप्त पदों का सम्बन्ध है, कुछ एक क्षेत्रों के फिलहाल कई यूनिटों के सभी के सभी स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित है। परन्तु प्रतिरक्षा सेवाओं में देश की किसी भी जाति के लिये स्थान रक्षण के सम्बन्ध में कोई सामान्य नियम नहीं है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में भाग (क) में बतायी गयी रियायत के अलावा और किसी भी प्रकार का स्थान रक्षण का नियम लागू करने की फिलहाल आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती केवल मात्र 'गुणों' के आधार पर ही की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†*८५४. **श्री वा० चं० कामले:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने कर्मचारी अभी हाल की हड़-

†मूल अंग्रेजी में

ताल में (१) बर्खास्त किये गये (२) हटा दिये गये (३) मुअत्तिल किये गये और (४) उनकी पदावनति की गयी ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : केन्द्रीय कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये हैं। अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पनडुब्बी विध्वंसक विमान

†*८५५. श्री रामकृष्ण रेड्डी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस पनडुब्बी विध्वंसक विमान के लिये आर्डर दिये गये हैं क्या वह विमान अपने ढंग का पहला विमान है या पहले भी कभी कोई खरीद की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों से, किस कीमत पर और कितने पनडुब्बी विध्वंसक विमान आज तक खरीदे जा चुके हैं; और

(ग) क्या उन में से सभी ठीक हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) पनडुब्बी विध्वंसक विमानों के लिये पहली बार आर्डर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मोटर गाड़ियों की खरीद के लिये पेशगी

†*८५६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी पदाधिकारियों को मोटर-गाड़ियां खरीदने के लिये १२,००० रुपये पेशगी और ६० किस्तों में उसकी वापसी के बजाय अब १४,००० रुपये पेशगी देने और ७० किस्तों में वापसी लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी प्रस्थापना को कार्यान्वित करनेके लिये कितनी अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, हां, परन्तु वह राशि ७० किस्तों में केवल तभी वसूल की जायेगी, जहां वह राशि १२,००० रु० से अधिक होगी।

(ख) यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति इस ऋण के लिये आवेदन करते हैं। उसके लिये जितनी भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, वह पहले से ही निर्धारित राशि में से ही पूरी की जायेगी। यदि इसके लिये और अधिक राशि की आवश्यकता हुई तो उसके लिये सभा से निवेदन करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पश्चिम जर्मन पूंजी का विनियोजन

†*८५७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री आसर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या वित्त मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पश्चिम जर्मन पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी सरकार से और भी बातचीत की गयी है । बातचीत अभी तक जारी है ।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

†*८५८. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इक बाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आचार :
श्री पहाड़िया :
श्री हेमराज :
श्री सरजू पांडेय :

क्या वित्त मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर बिक्री कर की जगह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में परामर्श लिया गया है और इस बारे में मुख्य वित्त मंत्रियों की समिति में भी विचार किया गया था । समिति ने यह सिफारिश की है कि असली रेशम के कपड़ों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क दिया जाये । इस योजना को अन्य वस्तुओं पर भी लागू करने के सम्बन्ध में कोई एक मत निर्णय नहीं किया जा सका और इसलिये यह तय किया गया कि जब तक चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर इस योजना के सम्बन्ध में तजरुबा हासिल नहीं हो जाता तब तक के लिये इस मामले को छोड़ दिया जाये । इस प्रकार के मामलों में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सम्मति से ही कार्य करती है ।

---

†मूल अँग्रेजी में

लोहे और इस्पात का कोटा

†*८५९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के उद्योग निदेशालय लोहे और इस्पात के जिस कोटे की सिफारिश करते हैं क्या उस में लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा कोई कमी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) राज्यों के उद्योग निदेशालयों द्वारा दिये गये आवश्यकता प्रमाणपत्रों पर लाइसेन्स जारी करने में लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय कितना समय लेता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा उद्योग निदेशालय द्वारा निर्धारित किये गये कोटे में कमी कर दी जाती है ताकि उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अन्दर ही लोहा तथा इस्पात का आयात किया जा सके। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा सभी प्रकार से पूरे आवेदन पत्रों पर ही उचित समय के अन्दर आयात लाइसेन्स जारी किये जाते हैं परन्तु कभी कभी ऐसे मामलों में देर लग जाती है जिन के आवेदन पत्रों में कुछ कमी या त्रुटि रह जाती है।

लोहा और इस्पात के स्टाक रखने वाले व्यापारी

†*८६०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने व्यापारी हैं जो लोहे और इस्पात का स्टाक रखते हैं और १९५५ से उन की संख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ती गयी है;

(ख) स्टाक रखने वाले इन व्यापारियों को नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है;

(ग) इन व्यापारियों पर कौन सा अभिकरण नियंत्रण रखता है; और

(घ) इस वर्ष दोषी व्यापारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का क्या विवरण है ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

१९५५ से लेकर लोहा और इस्पात का स्टाक रखने वालों की स्थिति इस प्रकार से है :—

	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०
१. निर्यात स्टाक होल्डर						
(१) स्वदेशी	७९	९४	९८	१११	११७	११८
(२) आपातित	२२	७४	११३	९०	८५	८५
कुल	१०१	१६८	२११	२०१	२०२	२०३
२. रजिस्टर्ड स्टाक होल्डर	२१६१	२१८७	२४०२	२४८९	२५६१	२५९२
३. नियंत्रित स्क्रप व्यापारी	१२५	१५६	१९८	२२६	२३९	२६०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रजिस्टर्ड स्टाक होल्डर तथा नियंत्रित स्क्रैप लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा केवल राज्य सरकारों की सिफारिश पर ही नियुक्त किये जाते हैं। नियंत्रित स्टाक होल्डर सीधे ही लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा नियुक्त कर दिये जाते हैं या उन व्यक्तियों की योग्यता के सम्बन्ध में तसल्ली कर लेने पर राज्य सरकारों की सिफारिश पर नियुक्त किये जाते हैं।

(ग) नियंत्रित स्टाक होल्डरों पर सीधा ही लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों और नियंत्रित स्क्रैप व्यापारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धित राज्यों के इस्पात लाइसेन्स दाता प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है। लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(घ) १९६० में १० नियंत्रित स्टाक होल्डरों, ३ नियंत्रित स्क्रैप व्यापारियों तथा ११० रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों को 'कारण बताओ' नोटिस (शो काज नोटिस) निलम्बन आदेश (सस्पेन्शन आर्डर्स) या चेतावनी पत्र (वार्निंग लेटर्स) जारी कर दिये गये हैं।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये सलाहकार समिति

†*८६१. { श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री ११ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति द्वारा अपने अट्ठानवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश के अनुसार गृह-मंत्री के साथ सम्बद्ध होने के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये एक सलाहकार समिति स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : यह निर्णय किया गया है कि अन्दामन तथा निकोबार द्वीपों के लिये एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की जाये। समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

कलकत्ते में जाली सिक्के बनाने के केन्द्र

†*८६२. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ जून, १९६० को कलकत्ते में बराभपुर थाने के अन्तर्गत बेलघोरिया में जाली सिक्के बनान का एक केन्द्र सभी आवश्यक साज सामान और सामग्री के साथ पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). २५ जून, १९६० को बरनगोरे पुलिस ने एक व्यक्ति को बलघोरिया बाजार में गिरफ्तार किया था जब कि वह २५ नये पैसे के एक जाली सिक्के को चलाने वाला था। पुलिस ने उससे एक रुपये का जाली सिक्का भी पकड़ा था। और उस के घर से ३९ एक रुपये के जाली सिक्के और जाली सिक्के बनाने वाले कुछ उपकरण तथा सामान पकड़ा था। इस सम्बन्ध में कुछ और व्यक्ति भी पकड़े गये हैं और सम्पूर्ण मामले की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संगीत नाटक अकादमी

*८६३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के बाद से भारत सरकार ने इसे कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या उपरोक्त धनराशि के प्रयोग पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(ग) यदि हां, तो यह धन राशि किस ढंग से व्यय की गई ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) संगीत नाटक अकादमी को अपने काम के लिये अब तक कुल ४८,१५,३९० रुपये दिये गये हैं ।

(ख) जी हां । एक्जीक्यूटिव बोर्ड और फाइनेन्स कमेटी में अपने प्रतिनिधियों के जरिये इस के अलावा उन का हिसाब ए० जी० सी० आर० देखता है ।

(ग) माननीय सदस्य संगीत नाटक अकादमी की रिपोर्ट १९५३—५८ देखने की कृपा करें। इस की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में हैं ।

सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में उत्पादन

†*८६४. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में १९५९–६० में कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या १ करोड़ ५० लाख टन उत्पादन का लक्ष्य इस वर्ष पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बढाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) ७१.१० लाख टन, ४८.५० लाख टन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा और २२.६० लाख टन सिंगरेनी कोयला खानों द्वारा;

(ख) लक्ष्य १६१ लाख टन का है जिनमें सिंगरेनी कोयला खानों के लिये २६ लाख टन भी सम्मिलित है । आशा है कि मार्च, १९६१ के अन्त तक उत्पादन बढ़ कर ११५ लाख टन प्रतिवर्ष हो जायेगा ।

(ग) मार्च, १९६१ के अन्त तक १६१ लाख टन के उत्पादन के लिये जमीन सम्बन्धी सभी प्रबन्ध कर लिये जायेंगे । आशा है कि सरकारी क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही उतना उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ।

तस्कर व्यापार

†*८६५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा का एक विमान चालक सोमवार, ८ अगस्त, १९६० को पालम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या वह ४ हजार रुपये के भारतीय यात्री चैक चोरी-छिपे ले जा रहा था ;

(ग) क्या उक्त विमान चालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी; और

(घ) जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । उस के पास ३६६२.६६ अमरीकन डालरों के यात्री चैक, २० पाउन्ड स्टर्लिंग के यात्री चैक, और एक पाउन्ड स्टर्लिंग, ४२५ हांगकांग डालर और ६ मलाया के डालर नकद पाये गये ।

(ग) उसे समुद्र उत्पादन अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अतिक्रमण के कारण गिरफ्तार किया गया था और नई दिल्ली के रेजिडेन्ट मेजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिस ने उसे जमानत पर छोड़ दिया था ।

(घ) जांच अभी चल रही है ।

लन्दन में जीवन बीमा निगम का व्यापार

†*८६६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह ।
श्री पांगरकर :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वित्त** मंत्री १६ फरवरी, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में जीवन बीमा निगम के व्यापार का विस्तार करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

टैगोर जन्म शताब्दी समारोह

†*८६७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ अप्रैल, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उन की कृतियों के प्रकाशन के बारे में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : देवनागरी लिपि में १०१ कवितायें प्रकाशित की गयी हैं जिन की टीका भी हिन्दीमें हैं । ५०० गीतों की एक जिल्द छप

†मूल अंग्रजी में

चुकी है और इस समय उन की जिल्द बांधी जा रही है। इसके अतिरिक्त २१ लघुकथाओं को गुजराती, मराठी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। शेष कृतियां या तो प्रकाशन के लिय तैयार की जा रही हैं या छप रही हैं ।

दिल्ली में राज्यों के सम्पर्क पदाधिकारी

†* ८६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारें विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग में मामलों को आगे बढ़ाने के लिये दिल्ली में एक सम्पर्क पदाधिकारी रखने के लिये बाध्य हुई है; और

(ख) क्या इस प्रकार की आवश्यकता दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हमें यह सूचित किया है कि उस ने दिल्ली में एक सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किया है जो कि सामान्य मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित करेगा और विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों, समितियों आदि में अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ।

रेणुका राय समिति

†* ८६९. **श्री तंगामणि :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री २४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में रेणुका राय समिति की सिफ़ारिशों पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) और (ख). उन सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

रद्दी लोहे तथा इस्पात का निर्यात

†*८७०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९६० में वस्तु विनिमय के अन्तर्गत निर्यात-योग्य रद्दी लोहे और इस्पात की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह अधिकतम सीमा क्या है ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). वर्ष के लिये घोषित की गई व्योरेवार निर्यात नीति के अधीन निर्यात योग्य मात्रा में से दो तिहाई मात्रा का निर्यात वस्तु विनिमय के आधार पर किया जायेगा । आशा है कि लगभग ३६०,००० टन का निर्यात किया जा सकेगा, इसलिये वस्तु विनिमय के लिये २४०,००० टन की मात्रा निर्धारित की गई है ।

मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) में प्राचीन अवशेषों का सर्वेक्षण

†१६३१. श्री पांगरकर : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के ग्राम आधार पर प्राचीन अवशेषों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई में स्मारक

†१६३२. श्री पांगरकर : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५९-६० में भूतपूर्व बम्बई राज्य के केन्द्रीय रक्षित स्मारकों के संधारण तथा मरम्मत के लिये निर्धारित सम्पूर्ण राशि का इस्तेमाल कर लिया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : ९० प्रतिशत से अधिक राशि का इस्तेमाल कर लिया गया है ।

राजनीतिक पीड़ित

†१६३३. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में बम्बई राज्य के राजनीतिक पीड़ितों तथा उन के परिवार के व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) १८ ।

बम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

†१६३४. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई उच्च न्यायालय में ऐसे कितने मामले हैं जोकि २ वर्ष, ३ वर्ष और ५ वर्ष से विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वेस्ट मिन्स्टरबैंक, लन्दन में हैदराबाद का धन

†१६३५. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या गृह-कार्य मंत्री ११ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टमिन्स्टर बैंक, लन्दन से भूतपूर्व हैदराबाद रियासत की दस लाख स्टर्लिंग की वसूली के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसका फैसला कब तक हो जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). १५ मार्च, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या १००८ का उत्तर दिये जाने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

राजस्थान में ताम्बे के निक्षेप

†१६३९. श्री न० म० देब : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में तांबे के निक्षेपों की प्राक्कलित मात्रा क्या है ?

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : भारतीय खान ब्यूरो द्वारा झुनझुनू जिले के खेतरी के तांबे के क्षेत्र के माधन-कुधान सेक्शन में किये गये छेदन कार्यों के परिणामस्वरूप निम्न-लिखित निक्षेपों का पता लगा है :—

(१)	०.८ प्रतिशत तांबा . . .	२८४ लाख टन
(२)	१.६ प्रतिशत तांबा . . .	९२ लाख टन
(३)	२.५ प्रतिशत तांबा . . .	२६ लाख टन

इसके अतिरिक्त अलवर जिले के दरीबा क्षेत्र के निक्षेपों का भी अस्थायी अनुमान लगाया गया है और उस के अनुसार वहां २.५ प्रतिशत तांबे के अंश वाला लगभग ५००,००० टन अयस्क है ।

उड़ीसा में सोने की खानें

†१६३७. श्री न० म० देब : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा में हाल ही में कोई सोने के निक्षेप पाये गये हैं ?

†खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित भागों में सोने की विद्यमानता का पता चला है :—

धेनकनाल, धेनकानल अथमालिक, क्योंझार, पुरी, सुन्दरगढ़ बोनाई, सुन्दरगढ़ गंगपुर, मयूरभंज, कटक, कोरापुट और सम्बलपुर ।

परन्तु उन में से कहीं भी इतना अधिक सोना नहीं पाया जाता कि वह लाभप्रद सिद्ध हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय और पटसन से आय

†१६३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में आसाम से भारत सरकार द्वारा चाय और पटसन से कितना राजस्व प्राप्त किया गया है ;

(ख) उसी वर्ष आसाम से निर्यात की गई उक्त दोनों वस्तुओं से कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ; और

(ग) १९५९-६० में आसाम राज्य को केन्द्रीय अनुदान के रूप में तथा उक्त दोनों वस्तुओं के विकास के लिये कितनी राशि दी गई थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) आसाम में चाय और पटसन से प्राप्त हुए राजस्व के बारे में अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुवार आंकड़े सम्पूर्ण देश के लिये इकट्ठे ही रखे जाते हैं ।

(ख) भुगतान शेष के आंकड़े सम्पूर्ण देश के लिये इकट्ठे रखे जाते हैं, और विदेशी मुद्रा प्राप्ति के आंकड़े भी अलग अलग राज्यों की दृष्टि से नहीं रखे जाते ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बिहार में पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†१६३९. **श्री श० चे० गोडसोरा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये बिहार सरकार को कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) क्या छात्रवृत्तियों के लिये मंजूर की गई राशि का उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) इस योजना से उस राज्य के कितने विद्यार्थियों को लाभ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) १९५९-६० में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों आदि के लिये बिहार द्वारा की गई कुल मांग और उसे दी गई राशि के सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	बिहार सरकार द्वारा मांगी गई राशि (रुपये)	मंजूर की गई राशि (रुपये)
(१) अनुसूचित जातियां . . .	५,९८,१००	२,३७,७००
(२) अनुसूचित आदिम जातियां . .	६,४३,०००	५,८२,०००
(३) अन्य पिछड़े वर्ग . . .	९,८८,९००	८,४५,०००
कुल .	२२,३०,०००	१६,६४,७००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां ।

(ग) ८,७७५ विद्यार्थी ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†१६४०. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय सहायता से कितने मकान तैयार किये गये थे; और

(ख) उक्त प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गयी थी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आलवा)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में दो अनुसूचित आदिम जातियां हैं और अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :

	मंजूर की गयी राशि		बनाये गये मकानों की संख्या	
वर्ष	राज्य योजनायें	केन्द्रीय योजनायें	राज्य योजनायें	केन्द्रीय योजनायें
५८-५९	२.५० लाख रुपये	११.२५ लाख रुपये	५८९	जानकारी उपलब्ध नहीं ।
५९-६०	२.५० लाख रुपये	८.५० लाख रुपये	७४० तैयार किये गये और ३५१ को सुधारा गया	७.२

उत्तर प्रदेश में आयकर की बकाया राशियां

†१६४१. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६० को उत्तर प्रदेश से आयकर की कितनी राशि बकाया रह गयी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये पानी संबंधी सुविधाएं

†१६४२. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों को जल सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये १९५६-५७ से १९५९-६० तक के वर्षों में केन्द्रीय योजनाओं के अधीन कितने कुएं मंजूर किये गये थे; और

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आलवा)**: (क) केन्द्रीय योजनाओं के अधीन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये दी गयी राशि में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हिमाचल प्रदेश के लिये कोई भी कुआं मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में ताम्बे के निक्षेप

†१६४३. **श्री न० म० देब** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में पाये गये तांबे के निक्षेप की मात्रा देश की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : राजस्थान में अभी तक खोजे गये तांबे के अयस्क के निक्षेपों की मात्रा देश की मांग को केवल कुछ अंश तक ही पूरा कर सकेगी।

मद्रास के व्यापारी द्वारा पाकिस्तान ले जाया गया धन

१६४४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कासिम अली एण्ड कम्पनी बन्दर स्ट्रीट, मद्रास के मालिक कासिम अली ने अपने तीन भवन, ३,५१,००० रुपये में बेच दिये और वह यह धन पाकिस्तान ले गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कासिम अली ने भारत छोड़ने से पूर्व मद्रास तथा दक्षिण भारत के लिये एस्ट्रेला बेट्रीज, पार्ले प्रोडक्टस और सिगरेट की एजेंसी मैसर्स पोपटलाल एण्ड सन्स को ५ लाख रुपये में बेचने के अतिरिक्त आयात के लायसेंस भी बेच दिये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान जाने से पहले उक्त कासिम अली ने कलकत्ता में एक झूठ-मूठ का दफ्तर खोला था और मद्रास तथा कलकत्ता दोनों दफ्तरों में घाटा दिखा कर सारा पैसा हथिया लिया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त कासिम अली ने पहले भी बड़ी धन राशि पाकिस्तान को भेजी थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सरकार को जो सूचना मिली है उससे पता चलता है कि श्री कासिम अली ने अपने तीन मकान लगभग २४०,००० रुपये में बेचे थे। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि यह रुपया पाकिस्तान भेज दिया गया, लेकिन जांच-पड़ताल हो रही है। उन्होंने अपना फर्म और साथ ही फर्म का नाम, अपना आयात (इम्पोर्ट) लाईसेंस, और एस्ट्रेला बैटरियों, पार्ले प्रोडक्ट्स और सिगरेटों के लिये मद्रास और दक्षिण भारत की एजेंसी २,४६,००० रुपये में बेच दी थी।

(ग) जांच पड़ताल की गयी है, लेकिन नकली (बोगस) दफ्तर के खुलने का कोई सबूत नहीं मिला।

(घ) और (ङ). इस मामले में छानबीन हो रही है।

पट्रोलियम उत्पाद

†१६४५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड ने पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के सम्बन्ध में कोई योजनायें बना ली है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). आशा है कि ब्यौरेवार प्रथम प्रावस्था की योजना शीघ्र ही प्रा त हो जायेगी। परन्तु तब तक के लिये कमी की वस्तुओं जैसे मिट्टी के तेल तथा हाई स्पीड डीजल आयल के आयात के लिये प्रबन्ध कर लिया गया है और उन वस्तुओं का प्रथम खेप यहां पहुंच भी गया है। सरकारी ग्राहकों को इनकी बिक्री शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जायेगी। सामान्य जनता तक इन वस्तुओं की बिक्री के लिये सहकारी संस्थाओं को भी उस सूची में गिन लिया जायेगा।

सहकारी उद्योग अनुसंधान संस्थायें

†१६४६. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फाउण्ड्री सीमेन्ट, अभ्रक, ऐलक्ट्रानिक्स, लघु मशीनरी निर्माण, जूते तथा मोटर गाड़ी उद्योग के लिये सहकारी अनुसन्धान सन्था के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : जूतों और लघु मशीनरी निर्माण उद्योगों के लिये सहकारी अनुसन्धान सन्थाओं के निर्माण के लिये फिलहाल कोई योजना नहीं है ; फाउण्डरी, सीमेन्ट, एलेक्ट्रानिक्स तथा मोटर गाड़ी उद्योगों के लिये अनुसन्धान सन्थाओं के निर्माण के सम्बन्ध में उद्योगों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है।

अभ्रक उद्योग के लिये सन्था स्थापित करने की योजना छोड़ दी गयी है क्योंकि केन्द्रीय शीशा तथा चीनी मिट्टी अनुसन्धान संस्था कलकत्ता में अभ्रक के बारे में अनुसन्धान के लिये एक पृथक् विभाग स्थापित करने के लिये एक योजना है।

जिप्सम से गंधक का निर्माण

†१६४७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप्सम से गन्धक के निर्माण के लिये कोई योजना बना ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हरिजन कल्याण

†१६४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री वै० च० मलिक :
श्री पांगरकर :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेहतरों द्वारा सिर पर टोकरी में मल उठाने की रीति को समाप्त करने के लिये एक योजना तैयार करने के लिये केन्द्रीय हरिजन कल्याण परामर्शदाता बोर्ड द्वारा नियुक्त की गयी उस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

खाद्य तथा असैनिक संभरण निदेशालय, दिल्ली

† १६४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न सख्या ११५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा असैनिक सम्भरण निदेशालय को स्थायी घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा असैनिक सम्भरण निदेशालय को एक स्थायी विभाग के रूप में घोषित कर दिया गया है ।

रेलवे बुकिंग एजेंसी, दिल्ली में हत्या

†१६५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या ११७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बुकिंग एजेन्सी, दिल्ली में मरे हुए पाये गये दो पहरेदारों की हत्या के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). उस सम्बन्ध में अभी तक जांच की जा रही है ?

विशिष्ट सहायता अधिनियम ?[1]

†१६५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या विधि मंत्री १६ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट सहायता अधिनियम सम्बन्धी विधेयक के प्रारूपण तथा पुरःस्थापन के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** जिन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से उत्तर आये हैं उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

गाड़ी से धन की चोरी

†१६५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २५ सितम्बर, १९५९ की रात को गाजियाबाद में पार्सल एक्सप्रैस में से धन के चोरी हो जाने के मामले के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** उस धन के सम्बन्ध में कुछ भी सुराग नहीं मिला है और न ही जिम्मेदार व्यक्ति पकड़े गये हैं, इसलिये जांच का कार्य समाप्त कर दिया गया है। अब जिम्मेवार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है।

राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन

†१६५३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: प्रस्तावित राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन के रूप और इसकी स्थापना के तरीके के बारे में देश में विभिन्न इंजीनियरी समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Specific Relief Act.

अन्तरिक्ष अनुसन्धान समिति

†१६५४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष अनुसंधान समिति की सदस्यता के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है ।

रुपया निधि का उपयोग

†१६५५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **वित्त** मंत्री १९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से प्राप्त वस्तुओं के विक्रय से बनी रुपया निधि के एक भाग का उपयोग करने के लिये प्रविधिक शिक्षा की भिन्न-भिन्न योजनाओं पर विचार कर लिया गया है और उनको कनाडा के प्राधिकारियों के परामर्श से अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भिन्न भिन्न योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

राष्ट्रीय विज्ञान संस्था

†१६५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि भारत की राष्ट्रीय विज्ञान संस्था को ब्रिटेन की रायल सोसायटी के स्तर पर बनाने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: भारत की राष्ट्रीय विज्ञान संस्था एक गैर-सरकारी संगठन है जो १८६० के समिति अधिनियम २१ के अधीन पंजीकृत है । ब्रिटेन की रायल सोसायटी के स्तर पर संस्था को बनाना संस्था के सदस्यों और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के हाथ में है।

उड़ीसा में समाज कल्याण कार्य

†१६५७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में उड़ीसा को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सामाजिक तथा नैतिक सुधार और बाद की देखभाल कार्यक्रमों के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य में कितने केन्द्रीय समाज कल्याण केन्द्र हैं (वे किस किस स्थान पर स्थित हैं); और

(ग) इन योजनाओं के लिये वर्ष १९६०–६१ के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि मंजूर की गयी है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कल्याण विकास परियोजनायें-३,५१,५०० रुपये और सामाजिक तथा नैतिक सुधार और बाद की देखभाल कार्यक्रम–८७,१७३ रुपये।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) (१) वर्ष १९६०–६१ में कल्याण विकास परियोजनाओं पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अंश के लिये उड़ीसा राज्य बोर्ड को देने के लिये ४,९४,५५० रुपये की धनराशि का उपबन्ध किया गया है। व्यय को देखते हुए धीरे धीरे धनराशि दी जाती है।

(२) उड़ीसा में वर्ष १९६०–६१ में सामाजिक तथा नैतिक सुधार और बाद की देखभाल कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिये १,३४,००० रुपये आवंटित किये गये हैं। यह धन मासिक किश्तों में मार्गोपाय अग्रिम धन के रूप में दिया जा रहा है और इसको वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की जाने वाली भुगतान की मंजूरी में समायोजित कर लिया जायेगा।

उड़ीसा में योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां

†१६५८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष१९५९–६० में उड़ीसा में प्रत्येक प्रविधिक संस्था को (उनके नाम समेत) कितनी योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां आवंटित की गयी हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्ति योजना के अधीन वर्ष १९५९–६० में उड़ीसा में प्रविधिक संस्थाओं को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:

संस्था का नाम	आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या
क—प्रथम डिग्री पाठ्य-क्रम वाली संस्थायें	
१. कालिज आफ़ इंजीनियरिंग, बरला .	७
ख—डिप्लोमा पाठ्यक्रम वाली संस्थायें	
२. झरसागुडा स्कूल आफ़ इंजीनियरिंग, झरसागुडा . .	२
३. उड़ीसा स्कूल आफ़ इंजीनियरिंग, कटक . .	३
४. बरहमपुर इंजीनियरिंग स्कूल, बरहमपुर .	२
५. उड़ीसा स्कूल आंफ़ इंजीनियरिंग, क्योन्झारगढ़	१
६. स्कूल आंफ़ इंजीनियरिंग, भद्रक	२
कुल . . .	१७

†मूल अंग्रेजी में

समाचार-पत्र और पत्रिकायें

१६५९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना को कौन-कौन से समाचार-पत्र और पत्रिकायें दी जाती हैं ;

(ख) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय कोई पत्रिकायें प्रकाशित करता है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या और वे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) भारतीय सेनाओं को वितीर्ण किए जाने वाले समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की सरकार ने कोई विशिष्ट सूची मुकर्रर नहीं कर रखी है । प्रत्येक यूनिट का आफ़िसर कमांडिंग, इस मतलब के लिए सरकार द्वारा यूनिट को दी ग्रांट से, सैनिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उन्हें, अपनी सूझबझ के अनुसार खरीदता है ।

(ख) तथा (ग). प्रतिरक्षा मंत्रालय कोई पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं करता । तदपि, मंत्रालय के अधीन, कुछ संस्थाएं ऐसा करती हैं । पत्रिकाओं की संख्या और जिन भाषाओं में वह प्रकाशित होती हैं, उनका विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है :—

९ केवल अंग्रेज़ी में ।
१ अंग्रेज़ी, हिन्दी, बंगाली, तामिल और मराठी में ।
१ अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू, गौरखाली, पंजाबी, मराठी, तामिल और तिलगु में ।
१ अंग्रेज़ी में, हिन्दी विभाग सहित ।

अन्दमान को बसाना

१६६०. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में २००० एकड़ से अधिक भूमि को कृषि योग्य बना कर वहां ४०० परिवारों को बसाने की योजना के संबंध में, जिसका उल्लेख गृह-कार्य मंत्रालय की १९५९–६० की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा ६ में किया गया है, क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भूमि को कृषि योग्य बनाने और वहां परिवारों को बसाने पर अनुमानत : क्या खर्च होगा ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) वर्ष १९६० में परिवारों को बसाने के लिए कुल २,१७५ एकड़ भूमि को साफ किया गया । अब तक ३६४ परिवारों को बसाया गया है ।

(ख) १९५९–६० में इन परिवारों को बसाने के लिए ७,३३,६०२ रुपये २६ नये पैसे खर्च किए गये । भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए लगभग ५,१८,७१६ रुपये ५८ नये पैसे का खर्च हुआ, जिसमें अप्रैल, १९६० में दिए गये स्टोर्स, यातायात और खर्च के कुछ अन्य अल्प मद शामिल नहीं हैं ।

हिन्दी असिस्टेंट

१६६२. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी असिस्टेंटों के सभी पद अस्थायी हैं और वे किसी भी समय समाप्त किये जा सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का उद्देश्य भविष्य में खाली होने वाले पदों को भरने के लिये उम्मीदवारों की सूची बनाना था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन हिन्दी असिस्टेंटों को, जो काम कर रहे हैं, जून, १९५९ की परीक्षा में बैठने के लिये कोई आदेश जारी किये गये थे ?

गृह- र्य मंत्राल : में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस स्कीम में सांझी मंत्रालयों/दफ्तरों में हिन्दी असिस्टेंटों के पद अभी अस्थायी हैं ।

(ख) जून, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई हिन्दी सहायकों की परीक्षा का उद्देश्य यह था कि जब कभी हिन्दी असिस्टेंटों की आवश्यकता हो तो योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाय । इस में वर्तमान तथा भविष्य की रिक्तिया शामिल थीं ।

(ग) ऊपर भाग (ख) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए ऐसे कोई आदेश आवश्यक नहीं थे ।

शस्त्र नियम

१६६३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो शस्त्र नियम बनाये जा रहे थे, क्या वे तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की प्रतियां कब तक उपलब्ध की जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के कब तक तैयार होने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ग). राज्य सरकारों के विचार पूछे गये हैं । उन की प्राप्ति पर नियमों को तैयार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आय-कर की बकाया

†**१६६४. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आय-कर की कोई १०० करोड़ रुपये की बकाया रकम बट्टे खाते में डालने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक धनराशि कितनी है ; और

(ग) सरकार इस राशि को किस कारण से वसूल नहीं कर सकी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२**]

दिल्ली में हत्यायें

१६६५. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, १९६० में दिल्ली में कितनी हत्यायें हुईं ; और

(ख) उन के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) मई और जून, १९६० में १४ हत्यायें हुईं।

(ख)	पहले की शत्रुता	२
	तनावपूर्ण दाम्पत्य सम्बन्ध	२
	वासनात्मक सम्बन्ध	४
	सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़े	२
	सह-अभियुक्त के साथ झगड़ा	१
	रोजगार के सम्बन्ध में झगड़ा	१
	विविध	२
	कुल . . .	१४

सेना में शिक्षा का माध्यम

१६६६. **श्री पद्म देव : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के कर्मचारियों के लिये हिन्दी जानना जरूरी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सेना में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और क्या सैनिक आदेशों का एक शब्द-कोष तैयार किया गया है ; और

(घ) हिन्दी न जानने वाले रंगरूटों को हिन्दी पढ़ाने का क्या प्रबन्ध है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिक्षा की आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट परीक्षा को छोड़ कर, सभी सैनिक परीक्षाओं के लिये, शिक्षा का माध्यम, देवनागरी लिपि में, हिन्दी है।

सैनिक आदेशों की एक शब्दावली तैयार की गई है, जिस में हर आदेश का अंग्रेज़ी-रूप भी दिया गया है।

(घ) यूनिटों में सभी सैनिक सेवी वर्गों के लिये, जिन में अहिन्दी भाषी रंगरूट भी शामिल हैं, नियमित रूप से हिन्दी कक्षायें चलाई जा रही हैं।

दिल्ली में नर्सरी स्कूल

१६६७. **श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नर्सरी स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ख) इस समय कितने नर्सरी स्कूल चल रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १०

(ख) १३।

धन-कर

†१६६८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में धन-कर से कितनी आय हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि धन-कर के मामलों पर निर्णय करने में पर्याप्त विलम्ब होता है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में धन-कर से प्राप्त राजस्व की राशि क्रमश: ९,७५,८३,००० रुपये और १२,०३,७६,००० रुपये है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागा

†१६६९. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री आसर :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागा विद्रोहियों ने हाल ही में माओ के समीप मनीपुर में एक राज्य परिवहन बस पर गोली चलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए और कितनी क्षति हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). २१ मई, १९६० को नागा विद्रोहियों ने इम्फाल से दीमापुर जा रहे एक मनीपुर राज्य परिवहन ट्रक पर माओ के समीप चार गोलियां चलाईं जिस से ट्रक पर ढके हुए तिरपाल को क्षति पहुंची । कोई हताहत नहीं हुआ ।

राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आंदोलन

†१६७०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री २ अप्रैल, १९६०के तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन के बारे में योजना की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आंदोलन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के जरिये फरवरी, १९६० के मध्य में आरम्भ किया गया था । वर्ष १९५९-६० में समूचे देश के लिये विभिन्न राज्यों में और संघ राज्य-क्षेत्रों में ४०० परीक्षण केन्द्र स्थापित किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. आन्दोलन की प्रगति के बारे में कई राज्य सरकारों और केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से अभी प्रतिवेदन नहीं आये हैं। राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से पूरे प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर भारत सरकार केन्द्रों की संख्या और स्थिति (स्थापित किये गये) उन में भाग लेने वालों की संख्या, जनता द्वारा समर्थन आदि के बारे में आन्दोलन की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगी।

३. भारत सरकार का प्रस्ताव है कि इस आन्दोलन को तीव्र किया जाये और १९६०-६१ में इस को जारी रखा जाये।। अत्यधिक कार्य-कुशलता प्राप्त करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं और उन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

दिल्ली में हरिजनों को कानूनी सहायता

१६७१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण बोर्ड ने दिल्ली में हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिये १९५९-६० में कितनी राशि नियत की;

(ख) क्या सारी राशि खर्च हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) ३,००० रुपये।

(ख) जी नहीं। १९५९-६० में १६६० रुपये की राशि खर्च हुई।

(ग) हरिजन कल्याण बोर्ड द्वारा कानूनी सहायता देने के लिये सिफारिश किये गये कुछ मामले सहायता के लिये अपपात्र पाये गये।

अस्पृश्यता निवारण

१६७२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड ने १९५९–६० में अस्पृश्यता निवारण के लिये जो कार्य-क्रम बनाया है उस का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस के लिये क्या प्रचार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) छूत छात की कुप्रथा के विरुद्ध जन मान्यता उत्पन्न करने के लिये हरिजन कल्याण बोर्ड ने १९५९–६० में दिल्ली में चार कान्फ्रेन्स संयोजित करने का निश्चय किया।

(ख) वर्ष में दो हरिजन कान्फ्रेन्स हुईं। छत छात के निवारणार्थ जो विज्ञप्ति की गई, उस में ग्रामीणों को निजी तौर पर मिल कर प्रवृत्त करना, विज्ञापन पत्र व पत्रिकायें बांटना, भजन व कीर्तन तथा अन्तर्जातीय जलपान सम्मिलित हैं।

दिल्ली में कल्याण केन्द्र

१६७३. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमुक्त जातियों के लिये दिल्ली में कितने कल्याण केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) ये कल्याण केन्द्र किस प्रकार के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) तीन ।

(ख) कल्याण केन्द्रों में निम्न सुविधायें दी जाती हैं :—

(१) बच्चों के लिये प्रायमरी से पूर्व की कक्षायें; तथा

(२) विमुक्त जातियों की स्त्रियों के लिये सिलाई तथा पढ़ाई की कक्षायें ।

(३) एक केन्द्र में व्यस्क शिक्षा की कक्षायें भी लगती हैं ।

पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्व

†१६७४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्व की पारस्परिक जानकारी सम्बन्धी यूनेस्को की परियोजना के अधीन भारत में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लुधियाना में भूतपूर्व सैनिक

†१६७५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लुधियाना जिले में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन को अब तक अपनी जीविका के लिये खेती करने के लिये भूमि आवंटित की गयी है; और

(ख) उन्हें अब तक और क्या वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) लुधियाना जिले के ११२ भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न बस्तियों में भूमि आवंटित की गयी है ।

(ख) बसने वालों को ट्रैक्टरों, बैलों, उपकरणों, कुओं/नलकूपों, मकानों और सार्वजनिक इमारतों जैसे पंचायत घरों, बीज गोदामों, औषधालयों और स्कूल की व्यवस्था के रूप में वित्तीय सहायता दी गयी है जो कि मौसम, मिट्टी, भूमि और बसने वालों के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न है ।

प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसंधान

†१६७६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने प्रतिरक्षा विज्ञान में ६० अधिछात्रवृत्तियां प्रदान करने का फैसला किया है;

(ख) अधिछात्रवृत्तियों का क्या ब्यौरा है और उन को किस प्रकार प्रदान किया जायेगा;

(ग) क्या इन छात्रों को इस बारे में विदेश भेजा जायेगा; और

(घ) क्या प्रतिरक्षा विज्ञान में आणविक युद्धकर्म और आणविक प्रतिरक्षा भी सम्मिलित है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिस में आवश्यक ब्यौरा दिया हुआ है ।

विवरण

ये अधिछात्रवृत्तियां २१–३० वर्ष की आयु के उन स्त्री-पुरुषों के लिये हैं जो निम्नलिखित अर्हता रखते हों :

जूनियर अधिछात्रवृतियों के लिये : कम से कम विज्ञान में द्वित्तीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इंजीनियरी/धातुकर्म/उपकरण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री उस विषय के बारे में जिस में अधिछात्रवृत्ति का आवेदन किया गया हो ।

सीनियर अधिछात्रवृतियों के लिये : कम से कम विज्ञान में प्रथम श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अधिछात्रवृत्ति के लिये आवेदित विषय के बारे में इंजीनियरी । धातुकर्म/उपकरण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री जिस के साथ अभ्यर्थी को कम से कम दो वर्ष का अनुसन्धान का अनुभव भी हो । (पी० एच० डी०/डी० एस० सी० वालों को प्राथमिकता दी जावेगी) ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा और अर्हताओं में छूट दी जाती है ।

२. सब आवेदन पत्रों की चुनाव बोर्ड द्वारा जांच की जाती है । अधिछात्रवृत्ति के लिये उपयुक्त समझे जाने वाले अभ्यर्थियों को चुनाब बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से चुनाव के लिये इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है ।

३. चुने गये अभ्यर्थियों को २५० रुपये प्रति माह के हिसाब से एक वर्ष तक, जिस की अवधि दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है, अधिछात्रवृत्ति दी जाती है । ५० में से छः अधिछात्रवृत्तियां (जो सीनियर अधिछात्रवृत्तियां कहलाती हैं) ४०० रुपये प्रति माह की हैं (विशेष विषयों में ५०० रुपये प्रति माह) ।

४. अधिछात्रवृत्तियां भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र गणित-स्टेटिस्टिक्स, उपकरण प्रौद्योगिकी, मशीनीकृत इंजीनियरी, वैज्ञानिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, वैद्युदण्वि की (इलैक्ट्रोनिक्स) धातुकर्म, शरीर-शास्त्र, मनोविज्ञान और जीव-विद्या में दी जाती हैं ।

५. यह योजना वर्ष १९५९–६० से चालू हो कर पांच वर्षों तक चलेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†१६७७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये आश्रम स्कूल खोलने, आदिम जातीय कल्याण अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और आदिम जातीय क्षेत्रों के सांस्कृतिक सर्वेक्षण के लिये द्वितीय

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के लिये कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) वे संगठन कौन से हैं जो उपरोक्त कार्य के लिये सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) उन संगठनों को यह सहायता कब से दी जा रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

बहुप्रयोजनीय स्कूलों का नमूना सर्वेक्षण

†१६७८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक सहकार मिशन दल द्वारा देश में बहुप्रयोजनीय स्कूलों का नमूना सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है ; और

(ग) कितने स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया और किस राज्य में किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) ताकि दल बहुप्रयोजनीय स्कूलों के विकास की समस्याओं और वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर सके और आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर सके जिस के आधार पर दल बहुप्रयोजनीय स्कूलों के और विकास और विभिन्न समस्याओं के सुलझाने के बारे में सिफारिश कर सके ।

(ग) ८३. विभाजन निम्न प्रकार है

आन्ध्र प्रदेश	१५
बिहार	७
बम्बई	९
काश्मीर	१
केरल	५
मध्य प्रदेश	३
मद्रास	११
मैसूर	१२
उड़ीसा	१
पंजाब	३
त्रिपुरा	१
उत्तर प्रदेश	५
पश्चिमी बंगाल	१०
कुल	८३

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां और पिछड़े वर्ग

†१६७९. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'महिला कुटीर शिल्प शिक्षाश्रम' पुरी (उड़ीसा) ने भारत सरकार को एक योजना भेजी है जिस में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की लड़कियों और औरतों की दशा को कला और शिल्प में प्रशिक्षण द्वारा सुधारने के लिये वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां। अप्रैल, १९५९ में एक योजना भेजी गयी थी।

(ख) इसको आवश्यक कार्यवाही के लिये उड़ीसा सरकार को भेज दिया गया और शिक्षाश्रम के अधिकारियों से भी राज्य सरकार से बातचीत करने को कहा गया।

भारतीय एवेरिस्ट अभियान दल

†१६८०. **श्री सुबिमन घोष** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरेस्ट अभियान पर जाने वाले भारतीय दल के पास सारा सामान (कपड़े, उपकरण आदि) भारतीय था ;

(ख) यदि नहीं, तो उनके पास कौन सा ऐसा सामान था जो विदेशी था;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये अगले वर्ष इस दल को या अन्य किसी भारतीय दल को भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दल को सारा सामान भारतीय दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). भारतीय दल के पास ९० प्रतिशत सामान देश में बना हुआ था। तथापि, उन्हें कुछ आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इसका उत्पादन अभी देश में आरम्भ नहीं हुआ है। वे वस्तुएं ये हैं :

रेन्डीयर बूट।

बूटान बर्नर और गैस के सिलन्डर।

नाइलोन के रस्से।

आक्सीजन का सामान।

अभियान दल के पास डाउन और विंडप्रूफ सूट और नाइलोन के बालों के दस्तानों जैसे कुछ अयातित सामान भी थे। चाहे इनकी जरूरत न पड़े परन्तु वह चढ़ने में काम आती हैं। और दल के व्यक्ति इन्हें अपने पास रखते हैं।

(ग) वर्ष १९६१ में एवरेस्ट पर्वत पर कोई भारतीय दल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जहां तक सम्भव हो सकेगा, सब भावी अभियान-दलों को भारतीय सामान दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में चूहों के आतंक से पीड़ित क्षेत्रों में भूख से मौतें

†१६८१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में चूहों के आंतक से पीड़ित क्षेत्रों में हाल ही में भूख के कारण हुई मौतों की कोई जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). २८ मई, १९६० को त्रिपुरा प्रशासन को एक रिपोर्ट मिली कि धर्मनगर सब-डिवीज़न में कञ्चनपुर क्षेत्र के दसदा गांव में भूख के कारण पांच मृत्युएं हुई हैं जिन पर जंगली चूहों ने आक्रमण किया था। धर्मनगर के अतिरिक्त उप-विभागीय पदाधिकारी द्वारा मौके पर की गयी जांच से पता चला कि भूख के कारण कोई मौत नहीं हुई ।

अन्दमान द्वीप समूह के लिये मालवाही जहाज

†१६८२. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्दमान द्वीप समूह के लिये एक मालवाही जहाज की तलाश में है ;

(ख) क्या नौवहन महानिदेशक ने इस प्रयोजन के लिये एक विशेष जहाज की सिफारिश की है ;

(ग) क्या पोर्ट ब्लेयर के हार्बर मास्टर ने जहाज को अस्वीकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताये ;

(ङ) क्या मेसर्ज़ आकूजी जादवेट एंड कम्पनी वही अथवा उसी प्रकार का जहाज खरीदना चाहती है ;

(च) क्या स्थानीय प्रशासन ने इस प्रयोजन के लिये इस सार्थ के आठ लाख रुपये के ऋण के आवेदन-पत्र पर सिफारिश की है ; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क). जी, हां । भारत सरकार को एक जहाज की जरूरत है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(च) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त से परामर्श करने के बाद बम्बई के नौवहन महानिदेशक ने मेसर्ज़ आकूजी जावेदट एंड कम्पनी को अन्दमान के रास्ते नहीं बल्कि तूतीकोरिन/कोलम्बो/तूतीकोरिन-मद्रास रंगून/कलकत्ता के मार्ग के लिये नौवहन विकास निधि से १०·८० लाख रुपये के ऋण की सिफारिश की है ।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उत्तर प्रदेश में राज्य बैंक और रक्षित बैंक की शाखायें

†१६८३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५५ से ३० जून, १९६० तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में भारत के राज्य बैंक की कितनी नई शाखायें और कार्यालय खोले गये और भारत के रक्षित बैंक के कितने कार्यालय खोले गये;

(ख) क्या उपरोक्त नयी शाखाओं और कार्यालयों में किये गये व्यापार से देश भर में रुपये के सौदों में कोई बड़ी वृद्धि दिखाई पड़ी है ; और

(ग) भारत का रक्षित बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों और कृषि कार्यों की किस प्रकार सहायता करेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) राज्य बैंक की इन शाखाओं में किय गये व्यापार से, जोकि मुख्यत: ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में है, समुचित रूप से वृद्धि का पता चला हैजिससे देश भर में रुपये के सौदे में वृद्धि हुई है।

(ग) भारत का रक्षित बैंक कुछ स्वीकृत कुटीर और लघु उद्योगों की सहायता के लिये वित्तीय अनुदान देता है और केन्द्रीय सरकार के लिये लघु उद्योगों को ऋण देने की योजना को चलाता है ।

रक्षित बैंक कुछ कृषि कार्यों के लिये राज्य सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर अल्पकालीन और मध्यम-कालीन ऋण देता है, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र (डिबेन्चर) खरीदता है और सहकारी ऋण संस्थाओं की अंशपूंजी में भाग लेने के लिये राज्य सरकारों की सहायता भी करता है ।

श्रीमती इन्द्राणी रेहमान और उनकी मंडली

†१६८४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इन्द्राणी रेहमान और उनकी मंडली ने अपने हाल के जून और जुलाई, १९६० के अमरीकी दौर पर—विशेषत: शिकागो अन्तर्राष्ट्रीय मेले में और लेस मेसाच्युसेट्स में—रंगमंच पर क्या प्रभाव डाला ;

(ख) क्या दौरे के खर्च के लिये उनको पर्याप्त धन दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो कितना धन दिया गया था ;

(घ) क्या मंडली ने प्रदर्शन के समय प्रवेश-शुल्क के रूप में रुपया वसूल किया ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना रुपया वसूल किया गया और इस निधि से किसको लाभ हुआ ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) भारत सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने शिकागो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और लेस मेसाच्युसेट्स में जैकब पिल्लो मेले—दोनों में बहुत अच्छा प्रभाव डाला। अभी इस बारे में कुछ नहीं

†मूल अंग्रेजी में

कहा जा सकता कि अमरीका में उनका कैसा प्रभाव रहा क्यों कि अभी हमें उस देश में उनके सारे प्रदर्शनों की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). भारत सरकार विदेश जाने वाले प्रत्येक कलाकार को धन नहीं देती । इस विशेष मामले में उनको ३५,००० रुपये की यात्रा सम्बन्धी राज-सहायता दी गयी है जोकि उनक यात्रा व्यय का बड़ा भाग है ।

(घ) और (ङ). मंडली को २,००० डालर का पारिश्रमिक और शिकागो मेला कार्यक्रम में भाग लेने के लिये ३०३ डालर दिये गये थे और जैकब पिल्लो समारोह कार्यक्रम के लिये उनको १००० डालर दिये गये थे । इसके अतिरिक्त कोई पृथक प्रवेश-शुल्क नहीं था और पारिश्रमिक में मंडली के रहने, खाने-पीने और अन्य व्यय शामिल हैं ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिवेदन

†१६८५. **श्री नरसिंहन्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होते हैं ; और

(ख) पिछला प्रतिवेदन किस अवधि के लिये उपलब्ध है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) किसी वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन के लिये सामग्री अगले वर्ष एकत्रित की जाती है और वह भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के रिकार्डों के प्रथम भाग में प्रकाशित होती है । यदि मुद्रण-कार्य में विलम्ब न हो, तो वार्षिक प्रतिवेदन के निकलने में दो वर्ष लग जाते हैं ।

(ख) उपलब्ध पिछला प्रतिवेदन वर्ष १६५४ के बारे में है । वर्ष १६५५, १६५६ और १६५७ के लिये प्रतिवेदन छप रहे हैं और उनके शीघ्र ही निकलने की आशा है । वर्ष १६५८ के लिये प्रतिवेदन लगभग तैयार है और प्रेस में जाने वाला है और वर्ष १६५६ का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है ।

सामुद्रिक अनुसंधान समिति

†१६८६. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक सामुद्रिक अनुसन्धान समिति नियुक्त करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्य कौन कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय सामुद्रिक अनुसन्धान समिति सभी समुद्र विद्या के कार्य के लिये जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान भी शामिल है, राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करेगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. डा० डी० एन० वाडिया, भूतत्वीय परामर्शदाता, अणु शक्ति विभाग, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली ।	प्रधान

†मूल अंग्रेजी में

२. डा० एन० के० पणिक्कर, मत्स्य विभाग परामर्शदाता, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।

३. डा० के० आर० रामनाथन्, निदेशक, भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ।

४. कैप्टेन पुरी, नौसेना के मुख्य जलविज्ञ ।

५. डा० जे० एन० नन्दा, मुख्य वैज्ञानिक पदाधिकारी (नौसेना) प्रतिरक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

६. श्री सी० रामास्वामी, वेधशाला के उप महा-निदेशक, नई दिल्ली (भारतीय ऋतु विभाग के प्रतिनिधि के रूप में) ।

७. डा० डी० लाल, अणु शक्ति आयोग, (टाटा मूलभूत अनुसन्धान संस्था), बम्बई ।

निदेश-पद ये हैं :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान में भारत के भाग लेने के लिये एक समेकित योजना बनाना ।

(ख) सरकारी विभागों, अनुसन्धान संगठनों और विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में कार्य के विभाजन के बारे में परामर्श देना ।

(ग) भारत के भाग लेने के सम्बन्ध में कई वैज्ञानिक तरीकों में अनुसन्धान के लिये व्यौरेवार योजनाओं पर विचार करना और मंजूर करना और वित्तीय अनुदान की सिफारिश करना ।

(घ) अनुसन्धान कार्यों का विकास और समेकन ।

(ङ) अभियान में भारत के भाग लेने के सम्बन्ध में सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना ।

अंडमान के पदाधिकारी

†१६८७. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माया बन्दर और कार निकोबार में सहायक आयुक्तों और पोर्ट ब्लेयर में सहायक राजस्व आयुक्त के पदों के लिये पिछले दो तीन वर्षों में अंडमान में मुख्य-प्रदेश से कितनी अधिकारी भेजे गये;

(ख) तहसीलदारों के स्थायी पदों पर कितने पदाधिकारी काम करते रहे;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें अपने मूल-राज्यों में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के अधिकार प्राप्त थे; और

(घ) क्या इन में से कुछ पदाधिकारियों को वापिस भेजना पड़ा था क्योंकि इन्हें न्यायिक कार्यों का अनुभव नहीं था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) माया बन्दर तथा निकोबार में सहायक आयुक्तों और पोर्ट ब्लेयर में सहायक राजस्व आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिये पिछले तीन वर्षों में मुख्य-प्रदेश से पांच पदाधिकारियों की सेवायें प्राप्त की गयीं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीन पदाधिकारी तहसीलदारों के स्थायी पदों पर काम कर रहे थे और दो पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर/सहायक आयुक्त के पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे।

(ग) दो पदाधिकारियों को दूसरी श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के अधिकार प्राप्त थे और शेष तीन को प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के।

(घ) जी नहीं।

आय-कर आयुक्त कलकत्ता के कार्यालय में भर्ती

†१६८८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने आय-कर आयुक्त, कलकत्ता को अभी हाल ही में कोई आदेश दिया है कि कार्यालय में इन्सपैक्टर और अपर डिवीजन क्लर्कों को सीधे बिहार और उड़ीसा के उम्मीदवारों में से भर्ती किया जाये;

(ख) यदि हां, ऐसा आदेश देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य के आय-कर आयुक्त को यह आदेश दिया गया है कि इन पदों के लिए सीधी भर्ती पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों में से की जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). आय-कर आयुक्त, कलकत्ता को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

स्थिति यह है कि मई, १९५८ में जो प्रतियोगिता-परीक्षा हुई थी, उसमें जितने विद्यार्थी सफल हुए उनकी संख्या सभी आयुक्तों के अधीन इन्कम-टैक्स इंस्पेक्टरों के रिक्त पदों की संख्या से बहुत अधिक थी। इसलिये यह निश्चय किया गया कि सफल उम्मीदवारों को अपर डिवीजन क्लर्कों के पद स्वीकार करने को कहा जाये। इस निश्चय के परिणामस्वरूप यह देखा गया कि कुछ आयुक्तों के अधीन सफल उम्मीदवारों की सूची के सभी व्यक्ति काम पर लगा लिये गये किन्तु कई अन्य स्थानों पर कई उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जा सकी। इन चुने हुए उम्मीदवारों की सूचियों का अधिकतम लाभ उठाने के लिये यह निश्चय किया गया कि विभिन्न आयुक्तों के अधीन पदों को चार खण्डों में वर्गीकृत कर दिया जाये। इन में से एक खण्ड में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आय-कर आयुक्तों के इलाके शामिल हैं। वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल के आय-कर आयुक्त के कार्यालय में बिहार और उड़ीसा के आयुक्तों के कार्यालयों की सूचियों में से किसी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल की अपनी सूची समाप्त नहीं हुई।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में प्लाटों की बिक्री

†१६८९. **श्री दी० चं शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी हाल ही में बस्तियां बसाने वालों की एक फर्म द्वारा जमीन के प्लाटों की जाली बिक्री की गयी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस बात के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) अभी हाल ही में ऐसी कोई बिक्री नहीं हुई ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जीवन बीमा निगम द्वारा बन्धक-ऋण

†**१६९०. श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने बन्धक-ऋण देने का अन्तिम निर्णय कब किया;

(ख) ३० जून, १९६० तक इस प्रकार के ऋणों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) ३० जून, १९६० तक इनमें से कितने आवेदकों को ऋण दिया गया; और

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा एक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में निश्चय करने के लिये कितना समय लिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २५ जनवरी, १९६० ।

(ख) १७८ ।

(ग) ५ ।

(घ) यदि आवेदन-पत्र हर लिहाज से पूर्ण हो तो निगम को मामले के सम्बन्ध में फैसला करने में लगभग ३ सप्ताह लगते हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में नौकरियों के स्थान

†**१६९१. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली में अधिकारियों द्वारा कभी कुछ पद समाप्त कर दिये जाते हैं और फिर कुछ समय के पश्चात् पुनः बना लिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने पद समाप्त किये गये और पुनः बनाये गये ; और

(ग) इनको समाप्त करने और पुनः बनाने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र-पुस्तिकाएं आदि

†१६९२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मन्त्रालय तथा उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट, पत्र, पुस्तिकायें प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रकाशन ऐसे हैं जिनको हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाता है;

(ग) जिन प्रकाशनों को केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है उन्हें हिन्दी में प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) उनको हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). ८ अगस्त, १९६० को जो स्थिति थी उसका दिग्दर्शन कराने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) और (घ). अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग के लिये प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं। जब ये पूरी तरह से क्रियान्वित हो जायेंगे तो शेष रिपोर्टों आदि का प्रकाशन भी हिन्दी में करना सम्भव हो सकेगा।

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

†१६९३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों के चित्र और अनुचित्र भी इस पुस्तक में दिये जायेंगे; और

(ख) इस का मूल्य कितना होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) अभी इस का मूल्य निश्चित नहीं किया गया। किन्तु उत्पादन और वितरण के ऊपर आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए इसे यथा सम्भव कम से कम रखा जायेगा।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी

†१६९४. **श्री शि० न० रामौल :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों को, जो सचिवालय में काम नहीं करते, दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां नहीं दी गयीं और ना ही उनके वेतन में आधा मंहगाई भत्ता मिलाया गया है, जैसा कि पजाब में कार्य करने वाले उनके स्तर के कर्मचारियों के साथ किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है, तो केन्द्रीय सरकार का उन कर्मचारियों को इस कारण होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिये क्या कदम उठाने का विचर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार के उन कर्मचारियों को, जिनका मासिक वेतन १०० रु० से लेकर ४०० रु० तक है, उनके वेतन में दो वर्षों में होने वाली वृद्धि के बराबर धन-राशि का अस्थायी भत्ता दिया गया है किन्तु जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन २५० रु० अथवा इससे कम है उन्हें कम से कम ६ रु० और अधिक से अधिक २५ रु० मिलेंगे और जिन कर्मचारियों का वेतन २५० रु० से अधिक है उन्हें एक वर्ष में हानि वाली वृद्धि अथवा अधिक से अधिक २५ रु० दिये गये हैं। ४२५ रु० मासिक वेतनों तक सीमान्तक समायोजन करके यह भत्ता दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के वेतन-क्रमों के अनुसार वेतन नहीं मिलता, इस प्रकार की सुविधा देने की प्रस्थापना पर और इस प्रश्न पर कि उनको मिलने वाले मंहगाई भत्ते की कितनी रकम को वेतन के अंग के रूप में माना जाये, वेतन-आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति

१६९५. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व इसे बात का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया गया था कि दिल्ली के स्कूलों में कितने छात्र अनुपस्थित रहते हैं, उसके क्या कारण हैं और अनुपस्थिति को रोकने और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विषयों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट की तीन प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) माता पिताओं और अध्यापकों में निकट संबंध स्थापित करना ताकि माता-पिता अपने बच्चों की प्रगति पर अधिक ध्यान दे सकें इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माता-पिताओं और अध्यापकों के संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ स्कूलों में माता पिताओं और अध्यापकों के ऐसे संगठन स्थापित किये जा चुके हैं और माता पिताओं को उनके बच्चों की पढ़ाई की प्रगति के बारे में नियमित रुप से सूचित किया जाता है।

(२) कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापक अपने विद्यार्थियों पर यथेष्ट नियंत्रण रखने में असमर्थ रहते हैं। स्कूलों में बहुत संख्या वृद्धि की समस्या को दूर करने के लिए नामांकन के व्यवस्थापन की एक योजना विचाराधीन है। यह योजना जब कार्यान्वित की जायेगी तो अध्यापकों को अपनी कक्षा पर उचित नियंत्रण में सुविधा रहेगी।

(३) विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि और लगन की कमी के कारण पैदा हुई समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूलों में शैक्षिक और व्यवसायिक संदर्शन सलाहकारों की नियुक्ति की जा रही है जो विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसाय चुनने में आवश्यक संदर्शन प्रदान करेंगे तथा साथ ही विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की सलाह भी देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) बाहरी आकर्षण : दिल्ली के सनेमा घरों में दोपहर के खेलों पर नियंत्रण कर दिया गया है। जो दूसरे कदम उठाये गये हैं उन में से कुछ ये हैं :—

(१) जुर्माना ।

(२) प्रायः अनुपस्थित रहने वालों की उपस्थिति की डायरी रखना ।

(३) उपस्थिति रिपोर्ट माता-पिताओं को भेजना ।

(४) अनुपस्थित विद्यार्थियों के माता-पिताओं को स्कूल में बुलाना और उनके बच्चों की समस्याओं पर उनसे विचार-विमर्श करना ।

(५) स्कूलों में स्वस्थ वातावरण पैदा करना ।

करौलबाग, दिल्ली में अस्वास्थ्यकर स्थिति

†१६६६. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में करौलबाग के वैस्टर्न एक्सटेंशन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कबरिस्तान है, जिस पर अभी हाल ही में शरणार्थियों ने कब्जा जमा लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कबरिस्तान की अस्वास्थ्यकर स्थिति स्थानीय जनता के स्वास्थ्य के लिये बड़ी खतरनाक है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों को, जिन्होंने यहां पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमाया हुआ है, हटाकर इस जगह को उद्यान के रूप में परिवर्तित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) करौल बाग के वैस्टर्न एक्सटेंशन क्षेत्र में एक कबरिस्तान है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाता । विभाजन के पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों ने इस पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमा लिया था ।

(ख) यहां पर अनधिकृत दुग्धशालाओं, वर्कशाप और झुग्गियों के होने के कारण इस जगह की सफाई सम्बन्धी स्थिति असन्तोषजनक है ।

(ग) और (घ). यह जगह सरकारी जगह है और इसे सुन्नी–मजलिसे औकाफ को कबरिस्तान के तौर पर इस्तेमाल करने के लिये दिया गया है । इस जमीन को उस संस्था से वापिस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अपाहिज व्यक्तियों को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाना

†१६६७. **श्री वै० चं० मलिक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अपाहिज व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण और उन्हें रोजगार दिलाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने धन की व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में ६० लाख रु० ।

(ख) लगभग १३,३५,४०४.४२ रु० ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†**१६६८. श्री बै० चं० मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६०–६१ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को दसवीं श्रेणी के पश्चात् अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां देने के वास्ते प्रत्येक राज्य के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है ; और

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया जा चुक है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]** ।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†**१६६६. श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद में किस प्रकार भर्ती की जाती है ; और

(ख) क्या रिक्त स्थानों की सूचना सभी सरकारी कार्यालयों को भेजी जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) . अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कोई कार्यालय नहीं है और ना ही उसमें कोई नौकरी के स्थान हैं अतः भर्ती करने की विधि और प्रक्रिया का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा के लिये वेतन समिति

†१७००. **श्री दशरथ देब** :
श्री हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये त्रिपुरा प्रशासन द्वारा कोई वेतन समिति नियुक्त की गयी है;

(ख) यदि हां, तो वेतन समिति के निश्चय कब तक प्रकाशित होने की आशा है; और

(ग) क्या वेतन-समिति के निश्चय त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् में स्थानान्तरित किये गये सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) वेतन समिति अपनी सिफारिशें त्रिपुरा प्रशासन को सम्भवतः सितम्बर, १६६० के अन्त तक पेश कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जैसा कि १७ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८७ के उत्तर में कहा गया था, क्षेत्रीय परिषद के कर्मचारियों को वही लाभ प्राप्त होंगे जो प्रशासन के अन्तर्गत उनके समान पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिये जायेंगे ।

त्रिपुरा में रैयत की बेदखली

†१७०१. **श्री दशरथ देब :**
श्री हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में रैयतों को बड़ी संख्या में बेदखल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो १९६० में ऐसी कितनी बेदखलियां हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार हर प्रकार की बेदखलियों को रोकने के लिये अभी हाल ही में पास किये गये त्रिपुरा भूमि सुधार एक्ट, १९५० के उपबन्धों को लागू करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

त्रिपुरा में भूमिहीन कृषक

†१७०२. **श्री दशरथ देब :**
श्री हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकारी 'खास' भूमि बांटने के लिये कितने भूमिहीन कृषकों द्वारा आवेदनपत्र भेजे गये हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन से बिना कोई नजराना लिये उनको 'खास' भूमि बांटने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ?

त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रावास-वृत्तियां

†१७०३. **श्री दशरथ देब :**
श्री हाल्दर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् से सम्बद्ध मिडल और सीनियर बेसिक स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कोई छात्रावास-वृत्तियां दी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार का ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास-वृत्तियां देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). आजकल त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् से सम्बद्ध मिडल तथा सीनियर स्कूलों के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रावास-वृत्तियां दी जाती हैं । मान्यता-प्राप्त तथा सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी इस रियायत के देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†१७०५. **श्री बा० चं० कामले** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में हुई हड़ताल के दौरान तोड़-फोड़ की घटनाएं हुई थीं; और

(ख) उनका ब्योरा क्या है, जिनमें निम्नलिखित बातों का विवरण भी हो :—

(एक) ये घटनायें कहां हुईं;

(दो) जान और माल का यदि कोई नुक्सान हुआ हो, तो कितना; और

(तीन) इनमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) (एक) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३ अनुबंध संख्या २७ ।]**

(दो) मानवीय जीवन का संहार . . . कोई नहीं ।
तोड़फोड़ द्वारा सम्पत्ति का नुक्सान . . लगभग २२,००० रु०

(तीन) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

रद्दी लोहे का निर्यात

†१७०६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभ्यावेदन किया गया है कि मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स द्वारा 'आपत्ति नहीं' पत्र देने से इन्कार करने के कारण बम्बई/मद्रास के निर्यातक बंडल संख्या २, २ (क) और ३ श्रेणी के १० टन रद्दी लोहे के अनुपात में १ टन प्रथम श्रेणी का निर्यात करने की सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस विषय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । विभिन्न किस्म के रद्दी लोहे के उपलब्ध होने, देश में रद्दी लोहे के प्रयोक्ताओं की आवश्यकता, वितरण प्रणाली, निर्यात के लिये रद्दी लोहे के उपलब्ध होने और निर्यात के ढंग इत्यादि प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करने के लिये अधिकारियों का प्रशिक्षण

†१७०७. **श्री जीन चन्द्रन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिये कितने अधिकारियों को प्रति वर्ष टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंस, बम्बई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है;

(ख) क्या इसके लिये केवल सरकारी कर्मचारियों को चुना जाता है अथवा गैर-सरकारी सामाजिक-कार्यकर्त्ताओं को भी अवसर दिया जाता है; और

(ग) इन लोगों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है और इसकी क्या शर्तें होती हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) इनकी संख्या में प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है और यह इस प्रकार रही है :—

१६५७–५८	१६
१६५८–५६	३२
१६५६–६०	२७

(ख) दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्रशिक्षण का लाभ उठाने की अनुमति प्राप्त है ।

(ग) उम्मीदवारों का चुनाव राज्य-सरकारों अथवा सम्बद्ध गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है । चुनाव के समय कार्यकर्त्ता की सेवा भावना, आदिम जातीय क्षेत्र में कार्य के अनुभव और अपने प्रशिक्षण को आदिम जातियों के कल्याण के लिये प्रयोग करने के अवसरों पर बल दिया जाता है । उम्मीदवार के लिये कम से कम बी० ए० होना आवश्यक है किन्तु जिन लोगों को आदिम जातियों के कल्याण कार्य का पर्याप्त अनुभव होता है उनके सम्बन्ध में इस शर्त में ढिलाई कर दी जाती है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

"पोलिटिकल रिनेसां इन अफ्रीका"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं "पालिटिकल रिनेसां इन अफ्रीका" नामक पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३२०/६०]

यह केवल सदस्यों की जानकारी के लिए है । अफ्रीका का नक़शा बड़ी तेजी से बदल रहा है और वहां के देशों के नामों आदि के बारे में नवीनतम स्थिति को मालूम रखना मुश्किल सा हो गया है । इसलिये हम ने यह पुस्तिका निकाली है, जिसमें अफ्रीका की १६५० की और १६६० की स्थिति को बताने वाले दो नक्शे दिये हुए हैं; यह नक्शे बिल्कुल ठीक तो नहीं कहे जा सकते; ये कुछ सामान्य प्रकार के नक्शे हैं । इस पुस्तिका में इन देशों में हमारे प्रतिनिधियों के बारे में भी जानकारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवारक निरोध अधिनियम के संचालन के बारे में सांख्यकीय जानाकरी

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं ३१ दिसम्बर, १६५८ से ३१ दिसम्बर, १६५६ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १६५० के संचालन के सम्बन्ध में "सांख्यकीय जानकारी" नामक पुस्तिका की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २३२१/६०]

वित्त लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के १६५५-५६ से १६५८-५६ तक के वित्त लेखे (भाग १, २, ३ और ४) और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १६६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३२२/६०]

अखिल भारतीय सेवाएं (सेवा की शर्तें--शेष मामले) नियम

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं श्री दातार की ओर से अखिल भारतीय सेवायें अधिनयिम १६५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ अगस्त, १६६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें—शेष मामले) नियम, १६६० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३२३/६०]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं डा० बे० गोपाल रेड्डी की ओर से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १६४७ की धारा २७ की उप धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(एक) विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १६५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ जुलाई, १६६० की जी० एस० आर० ७८५ ।

(दो) दिनांक १६ जुलाई, १६६० की जी० एस० आर० ७६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २३२४/६०]

पुनर्वास वित्त प्रशासन के वार्षिक लेखे

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १६४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १६५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे की एक प्रति तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २३२५/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा १ अगस्त, १६६० को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(१) रबड़ (संशोधन) विधेयक, १६६०

(२) रूई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १६६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बालकेश्वर में तेल का मिलना

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : नियम, १६७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उस के संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"आगरा के निकट बालकेश्वर में तेल मिलने का समाचार"

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : आगरे के पास के यमुना के किनारे तेल के रिसने की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। मैं इस सम्बन्ध में तथ्य सभा के सामने रखता हूं।

बताया गया था कि आगरे के किले के लगभग पांच मील उत्तर में बालकेश्वर मन्दिर के निकट यमुना के पश्चिमी किनारे के पास नदी के कछार में तेल रिस रहा है। बालकेश्वर मन्दिर के निकट रहने वाले एक साधू को नदी में स्नान करते हुए ३ अगस्त को तेल का पता लगा। स्नान करते समय उसे मिट्टीका तेल पैरों में लगा हुआ दिखाई दिया। और उस ने उस स्थान का पता लगाया जहां से तेल निकल रहा था। दो दिन के बाद आगरे जिले के सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने इस के बारे में सुना और यह पता लगने पर कि इस स्थान पर रेत गिरने से दुर्घटना हो सकती है उन्होंने इस इलाके में पुलिस से घिरवा दिया। उन्होंने यहां से कुछ तेल ले कर जिलाधीश के पास पहुंचाया जिन्हों ने उसे राज्य सरकार के पास भेज दिया। ८ अगस्त, १६६० को राज्य सरकार से सूचना मिलने पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से मामले की जांच करने के लिये कहा गया। १० अगस्त, १६६० को आयोग के दो प्रविधिक अधिकारी उस स्थान पर गये।

जब यह अधिकारी उस स्थान पर गये उस समय वहां पर पानी चार फुट गहरा था। अधिकारियों ने उस स्थान पर नदी के तेल से कुछ नमूने लिये तथा एक गांव निवासी से भी तेल का नमूना लिया जो उस ने बाढ़ का पानी आने से पहले वहां से लेकर अपने पास रखा हुआ था। आयोग की प्रयोगशाला में नमूनों की जांच की गई। रेत के नमूने में मिट्टी के तेल की बू थी और विश्लेषण करने पर ही ऐसी कोई बात उस में नजर नहीं आई जिस के कारण उस में कच्चा तेल होने की कोई संभावना हो। गांव निवासी से लिये गये नमूने में कुछ कार्बनिक तत्व मिले हैं जिन की ओर जांच आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग ने यह भी बताया है कि आगरे की भूतत्वीय स्थिति ऐसी नहीं है जिस से वहां पैट्रोल मिलने की संभावना हो। परन्तु यमुना में बाढ़ का पानी कम हो जाने पर तेल के रिसने के कारणों का पता लगाने की ओर जांच की जायेगी ।

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क तथा उपकर संबंधी कुछ विधियों में मीट्रिक (दशमिक) इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क तथा उपकर सम्बन्धी कुछ विधियों में मीट्रिक (दशमिक) इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं :

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम १९६०–६१ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे ।

वर्ष १९६०–६१ के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,०००
७०-क	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	७,२७,०००
८३	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	७,५०,०००
११२	चल मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय	४,४१,९३,०००
१२९	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय पर पूंजी व्यय	१,०००
१३३	सड़कों पर पूंजी व्यय	१३,५०,००,०००

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
६५	१	श्री नौशीर भरूचा	बंगलौर में विद्युत् गवेषणा संस्था स्थापित करने तथा इस में उच्च गवेषणा कार्य व्यवस्था करने की आवश्यकता	१००
७०-क	२	श्री नौशीर भरूचा	भारतीय विधि संस्था का विस्तार करने की वांछनीयता	१००
८३	३	श्री नौशीर भरूचा	सरकार द्वारा सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के बारे में सभा को सूचना न देना	१००
१२९	४	श्री नौशीर भरूचा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा सिक्किम में खनिज निक्षेपों की खोज करने में शीघ्रता करने की आवश्यकता	१००
११२	८	श्री वारियर	समस्त राज्य के मतदान अधिकार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के नियमों में उपबन्ध	१००
१३३	९	श्री वारियर	ऋणों का उचित उपयोग	१००
६५	१०	श्री प्र० के० देव	बंगलौर में विद्युत् गवेषणा संस्था स्थापित करने में विलम्ब	१००
७०-क	११	श्री साधन गुप्त	भारतीय विधि संस्था के गवेषणा कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता	१००
८३	१२	श्री प्र० के० देव	सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के काम में शीघ्रता लाने की जरूरत	१००
१२९	१३	श्री प्र० के० देव	सिक्किम में खानों में कार्य शुरू करने की आवश्यकता	१००
१३३	१४	श्री प्र० के० देव	श्रीनगर करगिल-लेह सड़क कोग्रक-साईचिन, खुरनाक किला तथा देमचोक तक बढ़ाने की जरूरत	१०० क

१	२	३	४	६
१३३	१५	श्री प्र० के देव	सभी ऋतुओं में काम करने वाली कुछ सड़कों के निर्माण की आवश्यकता	१००
७०-क	१६	श्री अरविन्द घोषाल	प्रादेशिक भाषाओं में विधि गवेषणा संबंधी सूचना के प्रकाशन की आवश्यकता ज	१००
७०-क	१७	श्री अरविन्द घोषाल	उच्चतर विधि गवेषणा का विस्तार करने की आवश्यकता	१००
८३	१८	श्री अरविन्द घोषाल	त्रिपुरा, मनीपुर और आसाम की सीमान्त सड़कों को सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के अधीन लाने की आवश्यकता	१००
११२	१९	श्री अरवन्द घोषाल	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था में भारत की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता	१००
१३३	२२	श्री सरजू पांडेय	उत्तर प्रदेश में सीमान्त सड़कों का निर्माण	१००
६५	२३	श्री आसार	बंगलौर की विद्युत् गवेषणा संस्था स्थापित करने में देर ।	१००
७०-क	२४	श्री आसर	प्रादेशिक भाषाओं में विधि गवेषणा संबंधी सूचना के प्रकाशन की आवश्यकता	१००
८३	२५	श्री आसर	सीमान्त सड़क विकास बोर्ड के बारे में सभा को जानकारी न देना	१००
८३	२६	श्री आसर	सीमान्त सड़कों के निर्माण में शीघ्रता की आवश्यकता	१००
१३३	२८	श्री आसर	श्रीनगर-लेह सड़क में सुधार की आवश्यकता	१००

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सभा को याद होगा कि तृतीय योजना की रूप रेखा के प्रारूप में बिजली के विकास के लिये ९७५ करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं और ऐसा करना आवश्यक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

भी हैं क्योंकि बिजली की गवेषणा से बहुत से कामों को आगे बढ़ाया जाता है। परन्तु मुझे यही आशंका है कि यदि तीसरी योजना में बिजली के विकास का काम उचित रूप से नहीं किया गया तो संभव है यह ९७५ करोड़ रुपया इधर उधर के बेकार कामों में व्यय न हो जाये।

अनुपूरक मांगों को देखने पर पता लगता है कि बिजली गवेषणा के संबंध में दो क्रम निश्चित किए गए हैं। पहले क्रम में साढ़े तीन साल तक गवेषणा भारतीय विज्ञान संस्था के सहयोग से की जायेगी तथा उसके बाद दूसरे क्रम में बिजली गवेषणा का संगठन बताया जायेगा। इससे स्पष्ट सा होता है कि ९७५ करोड़ रुपया व्यय करने के बाद भी तीसरी योजना के अन्त तक बिजली गवेषणा में पर्याप्त प्रगति न हो पायेगी। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह बिजली गवेषणा के बारे में गंभीरता से विचार करें और इसकी ठोस नींव रखें।

अब मैं भारतीय विधि संस्था के बारे में मांग संख्या ७०-क के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। सभी लोगों ने सराहना की थी। परन्तु इस संस्था के उद्देश्यों में मैं समझता हूं कि हमने एक बात नहीं रखी थी जो हमें इसमें और रखी जानी चाहिए थी। वह यह है कि यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बारे में भी गवेषणा करेगी अथवा नहीं? क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में ऐसी ऐसी नई समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं जिनका उत्तर विद्वान विधिज्ञाता भी देने में समर्थ नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि इस संस्था में इस विषय पर भी गवेषणा की जायेगी।

मांग संख्या ८३ सड़क विकास बोर्ड के बारे में है। मैं इस बोर्ड के गठन का स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि सभा को बताया जाये कि यह बोर्ड किन सड़कों का निर्माण करेगा। मेरा सुझाव है कि बोर्ड को चीन के आक्रमण के कारण नेफा आदि में शीघ्र सड़कें बनाये और इन सड़कों के सहारे हथियार रखने, रहने आदि की बैरकें बनाये। जिससे सेना अपना सारा सामान सीमा के निकट रख सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार कर लेंगे।

अन्त में मैं चाहता हूं कि सिक्किम के छोटे से राज्य में खनिज साधनों की शीघ्रता से खोज की जाये।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व): मांग संख्या ७८ का सम्बन्ध भारतीय विधि संस्था से है। यह संस्था कानूनी मामलों की गवेषणा करने के लिए स्थापित की गई है। इसके लिए सरकार ने ५ लाख का अनुदान देना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस दिशा में व्यापक गवेषणा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे कानून उस समय से चले आ रहे हैं जब कि विदेशी सत्ता भारतीय जनता को दबाये रखना चाहती थी। आज भी प्रशासन को विशेषत: पुलिस को बड़े व्यापक अधिकार दिये गये हैं। निवारक नजरबन्दी अधिनियम आज भी विद्यमान है जिसकी धाराओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को समाप्त किया जा सकता है। यदि प्रशासन प्राधिकारी कोई कार्य असद्भावना से करते हैं तो उस असद्भावना को सिद्ध करने का कोई साधन नहीं है। इसलिये इस प्रकार के कार्यों को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इस संस्था को यह पता करना चाहिए कि अन्य देशों में इस बारे में स्थिति क्या है? यह एक तरह से नागरिक स्वतन्त्रता के कार्य की बहुत ही सेवा होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार धारा १०७ है। जिस के अनुसार लोगों को शांति बनाये रखने के लिये बाधित किया जा सकता और शांति न बनाये रखने पर दंड दिया जा सकता है। जांच करते समय पुलिस द्वारा लोगों को परेशान करने के बहुत ही व्यापक अधिकार दिये गये हैं। इस धारा के अन्तर्गत कई बार कार्मिक संघों तथा किसानों के नेताओं को जो सामूहिक रूप से अपनी लड़ाई करने के लिये अपना संघ बनाते हैं। गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और इस प्रकार उनके प्रयत्नों को असफल कर दिया जाता है। ये लोग निर्धन होते हैं अतः अपनी बात सिद्ध करने और मुकदमे लड़ाने के लिये उचित धन भी नहीं होता। अतः इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। कभी कभी मिल मालिकों तथा जमीदारों के प्रभाव के कारण भी उन पर मुकद्दमे आदि चलाये जाते हैं। अतः इनसे बचने का भी उपाय करना चाहिये। इस प्रकार की चीज़ों को ठीक करवाने के लिए ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिएं जो निरन्तर इसके विरुद्ध संघर्ष करते रहें।

भारतीय विधि संस्था को देश के विधि प्रशासन में विद्यमान त्रुटियों की पूरी तरह छानबीन करनी चाहिए। ऐसे उपायों का सुझाव देना चाहिए, जिससे जनता की परेशानियां समाप्त हो जायें। ऐसा करने से नागरिक स्वतन्त्रता की समृद्धि में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

मांग संख्या ११२ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सम्बन्ध में है। यह संघ तो ठीक है परन्तु इसे विश्व बैंक वाले रोग से अवश्य बचाया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य हमेशा गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का ही होता रहा है। भारी उद्योगों के विकास की दिशा में उसकी नीति काफी ढीली थी हमें अपने देश में छोटे पैमाने के उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी विकास के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है लेकिन पश्चिमी शक्तियां इस कार्य के लिये धन नहीं देना चाहतीं। इन उद्योगों के विकास की इस समय देश को भारी आवश्यकता है। विश्व बैंक पर प्रभुत्व भी पश्चिमी शक्तियों का ही है। विश्व बैंक ने टाटा को तो इस्पात परियोजना के विस्तार के लिए ऋण दे दिया परन्तु सरकारी क्षेत्र में इसी उद्देश्य के लिए उसने कुछ न दिया।

सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि भारी उद्योग के विकास कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करे। यही एक एसा क्षेत्र है जहां हमें सहायता की सब से अधिक आवश्यकता है। और इसी विकास संघ से हमें अधिक सहायता मिल भी सकती है। आशा करनी चाहिए मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं केवल मांग संख्या ८३ और १३३ पर बोलना चाहता हूं। इनका सम्बन्ध उत्तरी सीमा पर बनाये जाने वाली आवश्यक सड़कों से है। हिमालय पर्वत पुराने काल से ही हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के साथ सम्बद्ध रहा है। हिमालय के क्षेत्र को विकसित करने का हमसे कभी भी पूरा प्रयत्न नहीं किया गया है परन्तु वहां के लोग प्रसन्न चित होते हुए भी गरीब हैं। अब चीनी हमले के कारण सरकार समेत सब की आंखें इस क्षेत्र की ओर लगी हैं। चीनी हमले का यह परिणाम तो अच्छा ही रहा है कि इस क्षेत्र के विकास का भरसक प्रयत्न हो रहा है।

श्री नगर–करगिल-लोह सीमा सड़क २८० मील लम्बी बनाई गयी है, मेरा निवेदन है कि इसे बढ़ा कर अक्साई चीन क्षेत्र तक ले जाना चाहिए। यदि और भी सम्भव हो सके तो खुरनक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

किले तक ले जाना चाहिए। दम चौक तक जाने वाली पगडंडी को विकसित करके उसे उस क्षेत्र के चुमुल हवाई अड्डे से मिलाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ताकि सेना का आसानी से वहां आना जाना हो सके।

इसी प्रकार कुमायूं क्षेत्र मे पीपल कोठी तक जाने वाली सड़क को माना दर्रे तक बढ़ाया जाना चाहिए। सभी सोतों पर पुल बनाये जाने चाहियें और जोशीमठ से नीति दर्रे के रायपुर–बुशहर वाली सड़क को शिपकिला दर्रे तक बढ़ाया जाना चाहिए। नेफा क्षेत्र में तेजपुर से तेवाग तक ऐसी सड़क बनाई जानी चाहिए जो सब ऋतुओं में चालू रहे। इसी प्रकार सोनारी गांव से लांग्जू तक एक ऐसी सड़क बनाई जानी चाहिए, जो सब मौसमों में चालू रहे। इन समस्त सड़कों पर विश्राम गृह तथा सैनिकों के लिये बैरक तथा स्टोर सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए जहां कि बारूद आदि और मोटरें रखीं जा सकें सड़क। बनाने के बारे में हमें चीनीयों से सबक सीखना चाहिये। उन्होंने कितने थोड़े समय मे ही सारे तिब्बत में सड़कें बना डाली हैं। हिमालय क्षेत्र का खुलना हमारी सुरक्षा तथा हमारी अर्थ व्यवस्था दोनों के लिए हितकर होगा। तथा हिमालय के क्षेत्र में प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग हो सके। इन सड़कों को बनाते हुए यदि हमें सड़कों सम्बन्धी सामान्य नियमों का उल्लंघन भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। परन्तु यह सड़कें ऐसी अवश्य होनी चाहिएं कि इस पर जीपें चल सकें। इसके अलावा पगडंडी बनाने का भी काम करना चाहिये। मेरे विचार से यह सड़क बनाने का काम सैनिक पदाधिकारियों को सौंपना चाहिये। आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही किया जायेगा।

अब मैं मांग संख्या ६५ पर आ रहा हूं। मैं विद्युत् गवेषणा परिषद् की स्थापना का स्वागत करता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विद्युत् गवेषणा का काम ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू किया जाना चाहिये। इस गवेषणा संस्था को सिफारिश करनी चाहिये कि विभिन्न प्रकार के विद्युत् केन्द्र कहां बनाये जायें। इन बातों का निर्णय किसी क्षेत्र के आधार पर नहीं किया जाना चाहिये प्रत्युत् सम्पूर्ण देश के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये। बलीमाला परियोजना से आंध्र प्रदेश को ही लाभ नहीं होगा बल्कि उड़ीसा को भी इससे लाभ पहुंचेगा इसके साथ ही मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सिक्किम के खनिज साधनों का लाभ अवश्य उठाया जाना चाहिये। वहां का तांबा और जिंक भारत की आवश्यकता को पूरी करेगा और सिक्किम के विकास के लिये लाभदायक होगा।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर ७८ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कि मिनिस्ट्री आफ ला से ताल्लुक रखती है।

इस डिमांड के बारे में कहा गया है इस नोट के पेज नम्बर ७ पर यह रुपया हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग, पर होने वाले खर्च के लिये मांगा जा रहा है। जहां तक इसके लिये रुपया रखने की बात है, इसमें किसी को इन्कार नहीं है। इसके बारे में मैं सिर्फ दो तीन सजेशन हाउस के सामने रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन पर जरूर विचार करेंगे।

यह जो कमीशन मुकर्रर किया गया है १ सितम्बर सन् १९६० तक अपनी रिपोर्ट देगा। उस कमीशन की रिपोर्ट से जो मकसद है वह उतना पूरा नहीं होगा क्योंकि इसका जो परपज है वह बड़ा लिमिटेड है। मेरी इस बारे में यह अपील है कि जो दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनके बारे में भी यह कमीशन तहकीकात करे और रिपोर्ट

पेश करे क्योंकि आज हमारे देश में रिलीजस ट्रस्ट्स का मामला इतना अहम नहीं है जितना कि चैरिटेबिल ट्रस्ट्स का मामला है ।

इसके बारे में मैं ने दो तीन दफा पहले भी हाउस में कहा था, और पिछले दिनों जब मेरे एक नान-आफिशियल बिल पर इस बारे में विचार हो रहा था, उस वक्त भी माननीय डिप्टी लीडर ने एश्योरेंस दिलाया था कि इस कमीशन के मुकर्रर करने से उस बिल की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन मुझे इस बात से बड़ी हैरानी है कि इतना रुपया खर्च किया जाए और कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करे तो उसमें चैरिटेबिल ट्रस्ट्स को बिल्कुल छोड़ दिया जाए । अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर दुबारा अगर कोई कमीशन मुकर्रर करना पड़ा तो और ज्यादा रुपया इसी तरह से खर्च करना पड़ेगा । इसलिए मेरी अपील है कि इस बात का जरूर विचार किया जाए कि जो चैरिटेबिल ट्रस्ट हैं उनका वर्किंग कैसा है उसके बारे में भी हाउस के सामने रिपोर्ट आ सके और जो हमने ज्वाइंट कमेटी मुकर्रर की है वह उन बातों पर विचार कर सके । मुझे पूरी आशा है कि यह रिपोर्ट १ सितम्बर सन् १९६० तक जरूर पेश हो जाएगी क्योंकि यह बिल ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया गया है । अगर ज्वाइंट कमेटी के फैसले से पहले यह रिपोर्ट पेश नहीं होती तो इस कमीशन का परपज काफी हद तक खत्म हो जाएगा । तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ विशेष रूप से विचार किया जाएगा, और इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी ।

आगे चल कर इंडियन ला इंस्टीच्यूट के बारे में कहा गया है । इसके लिए भी रुपए की जरूरत होगी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । नोट में कहा गया है कि इस इंस्टीच्यूट का काम कानून में उच्चर अध्ययन और गवेषणा के लिये व्यवस्था करना होगा ; न्याय-प्रशासन में सुधार करना होगा ।

कहा गया है कि इस इंस्टीच्यूट का यह भी काम है कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट्यूट्स हैं उनको सिम्पलीफाई करे जिससे आम लोग उनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकें । मुझे पूरा विश्वास है कि इसके लिए जो रकम दी जा रही है उसका प्रोपर इस्तैमाल होगा । यह एक प्राईवेट इंस्टीच्यूट है और कई दफा मुझे इसकी प्राग्रेस रिपोर्ट को देखने का मौका मिला है । मैं इससे पूरी तरह सैटिसफाइड नहीं हूं । इसके लिए मेरी दो तीन अपीलें हैं । अगर गवर्नमेंट इसके लिए काफी रकम दे रही है तो इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखे । और जो भी इसका परपज है यानी खास तौर पर ला को सिम्पलीफाई करने का और जो भी पबलिकेशन्स वगैरा हैं उनको तमाम को सिस्टैमेटिकली एरेंज करने का, उसको एक्सपीडाइट किया जाए, तो देश के तमाम लोग इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे । यही मेरी चन्द तजवीजें हैं ।

†**श्री आसर** (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं । डिमांड नम्बर ६५ के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :"विधुत् गवेषणा संस्था के बंगलौर में स्थापित किये जाने के बारे में देरी" मैं तो इस चीज का स्वागत करता हूं चाहे देरी से ही क्यों न इसको लाया गया हो । सरकार ने इस इंस्टीट्यट की स्थापना का निर्णय करने में देरी की । सन् १९५५ में प्लानिंग कमेटी ने इसके बारे में सिफारिश की थी तो आज सन् १९६० में इसके बारे में विचार किया जा रहा है । सैकिंड प्लान पीरियड में इसका काम पूरा होना चाहिये

[श्री आसर]

था लेकिन हमने इस काम को सैकिंड फाइव इयर प्लान के आखिर में हाथ में लिया है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें देरी क्यों लगी इस बारे में बताया जाए और यह प्रार्थना है कि अब इस काम को जल्दी एक्सपीडाइट कराया जाए।

मेरा दूसरा कटौती-प्रस्ताव डिमांड नम्बर ७० ए० के बारे में है। इस बारे में मुझे यही कहना है कि इस कमेटी की रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में ही न छापी जाए, क्योंकि ऐसा करने से नतीजा यह होगा कि आम लोग इस को समझ नहीं सकेंगे। इसका सम्बन्ध हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं से है। इन धार्मिक स्थानों के प्रमुख अंग्रेजी की रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकेंगे और देहातों के लोग उसको नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट को देशी भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाए जिससे कि साधारण जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख उसको समझ सकें। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

तीसरी डिमांड है नम्बर ८३। इस बारे में यह कहना है कि हमने स्वतंत्रता मिलने के बाद इस बारे में विचार नहीं किया। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमको इस बारे में विचार करने की आवश्यकता थी कि हमको बार्डर एरिया में सड़कों का निर्माण करना है। लेकिन हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं। चीनियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। उस आक्रमण के बाद भी हमने इस बारे में विचार नहीं किया, लेकिन अब हमको ऐसा लगने लगा है कि चुप बैठने से काम नहीं चलेगा और अब हमने बार्डर एरिया में सड़कें बनाना शुरू किया है और इस काम के लिए एक डेवेलपमेंट बोर्ड स्थापित किया है। लेकिन केवल रास्ते बनाने से काम नहीं होगा। उनके साथ और भी सुविधाओं का निर्माण करना जरूरी है। हम कई लोग सिक्किम और भूटान में गए थे। वहां हमारी सेना भी गयी है। लेकिन जो सेना गयी है उन सब के रहने के लिए बारक्स नहीं हैं। और उनके लिए दूसरी कोई सुविधाएं नहीं हैं। अब सुना है कि हम इस एरिया में और सैनिकों को भेजने का विचार कर रहे हैं। इस कारण हमको बैरक्स और अन्य सुविधाओं का निर्माण करना चाहिये। मैं ने इस बारे में एक कट-मोशन दिया है। जब हम सड़कों का निर्माण करें तो हमको इन चीजों के बारे में भी विचार करना चाहिये कि वहां पर जो सेना के लोग रहते हैं उनके लिए पूरी सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए।

मुझे एक बात फिर निवेदन करनी आवश्यक है और वह यह है कि हमने जो यह रोड्स के बनाने का निर्णय किया है यह बहुत देर से किया है लेकिन देर से ऐसा निर्णय करते हुए भी हमें इस काम को जल्दी एक्सपेडाइट करना है और जल्दी से जल्दी पूरा करना आवश्यक है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस सड़क निर्माण के काम को एक्सपेडाइट करने के लिए अगर कोई और सप्लीमेंटरी डिमांड लाना जरूरी हो तो आप बेशक उसको ले आइये। आज के हालात में जब कि देश की सुरक्षा पर आंच आने का खतरा है तब इस काम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस काम को जितनी जल्दी संभव हो, करिये।

सिक्किम में इंडियन ब्यूरो आफ माइंस् मिनरल डिपौजिट्स के एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है और यह बहुत जरूरी है कि इस बारे में हमारी ओर से पूरा ध्यान दिया

जाय । वहां की जितनी नेशनल रिसोंसेज हैं देश की दृष्टि से अथवा सिक्किम की दृष्टि से उनके एक्सप्लोरेशन की ओर पूरा ध्यान दिया जाए और इस काम के लिए और ज्यादा सप्लीमेंटरी डिमांड रखना आवश्यक जान पड़े तो वह रक्खी जाय लेकिन यह काम जल्द से जल्द पूरा किया जाय, यही मेरी प्रार्थना है ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर पर डिमाण्ड नम्बर ८३ और १३३ के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इसमें जो बौर्डर रोड्स के डेवेलपमेंट के वास्ते रकम मांगी गई है मैं उसका जनरली समर्थन करता हूं ।

जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कों का सवाल है, हमारा प्रदेश उस लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ है । इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा आवश्यक है और उसके लिये मंत्रिमण्डल को अविलम्ब ध्यान देना चाहिये । जहां मैं उत्तर प्रदेश की सड़कों के निर्माण अथवा मरम्मत के लिये कहता हूं वहां जो उसके पड़ौसी और सम्बन्धित प्रान्त हैं उनकी सड़कों की भी दशा सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये ।

अभी इस बौर्डर रोड्स डेवेलपमेंट बोर्ड को सिर्फ सीमायी क्षेत्रों तक ही सीमित रक्खा गया है । इस सिलसिले में मेरा गवर्नमेंट को यह सुझाव है कि इस बोर्ड के अधिकार और बढ़ा दिये जायं ताकि वह अन्य क्षेत्रों की सड़कों की बाबत भी देख सके कि वहां कैसी दशा है और उनमें भी सुधार, मरम्मत और आवश्यक निर्माण आदि करा सके । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह खास तौर से बिहार प्रान्त से मिला हुआ है । इसके साथ ही उसकी सीमा कहीं बंगाल से, कहीं मध्य प्रदेश से तो कहीं दूसरे सूबों से भी मिलती है लेकिन अगर आप देखें तो पायेंगे कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक कटा हुआ जजीरा सा लगता है । वैसे बिहार से हमारा सम्बन्ध नजदीक का है लेकिन हमारे बीच में दरियाओं के होने से सड़कें नहीं मिलतीं और जिसका कि नतीजा यह होता है कि हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं । इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि जो आपने साढ़े १३ करोड़ रुपये की सप्लीमेंटरी डिमाण्ड पेश की है वह उचित डिमाण्ड है और यह ठीक ही है कि ऐसा बोर्ड स्थापित हो और उसके द्वारा यह सड़कों का काम किया जाय । लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया इस बोर्ड के अधिकारों को बढ़ाया जाय ताकि वह सूबे भर की सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के काम की देखभाल कर सके और उनका भली प्रकार से कोआरडिनेशन कर सके । मैं चाहता हूं कि सड़कों का विस्तार हो, नई सड़कें जो कि आवश्यक जान पड़ें उनका निर्माण हो ताकि हमारे देश की व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हो और हमारी सीमाएं हर प्रकार से बाहरी खतरे से पूर्णतया सुरक्षित रहें ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था वास्तव में कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है । इस संस्था में अन्य देशों की अपेक्षा अमरीका और ब्रिटेन को कहीं अधिक मत देने का अधिकार प्राप्त है । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से मिलने वाली ३०० करोड़ डालर की राशि में से ९१ डालर खर्च किया गया है और सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाला व्यय अनोत्पादक वस्तुओं पर किया जा रहा है सरकारी क्षेत्र में मूल उद्योगों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए । गैर-सरकारी क्षेत्र को जो धन दिया गया है वह भी ठीक नहीं है । पिछड़े हुए देशों की बात को बहुत ही ध्यान से सुना जाता है । यह बात तो ठीक है कि यह संस्था बहुत उदार शर्तों पर ऋण देगी, उसके भुगतान की अवधि भी अधिक होगी तथा ब्याज की दर भी बहुत कम होगी । लेकिन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

प्रश्न यह है कि किन परियोजनाओं पर यह धन व्यय होगा । इस बात का निर्णय कौन करेगा । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से मिलने वाले ऋण के अन्दर कुछ परियोजनाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है ताकि उनका विकास किया जा सके अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस बात का उचित निर्णय किया जाये कि इससे मिलने वाले ऋण से किन किन परियोजनाओं का विकास होगा तथा किन किन परियोजनाओं का नहीं । यह निश्चय किया जाना चाहिये कि हम सरकारी क्षेत्र में मूल उद्योगों के लिये तो अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हमारे पास मताधिकार का अधिकार अधिक हो । तभी सरकारी क्षेत्र में अधिक धन लेने के लिये जोर डाल सकते हैं ।

यही बात मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ९ के बारे में है ताकि इन ऋणों का उचित उपयोग हो सके । अभी हाल में सरकारी क्षेत्रों में इन ऋणों को उपयोग करने की नीति में भी परिवर्तन हुआ है । यह भी पता नहीं लगा कि सरकारी क्षेत्र में जिन मूल उद्योगों की स्थापना होने वाली है, उनमें अधिक से अधिक पूंजी लगाने में इस संस्था से सहायता प्राप्त हो सकेगी अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री को सन्तोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : भारतीय विधि संस्था को अपने विस्तार के लिये सहायता दी जा रही है, इसका मैं स्वागत करता हूं । विधि के विविध अंगों पर गवेषणा का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस विधि संस्था के कार्यक्षेत्र को बढ़ा कर राज्य और राज्यों के उच्च न्यायालयों तक ले जाया जाना चाहिये । उसकी अनुसन्धान सम्बन्धी रचनाओं का अनुवाद भी प्रादेशिक भाषाओं में किया जाना चाहिये । इससे विधि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ होगा ।

अब मैं मांग संख्या ८३ पर आता हूं । इसका सम्बन्ध सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास के साथ है । परन्तु उसमें त्रिपुरा और मनीपुर का कोई उल्लेख नहीं । उसमें पश्चिमी बंगाल और आसाम को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये । मनीपुर में तो सड़कों के अभाव के कारण काफी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं । युद्ध काल में जो सड़कें बनी थीं उनका बुरा हाल हो रहा है । उनकी कभी मरम्मत भी नहीं हुई । इस कारण त्रिपुरा और मनीपुर में काफी असन्तोष पाया जाता है । अतः इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और आसाम के कुछ भाग, पश्चिमी बंगाल, मनीपुर त्रिपुरा आदि को विकास कार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

कटौती प्रस्ताव संख्या १९ का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से है । इस संस्था में धन लगाते समय हमें काफी सावधानी से कार्य लेना चाहिये । इस दिशा में मेरा निवेदन है कि हमें इस बात से सचेत रहना चाहिये कि विदेशों से जो धन आता है वह गैर-सरकारी क्षेत्र में चला जाता है । हमें इस संस्था द्वारा भारत के मूलभूत उद्योगों को विकसित करने के लिये सरकारी क्षेत्र में धन प्राप्त करना चाहिये । यदि ऐसा हो तो मैं इस संस्था का स्वागत करूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं मांग संख्या ६५ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि विद्युत् सम्भरण और बिजली का सामान निर्माण करने के विषयों में गवेषणा करने के लिये एक संस्था की स्थापना की गयी है । लेकिन इसका गठन किस प्रकार का होगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई । परन्तु पता चला है कि उसका एक निदेशक दो उप-निदेशक,

†मूल अंग्रेजी में

६ सहायक निदेशक तथा ६ अतिरिक्त सहायक निदेशक होंगे । इतने निदेशक ही हो गये तो गवेषणा कार्य कौन करेगा । सुना है कि दो केमिस्ट रखे जायेंगे तो इसका अभिप्राय यह होगा कि ये ही गवेषणा कार्य करेंगे । इससे तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी । यह संस्था तो विशेष रूप से गवेषणा कार्य के लिये ही है । क्योंकि हमारे यहां की अवस्था में तो निदेशक केवल प्रशासन का को ही करता है । अतः मेरा निवेदन है कि इस संस्था के प्रशासन कार्य अथवा गवेषणा कार्य में समुचित सन्तुलन रखा जाना चाहिये । गवेषणा कार्य इस संस्था की रीढ़ की हड्डी होगा । उसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये ।

कुछ शब्द मांग संख्या ७०क के बारे में भी कहना चाहता हूं । जहां तक विधि संस्था का सम्बन्ध है, मैं उसके निर्माण का स्वागत करता हूं । परन्तु मेरा निवेदन है कि उसके अनुसन्धान कार्य में विकेन्द्रीकरण करने पर हमें ध्यान देना चाहिये । कुछ ऐसा भी देखा गया है कि संस्थाओं पर जितना हम खर्च करते हैं उतना परिणाम उससे प्राप्त नहीं होता । भारतीय लोक प्रशासन संस्था के बारे में भी आज इसी प्रकार की चर्चा चल रही थी। लक्ष्य तो अच्छा होता ही है, काम और परिणाम भी अच्छा होना चाहिये इस सम्बन्ध में मेरा यह भी सुझाव है कि कुछ अनुसन्धान परियोजनाओं को ला कालिजों तथा अन्य संस्थाओं के सुपुर्द कर देना चाहिये ।

अब मैं मांग संख्या ८३ और १३३ की ओर आता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि इन दोनों चीजों को लिया जा रहा है, और सड़कों के निर्माण करने के लिये सोच लिया गया है । और समय नष्ट नहीं किया जा रहा है । सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कर दी गयी है । परन्तु मेरा निवेदन है कि इसका ढांचा इस प्रकार का होना चाहिये जिसमें बहुत से उच्च पदस्थ कर्मचारी न हों और साथ ही उसमें नौकरशाही की प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिये । इसके लिये १५ करोड़ रुपये की राशि भी बहुत अधिक नहीं है । कार्य की शीघ्रता के हित में केवल उन्हीं लोगों को उसमें लिया जाना चाहिये जो कि कार्य को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व ले सकें । तकनीकी कार्यकर्त्ताओं के ऊपर प्रशासक को बैठा कर प्रगति के मार्ग में हमें रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहियें । साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि सैनिक सेवा द्वारा किये जाने वाले असैनिक सेवा द्वारा भी किये जा रहे हों अतः इस पुनरावृत्ति को रोकना चाहिये । यह एक महत्वपूर्ण बात है ।

सरकार को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि क्या उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये मजदूरों की भर्ती करने के प्रश्न का ध्यान रखा है ? क्या इस कार्य को स्थानीय तौर पर मजदूर प्राप्त हो जायेंगे अथवा बाहर से मंगाने पड़ेंगे ? इसे बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि ये सड़कें ऐसी नहीं होनी चाहियें जिनकी मरम्मत का कार्य ही निरन्तर चलता रहे ।

सड़कों के निर्माण का कार्य इस प्रकार होना चाहिये कि देश के लोग यह आशा कर सकें कि ये सड़कें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी होंगी । तथा हर मौसम में अच्छे ढंग से काम चलाने के लिये उपयुक्त होंगी ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : विद्युत अनुसंधान संस्था सम्बन्धी मांग संख्या ६५ का मैं स्वागत करता हूं । आशा करनी चाहिये अब इस दिशा में ठीक ढंग से और शीघ्रता से कार्य किया जायेगा । काफी समय से इस की प्रतीक्षा की जा रही थी । इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उस में कर्मचारियों के वेतन ३० रुपये, ३५ रुपये और ५० रुपये रखे गये हैं ? इस से काम कैसे चलेगा । वेतन आयोग ने भी कम से कम ८० अथवा ८५ रुपये मासिक की सिफारिश की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

मैं मांग संख्या १० अथवा १२७ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसका सम्बन्ध डिग्रियों से है। जो कि सरकार के विरुद्ध हो जाती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार को इस प्रश्न की बहुत पहले ही छानबीन करनी चाहिये थी। यदि इस से पूर्व ही कानूनी राय ले ली गई होती तो हो सकता है कि अदालत तक न जाना पड़ता। मुकदमेबाजी से बचना चाहिये और झगड़े परस्पर समझौते से सुलझा लिये जाने चाहियें।

यह भी प्रसन्नता की बात है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण आरम्भ किया गया है। सुन रहे हैं कि सीमा के पार काफी तैयारियां हो रही हैं, और आने जाने के साधनों का विकास हो रहा है। उस दृष्टि से इस कार्य का महत्व बहुत अधिक है। अगर सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा हो गया तो देश की सुरक्षा में इस से बहुत सहायता मिलेगी। मांग संख्या १२७ के सम्बन्ध में जो विकेन्द्रीकरण की बात कही गई है उस से मैं सहमत नहीं हूं। विधि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य का विकेन्द्रीयकरण वांछनीय नहीं है। आवश्यकता इस में इस बात की है लोग काफी दिनों तक अध्ययन करने के पश्चात् इस समस्या का समाधान करें। मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल डिमांड नम्बर ८३ और १३३ के संबंध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

जहां तक हमारे नार्दन बौर्डर्स का सम्बन्ध है पहले उन की ओर हमारी सरकार बहुत ही कम ध्यान देती थी लेकिन कुछ वाकयात ऐसे पेश आये जिन की कि वजह से अब सरकार का ध्यान इस ओर गया है और उधर सरकार ने जो ध्यान दिया है मैं उस के लिये उस को बधाई देता हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य समझता हूं कि उस काम के लिये जो पैसा रक्खा जा रहा है वह बहुत कम है।

मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं कि जो कि एक स्नो बाउंड एरिया है और इस कारण उस क्षेत्र की आबादी बहुत कम है। अगर वहां के हालात को देखा जाय तो आप को पता लगेगा कि वहां साल भर में तीन महीने से ज्यादा काम का सीजन नहीं होता। सीजन १५ जून से शुरू हो कर १५ सितंबर को खत्म हो जाता है। सीजन जून से शुरू हो जाता है और आखिर सितम्बर तक चला जाता है। हमारे यहां के डिपार्टमेंट्स १५ दिन जाने में और १५ दिन आने में ले लेते हैं और इसलिये जो भी अफसर वगैरह उधर जाते हैं तो एक महीना तो इधर से उधर जाने में ही जाया हो जाता है और कोई भी काम जो वहां पर हो सकता है वह केवल तीन महीने के लिये ही हो सकता है। स्पिति और लाहौल एरिया में बहुत सारे मजदूर काम के लिये ले जाये जाते हैं। इस साल पंजाब सरकार वहां पर गालिबन ६ हजार मजदूर ले गई। अब पहले रोटांगा पास आता है जोकि १४ हजार फुट के करीब है और उस के बाद कुमजम पास आता है जोकि १५ हजार फुट के करीब है। मैं वहां पर गया था और मैं ने वहां पर मजदूरों की हालत देखी। वह सारा का सारा इलाका बर्फ से ढका रहता है। उन दिनों में थोड़ी सी बर्फ पिघलती है, हालांकि वहां पर बारिश होती नहीं लेकिन जरा सी भी बारिश हो जाय तो मजदूर लोग वहां पर एकदम बीमार पड़ जाते हैं। वहां पर खाने, पीने की चीजें पहुंचती नहीं हैं। आवश्यक चीजें पहुंचाने के लिये हर रोज लगातार एक खच्चरों का कनवाये चलता है और वह हर एक पड़ाव पर चीजें बांटता चलता है। केवल आटा दिया जाता है और दूसरी कोई चीज नहीं दी जाती है। अब मेरा सुझाव यह है कि जहां वहां पर सड़क बनाना आवश्यक है वहां स्थिति में एक ऐयरस्ट्रिप बनना चाहिये ताकि वहां पर मशीनरी और सारा सामान जा सके। मैंने इन दो पासेज पर देखा है कि

कुली लोग कम्प्रेशर्स के पुर्जों को अलग कर के पीठ पर उठा कर ले जाते हैं, पहाड़ों पर उन को पीठ पर लादे चढ़ते हुए देखा है और दूसरी तरफ जा कर जोड़ते हैं। इसलिये बेहतर यह होगा कि स्पिति एरिया में सड़कों को अगर जल्द से जल्द बनाना है तो वहां पर एक ऐयरस्ट्रिप बनाया जाय और वहां पर वह सारा सामान हम पहुंचा दें ताकि यह जो कम्प्रेशर्स और छोटी छोटी मशीनों को ले जाने के लिये बहुत सारा वक्त जाया हो जाता है वह न हो। इस तीन महीने के भीतर ही भीतर बहुत सारा काम करना होता है और ऐसी व्यवस्था करने से वह हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जायगा और मैं समझता हूं कि यह चीजें निहायत जरूरी हैं। मैंने उन से दरियाफ्त किया है कि इस वक्त तक सिर्फ ५६ मील की जो ट्रकेबल सड़क बातिल तक है वह सन् १९६१ के आखिर तक बना सकेंगे। बातिल से काजा तक की ट्रकेबल सड़क सन् १९६२ तक बनायेंगे और बातिल से कौरिक तक की ५६ मील की सड़क बनानी होगी और पता नहीं उस के बनाने में कई साल लग जायेंगे और अगर यही हालत हमारी रही तो हमारी सड़कों की इतनी जल्दी तामीर नहीं हो सकती। मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि जहां आपने इन सड़कों के मुताल्लिक ध्यान दिया है वहां आपको यह भी देखना चाहिये कि किस तरीके से हमारी वे सड़कें जल्दी से जल्दी तामीर हो सकती हैं। इसलिये अगर स्पिति में सड़कें जल्दी से जल्दी बनानी हैं तो कम से कम वहां पर एक ऐयरस्ट्रिप बनाया जाय ताकि वहां पर काम जल्दी से जल्दी हो जाय। आपको यह नहीं भूल जाना है कि तीन महीने के अर्से में ६ हजार मजदूरों ने वहां पर काम करना है। उन के लिये वहां पर खाना और दूसरी तमाम जरूरी मशीनरी वगैरह पहुंचानी है। अभी हालत यह है कि हमारे १००, २०० और ३००,३०० मजदूर उन पुर्जों को ले जाने के लिये लग जाते हैं।

एक चीज मेरी समझ में नहीं आई है और उस के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। एक तो हमारा स्टेट पी०डब्लू०डी० होगा, एक आपका सेंट्रल पी०डब्लू०डी० डिपार्टमेंट होगा और एक रोड्स विंग जो आपने बनाया है वह होगा। अब चीज यह है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट वाले होंगे उनकी तनख्वाहें और होगी और आप के सेंट्रल पी० डब्लू० डी० वालों की तनख्वाहें और होंगी। रोड्स विंग वालों की पता नहीं मुझे कैसे उन की तनख्वाह होगी। अब यह जो तीनों डिपार्टमेंट्स के एम्पलाईज़ की तनख्वाहों में अन्तर पड़ता है उस अन्तर के पड़ने के कारण वहां पर उन में आपस में एक असन्तोष पैदा होता है। जाहिर है कि जब उन में आपस मे असन्तोष हो तो काम फिर आगे रुकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि इन में आपस में कोआरडिनेशन हो तो वह इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि यह इन तीनों डिपार्टमेंट्स की तनख्वाहों में डिस्क्रिमिनेशन न हो और इन सारे बौर्डर एरियाज में तकरीबन एक जैसी तनख्वाह रखिये ताकि एक दूसरे के बरखिलाफ असंतोष पैदा न हो।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो आप सड़कें बना रहे हैं इन के मुताल्लिक यू० पी० बौर्डर एरियाज़ के मुताल्लिक यहां पर एक सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि कौस्ट औफ कंस्ट्रक्शन ऐंड मेनटेनेन्स औफ स्ट्रैटजिक रोड्स के वास्ते रुपया केन्द्रीय सरकार १०० परसेंट देगी। वह यू० पी० बार्डर एरियाज़ के लिये कहा गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब के बार्डर एरियाज़, लाहौल और स्पीती, के लिये भी १०० परसेंट ग्रांट दी जायगी या पंजाब के साथ कोई दूसरा सलूक किया जायगा।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : कौन देने वाला है ?

श्री हेम राज : केन्द्रीय सरकार देने वाली है।

डा० मा० श्री अणे : १०० परसेंट ?

श्री हेमराज : १०० परसेंट । इस में लिखा है—भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता इन बार्डर एरियाज़ के मुताल्लिक सवाल-जवाब भी हुए थे और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह बात क्लीयर नहीं की गई थी । मैं चाहता हूं कि यह क्लीयर किया जाये कि चूंकि इन बार्डर एरियाज़ में, चाहे वह लाहौल, लैह और स्पीती हो, या यू० पी० के इलाके हों, कन्डीशन्ज़ एक सी हैं, इसलिय वहां पर सर्विसिज़ के जो आदमी रखे जायें, उनके साथ एक सा सलूक होना चाहिये । अगर ऐसा किया जायगा, तो वहां पर किसी किस्म का जडिस्सैटिसफ़ैक्शन नहीं होगा ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बार्डर एरिया मनाली एरिया से स्पीती तक चलता है, तो मनाली तक जो सड़क है, जो अमृतसर से चलती है, उस को नैशलनल हाईवे करार देना चाहिये, क्योंकि अगला एरिया तो बार्डर एरिया में ले लिया और पिछला एरिया स्टेट हाईवे है । मैं चाहता हूं कि चूंकि बार्डर एरिया से यह सड़क मिलती है, इसलिये जो सड़क अमृतसर से चलती है—अमृतसर से न रखिये, पठानकोट से सड़क चलती है और नैशनल हाईवे २ में मिल जाती है—पठानकोट से ले कर मनाली तक उस को नैशनल हाईवे करार दे देना चाहिये, ताकि इस सारी सड़क की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर ले ले । मैं समझता हूं कि ये जो प्राबलम्ज़ हैं, इन को महज़ यहां से बैठ कर न देखा जाय, बल्कि वहां के हालात को अच्छी तरह से देख कर आवश्यक कदम उठाये जायें । मुझे खुद वहां जा कर हालात को देखने का मौका मिला है और उन मजदूरों को भी देखने का मौका मिला है । वहां के मज़दूरों के लिये मोबाइल मैडिकल यूनिट्स रखे गये हैं, लेकिन जिस वक्त वहां बारिश हुई, तो मैं छोटा दड़ा में था, उस एक बारिश से वहां पर एक हज़ार मज़दूरों में से ५०० मज़दूर बिस्तर पर पड़ गये । ऐसी हालत वहां होती है । इन हालात में मैं समझता हूं कि मौजूदा सहूलियतों के अलावा और भी सहूलियतें और आसानियां वहां दी जानी चाहिये ।

वहां का सारे का सारा इलाका ग्लैशियर्ज़ का है । अगर हम यह समझें कि हमारी जो सड़क एक दफा वहां बन जायगी, वह हमेशा के लिये बनी रहेगी, तो वह ख्याल गलत है । एक ग्लैशियर ही सारी सड़क को तोड़ देगा । ऐसी हालत में मेनटेनैंस के लिए काफी से ज्यादा पैसा दरकार होगा । इन हालात को मद्दे-नज़र रखते हुए इस में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बार्डर एरियाज़, जिन की अहमियत अब ज्यादा बढ़ गई है, कम से कम नार्थ के इलाके में, महफ़ूज़ रह सकें और वहां जो हमारे सिपाही रहते हैं, वे सैटिसफ़ाइड रह कर मुकम्मल तौर पर मुल्क के बार्डर को डिफेंड कर सकें ।

सिपाहियों के बारे में एक बात मैं और कह देना चाहता हूं । वे लोग बंकर्ज़ में रहते हैं खुदाई कर के और ऊपर से चूंकि बर्फ पड़ती है, इसलिये थोड़ी लकड़ी ऊपर डाल कर वे जमीन के अन्दर रहते हैं । यह कहा जाता है कि चूंकि उन को इस तरह रेज़ीडेंट दे दिया गया है, इसलिये जो कम्पैन्सैटरी एलाउंस उनको वहां पर दिया जाता है, वह काट लिया जाता है । मैं समझता हूं कि फ्री रीज़ीडेंस वहां पर उन लोगों को देना चाहिये, ताकि वे सैटिसफ़ाइड रहें और मुल्क के बार्डर की हिफ़ाज़त पूरी तरह से करें ।

इन शब्दों के साथ जहां मैं इन डिमांड्ज़ का समर्थन करता हूं, वहां मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार सारे बार्डर एरियाज़ को एक जैसा ही ट्रीट करेगी और साथ ही यह भी देखेगी कि उस के साथ मिली हुई जो सड़कें हैं, उन को नैशनल हाईवे करार दे दिया जाये ।

†श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : मैं केवल मांग संख्या ८३ के बारे में ही कुछ कहना चाहती हूं।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

इस मांग का सम्बन्ध सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के साथ है। मैं इसका स्वागत करती हूं। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि इस बोर्ड में पश्चिमी बंगाल का कोई उल्लेख नहीं। दार्जिलिंग-सन्दकघ सड़क तथा गंगटोक-नाथूला दर्रा इत्यादि सड़कें, जो कि बड़े सामरिक महत्व की हैं, इसी राज्य के साथ मिलती हैं। इन सड़कों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। ये बड़े महत्व की सड़कें हैं।

एक निवेदन मैं और करना चाहती हूं, इसका उल्लेख एक अन्य माननीय सदस्य ने किया है। वह यह कि इस बोर्ड के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनक्रम बहुत ही नीचे हैं। आज के महंगाई के समय में ३०, ३५ और ४५ रुपये से क्या बन सकता है। इस बोर्ड में १४ चपरासी हैं जिनको ३० से ३५ रुपये तक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य पद भी हैं। यह अन्याय है। आशा है कि मेरी बातों की ओर मन्त्री महोदय समुचित ध्यान देंगे। सीमा क्षेत्र सड़क विकास बोर्ड में पश्चिमी बंगाल को भी समुचित स्थान दिया जायेगा।

†श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : सभापति महोदय मैं एक औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। वेतन आयोग ने कम से कम ८० रुपये वेतन की सिफारिश की है और सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। परन्तु यहां लोगों को ३५–१–५० अथवा ३०—½—३५ के वेतनक्रम दिये जाने के लिये अनुदान की मांग की जा रही है।

†सभापति महोदय : इससे औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस मामले का उत्तर विधि मंत्री महोदय देंगे।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, ये जो अनुदानों की पूरक मांगें रखी गई हैं, मैं उनके बारे में केवल दो विषयों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले विधि मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हिन्दू धर्मस्व आयोग हिन्दू रेलीजस एनडाउमेंट्स कमीशन नियुक्त किया गया है, इसका मैं स्वागत और अभिनन्दन करता हूं, लेकिन इसके सम्बन्ध में मुझे तीन निवेदन करने हैं।

पहला निवेदन तो यह है कि यह आयोग यानी कमीशन बहुत देरी के बाद नियुक्त किया गया है। वैसे तो सुधारक हिन्दू जनता के द्वारा अपने धर्मदाय संस्थाओं, मन्दिरों और मठों आदि के प्रबन्ध में सुधार करने के लिये कई पीढ़ियों से आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन जब से हमारा देश स्वाधीन हुआ है, तब से इस सम्बन्ध में काफ़ी संगठित प्रयत्न किया गया है। जहां तक मुझे याद है, इस सदन में २९ सितम्बर, १९५५ को एक प्रश्न नियोजन मंत्री, मिनिस्टर आफ प्लानिंग, से पूछा गया था कि आया इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया जा रहा है। उस समय उन्होंने उत्तर दिया था कि योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन, इस बारे में विचार कर रहा है कि किस तरह इन संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार किया जाये और किस प्रकार से उनकी इनकम (आय) को देश के विकास कार्यों में लगाया जा सके पांच वर्षों के बाद जाकर यह आयोग नियुक्त किया गया है, एक तो मेरी शिकायत यह है।

दूसरी शिकायत यह है कि जहां तक मुझे मालूम है, आयोग का काम बहुत ही धीमी चाल से चल रहा है। इस के बारे में बताया गया है कि ३० सितम्बर, १९६० को यह आयोग अपनी रिपोर्ट

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

दे देगा। लेकिन अभी जब दूसरे बिल (विधेयक) तक के बारे में राज्य सभा में चर्चा चल रही थी, तब माननीय विधि मंत्री ने स्वयं कहा था कि वह बिल इस लिए लाया जा रहा है कि इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने में शायद दो साल तक लग जायें। मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि आया उन्होंने ये शब्द राज्य सभा में कहे थे या नहीं और उनका क्या अनुमान है कि यह कमीशन कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत दिनों से उलझा पड़ा है, इस वजह से बहुत नई-नई समस्यायें पैदा हो रही हैं, जटिलताएं आ रही हैं और इसलिये कमीशन से यह अनुरोध किया जाये कि वह दो साल का लम्बा समय न ले, अगर वह ३० सितम्बर तक रिपोर्ट न दे सके, तो जल्दी से जल्दी देने का प्रयत्न करे।

जैसा कि आप जानते हैं, जनता ने आन्दोलन मचाया हुआ है कि इन संस्थाओं में सुधार किया जाये; संसद् के दोनों सदनों में बहुत वर्षों से इस बारे में प्रश्न हुए हैं और इस विषय को कई बार उठाया गया है और अब यह कमीशन बिठाया गया है, जो लगभग दो वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगा। इस बीच में जो हिन्दू धर्मदाय संस्थायें हैं, अगर उनकी सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है, उसका वारा-न्यारा होता है, तो जिम्मेदारी किस की है? विधि मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब से यह चर्चा देश में चली है, तब से इन मठों-मन्दिरों की जायदाद को समाप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के द्वारिकाधीश का उदाहरण स्पष्ट है। इसी लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक विधेयक वहां की विधान सभा में पेश किया था, जिसका हिन्दी नाम हमारे विधि मंत्री जी को शायद समझने में कठिनाई हो, और वह है, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६०।" इसका मतलब यह है कि इस बीच उन सम्पत्तियों का दुरुपयोग न हो, इसके लिये टैम्पोरेरी पावर्ज वहां की गवर्नमेंट लेना चाहती है। इसके उद्देश्यों और कारणों में स्वयं यू० पी० गवर्नमेंट की ओर से कहा गया है कि बहुत से नीति-विहीन इन संस्थाओं की अचल और चल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण और प्रतिष्ठापन करते जा रहे हैं, यानी ट्रॉसफर एण्ड मारगेज उनका करते जा रहे हैं। अतः विधि मंत्री से मेरा निवेदन है कि कमीशन बहुत समय लगा रहा है और अगर वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे देता है, तो जब तक वह रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर विचार करने में, उसके अनुसार कदम उठाने में एक आध साल तो लगेगा, ही, राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ेगा, यानी दो तीन वर्ष का समय लगने वाला है, इस बीच में उन मठों और मन्दिरों की जायदादों का क्या होगा। अगर उन का वारा-न्यारा हो जाता है, तो इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं विधि मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि या तो केन्द्रीय सरकार को ऐसे आदेश देने चाहियें, या इस तरह का विधेयक लाना चाहिये कि कम से कम कोई अस्थायी व्यवस्था की जा सके और टैम्पोरेरी पावर्ज़ को अपने हाथ में लेकर ऐसी बातों को रोका जा सके, या उन्हें राज्य सरकारों को ऐसा परमर्श देना चाहिये कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच की अवधि के लिये विधेयक बनाया है, अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह की कोई व्यवस्था करें, ताकि जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और उस पर अमल होता है, तब तक ये जायदादें समाप्त न हो जायें।

सभापति महोदय, इसके बाद मुझे जिस विषय पर निवेदन करना है, वह है बार्डर रोड डेवेलपमेंट बोर्ड, जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं कि आखिर सुबह का भूला भटका शाम को तो घर पहुंचा, इसलिये कि जब से देश स्वाधीन हुआ है, मुझ सरीखे बहुत से सदस्य उत्तर दिशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि उधर से देश को खतरा है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : आधी रात को पहुंचा है।

श्री भक्त दर्शन : आधी रात तो मैं नहीं कहता। अभी तो.....

एक माननीय सदस्य : सवेरा है।

श्री भक्त दर्शन :.....थोड़ा सा अन्धेरा हुआ है। अभी भी अगर हमारी सरकार सचेत हो जाये, तो मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा बिगड़ा नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से देश के हितैषी लोग इस संसद् के अन्दर और बाहर इस बात के लिये जोर देते रहे हैं, अनुरोध करते रहे हैं और प्रार्थना करते रहे हैं कि हमारी उत्तरी सीमा की ओर नजर डाली जाये। वहां सबसे बड़ी समस्या यातायात की है, और परिवहन की है। अतः उसके बारे में सुधार किया जाये। पर आज जबकि चीन की सेनायें हमारे दरवाजे पर खड़ी खटखटा रही हैं, तब जाकर हमारी समझ में यह बात आई है और इस की नई व्यवस्था की जा रही है। हिन्दी में एक कहावत है कि आग लगे खोदे कुआं, यानी घर में जब आग लग गई, उसके बाद कुआं खोदने की सोची जा रही है, पहिले कुआं खोदा जायेगा, तब पानी निकाला जायेगा और तब आग बुझेगी। पता नहीं, कब तक ये सड़कें बनती हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम कागजों पर तो बहुत सी बातें कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जो मेजर-जनरल साहब इस बारे में नियुक्त किये गये हैं, वह बड़ी जवांमर्दी और मुस्तैदी के साथ यह काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, काम करने का जो मौसम है, वह करीब करीब बीत गया है।

मेरी इस बारे में दो शिकायतें हैं एक तो यह कि हमारी सरकार शायद लद्दाख और नेफा के इलाके को ही ज्यादा महत्व देती है। यह बहुत अच्छा है, वहां वास्तव में बहुत बड़े क्षेत्रफल और बहुत बड़े इलाके का सवाल है। वहां ज्यादा ध्यान देना चाहिये, लेकिन जो और हमारी इतनी हजारों मील की सीमा पड़ी हुई है, उसके बारे में भी हम को किसी प्रकार से लापरवाह नहीं होना चाहिये, या हमें उस ओर से ध्यान नहीं मोड़ना चाहिये।

हमारे यहां पहाड़ों में, खास कर के चौदह पंद्रह हजार फीट की ऊंचाई के जितने पहाड़ हैं वहां काम करने का मौसम केवल जून से ले कर सितम्बर तक होता है। इधर अगस्त में हम बातें कर रहे हैं। और होते होते सितम्बर में इस बारे में काम होगा, कोई कार्रवाई होगी, कोई कदम उठाए जायेंगे, तब तक बर्फ पड़ जायेगी और कुछ काम नहीं हो पायेगा। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से और जो इस नई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, उन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना भी इस सीजन में हम काम कर सकते हैं, वह सितम्बर अक्तूबर तक, इस लिए हम को इस बारे में कोशिश करनी चाहिए।

एक और स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। ये ग्रान्ट्स जो रखी गई हैं, ये ट्रांस्पोर्ट ऐंड कम्यूनिकेशन्ज मिनिस्ट्री के अन्तर्गत रखी गई हैं और पिछले दिनों सदन में जो प्रश्न पूछे गए, उन का जवाब रक्षा मंत्री जी की ओर से दिया गया और आज भी मैं देख रहा हूं कि परिवहन और संचार मंत्रालय के मंत्री महोदय गायब हैं हालांकि उन के खाते से यह रुपया दिया जा रहा है, लेकिन वह तो जवाब नहीं देंगे और माननीय रक्षा मंत्री महोदय उन की ओर से जवाब देंगे। हो सकता है कि इस सम्बन्ध में हमारे मंत्रि-मंडल, (कैबिनेट) ने कोई विशेष प्रकार का निर्णय लिया हो कि सुविधा के लिए जो

[श्री भक्त दर्शन]

यह रकम पंद्रह करोड़ रुपए की खर्च की जा रही है और जो बोर्ड बनाया गया है, उस के लिए ट्रांस्पोर्ट ऐंड कम्यूनिकेशन्ज़ मिनिस्ट्री के अन्तर्गत रुपया रखा जाये, लेकिन ज़िम्मेदारी जो होगी, वह रक्षा मंत्रालय की होगी। इस सम्बन्ध में मुझे दो तीन बातें कहनी हैं।

एक तो यह है कि इस में घोषित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो विशेष व्यवस्था की जा रही है, जो नया आरगानाइज़ेशन सैट अप किया जा रहा है जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० की मशीनरी है और जो राज्य सरकारों की मशीनरी है, उन सब को में समन्वित कर के, एकत्रीकरण कर के, को-आर्डिनेट कर के यह काम किया जायेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बोर्ड का जो संगठन किया गया है, उस में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं ? आखिर राज्य सरकारों से जब केन्द्रीय सरकार को काम लेना है, तो उन से परामर्श किया गया है या नहीं, इस बारे में हमको नहीं बताया गया है। फिर उन इलाकों के प्रतिनिधियों ने आखिर क्या अपराध किया है, जो उन का सहयोग नहीं लिया जा रहा है और उन से परामर्श नहीं किया जा रहा है। वहां के जो संसद्-सदस्य हैं, या एम० एल० ए० हैं, उन को भी तो कभी मौका मिलना चाहिए कि वे अपनी राय दे सकें। मेरा यह अनुरोध है कि कोई न कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिए कि मोटे तौर से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, स्टेट लैवल पर और केन्द्र में उन से परामर्श किया जा सके। मैं यह जानता हूं कि ये सामरिक महत्व की बातें हैं और उस में हम बहुत डीटेल्ज़ में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ मोटा खाका तो वहां के संसद्-सदस्यों के सामने और एम० एल० एज़० के सामने रखा जाना चाहिए कि उन के इलाके में क्या क्या काम होने वाला है और उस के लिए जनता का सहयोग किस तरह से लिया जा सकता है।

मुझे इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह भी करना है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ क्षेत्रों को और पंजाब में भी लाहौल–स्पीती के इलाके को टैक्निकली बार्डर एरियाज़ घोषित किया है। यह कोई न्यायपूर्ण मालूम नहीं होता कि बार्डर एरिया में चालीस पचास मील की पट्टी को ही पूर्व से पश्चिम तक ही शामिल किया जाये। अभी मेरे मित्र श्री हेमराज जी ने फ़रमाया कि मनाली से जो सड़क लाहौल-स्पीती को जाती है, जब तक नीचे की सड़क की मरम्मत नहीं होगी, जब तक वह अच्छी हालत में नहीं होगी, तब तक कनवाये और दूसरा सामान ऊपर कैसे जायेगा। इसलिए सारे इलाके को हमें एक नज़र से देखना पड़ेगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सड़कों की जड़ जहां से प्रारम्भ होती है, वहां से लेकर अन्त तक व्यवस्था की जाये। इसी लिए मैं खास तौर से यह अनुरोध करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे इलाके में कि आप नीति और माना के लिए जाना चाहते हैं, जो कि पश्चिमी तिब्बत के व्यापार के बहुत बड़े दर हैं, तो हमें हरिद्वार से प्रारम्भ करना पड़ेगा। हरिद्वारा से जोशीमठ जो सड़क जाती है, उस की हालत आज यह है कि —आज सुबह ही मुझे वहां की रिपोर्ट मिली है—नीती घाटी में जाना मुश्किल हो गया है, और बरसात के कारण रास्ता बहुत खराब है। पहले की बनी हुई सड़कों को ही हम अच्छी तरह से सम्भाल नहीं पा रहे हैं और हम आशा कर रहे हकि आकाश में जा कर हम नई सड़कें बनायेंगे। यह कहां तक न्यायसगत हैं ?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मशीनरी बनाई जा रही है, वह समूची सड़कों की देख-भाल करे और उन की ज़िम्मेदारी उस पर होनी चाहिए। मेरे मित्र श्री हेमराज ने यह सुझाव दिया है कि उन को राष्ट्रीय जनमार्ग घोषित कर दिया जाये, उन को नैशनल हाईवे बना दिया जाये। मैं इस टैक्निकल विवाद में नहीं पड़ूंगा कि उन को राष्ट्रीय जनमार्ग बनाया जाये या नहीं, यह तो हमारी पुरानी मांग चली आ रही है कि उन्हें अवश्य बनाया जाये, लेकिन

असली आवश्यकता इस बात की है कि जो नई मशीनरी बनाई गई है, उस के हाथ में सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जहां से पहाड़ प्रारम्भ होते हैं, जहां से नदियों का उद्गम प्रारम्भ होता है, वहां से ले कर सीमा तक की जितनी सड़कें हैं, वहां वे सब सड़कें बार्डर रोड डेवेलपमेंट बोर्ड के अन्तर्गत होनी चाहिएं।

सभापति महोदय, मैं आप का और सदन का विशेष समय नहीं लूंगा। मैं रक्षा मंत्री महोदय और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सड़कों का जो विकास किया जा रहा है, उस से इन इलाकों की जनता को बहुत बड़ी आशायें हो गई हैं। जब से नए जिलों का निर्माण इन इलाकों में किया गया है, तब से नई नई आशाओं का जन्म हुआ है और मुझे आशा और विश्वास है कि हम केवल नई नई आशायें पैदा कर के ही अपने कर्तव्य को समाप्त नहीं समझेंगे, बल्कि जितनी तेजी के साथ काम कर सकते हैं, करेंगे। हम ने बहुत सा समय खो दिया है अनावश्यक बातों में, या संकोच में आ कर, या मित्रता के धोखे में, लेकिन अब समय खोने का नहीं है और मैं आशा करता हूं कि इस बारे में तुरन्त व्यवस्था की जायगी।

इस में बताया गया है कि साढ़े तेरह करोड़ रुपयों की ग्रान्ट्स और चाहिए और डेढ़ करोड़ रुपया पहले से था, जो हो गया पंद्रह करोड़, लेकिन इस बारे में कोई डीटेल नहीं दी गई है कि कहां यह रुपया खर्च होगा। शायद सरकार की ओर से यह कहा जाय कि ये सामरिक महत्व की सड़कें हैं, इसलिए हम उन के बारे में विस्तृत विवरण नहीं देना चाहते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि १० करोड़ रुपए तो ए-२ के हैड में रखे गए हैं और साढ़े तीन करोड़ बी-२ के हैड में रखे गए हैं। क्या दो तरह की अलग अलग सड़कें बनेंगी, या कुछ भेद होगा? यह भेद क्यों किया गया है? साढ़े तेरह करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसमें दस करोड़ रुपए एक हैड में और साढ़े तीन करोड़ रुपए दूसरे में रखे गए हैं। यह विभाजन क्यों किया गया है? अगर इस बारे में कुछ विवरण दिया जाय, तो अच्छा हो। अगर अधिक नहीं, तो मोटे अन्दाज़ से यह बताया जा सकता है कि लद्दाख में इतनी, लाहौल और स्पीती में इतनी, हिमाचल प्रदेश में इतनी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में इतनी सड़कें बन रही हैं। इस तरह का एक मोटा नक्शा सदन के सामने रखना चाहिए। आखिर हम इस प्रकार का ब्लैंक चैक तो नहीं दे सकते कि जैसे चाहे यह रुपया खर्च कर दिया जाये। हम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है। हम लोगों का भी, जो कि उन इलाकों से संसद्-सदस्य हैं, कुछ उत्तरदायित्व है। इस नज़रिये से मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। अन्त में यह जो डिमांडज़ रखी गई है, मैं उन का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में इतनी तेजी से काम होगा कि अगले वर्ष जब हम बजट में मिलेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़ा विकास हो चुका है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मेरे विचार में हमारे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है। भाषा आयोग विधि संस्था के बारे में कार्य करने सम्बन्धी कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा निवेदन है कि भाषा आयोग इस क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा विद्वानों की एक स्वतंत्र संस्था है। उन्हें विचार करने के लिए सामग्री तो प्रस्तुत की जा सकती है। परन्तु संसद् अथवा सरकार के लिए उन्हें कोई सुझाव देना उचित प्रतीत नहीं होता। उन्हें किसी प्रकार के आदेश देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जिन लोगों पर इस का प्रभाव होने वाला है उन्हें यह विचार नहीं आना चाहिए कि आयोग अपने परिणाम निकालते समय हमारे आदेशों अथवा सुझावों से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

प्रभावित था। हमारा उद्देश्य यही है कि आयोग निश्पक्ष रूप से सारे मामले पर विचार कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इससे देश का भी हित हो और जिनका धार्मिक न्यासों के संचालन से सम्बन्ध है उनके लिए भी लाभप्रद सिद्ध हो। इसे आयोग में बहुत प्रसिद्ध जनसेवक लिए गये हैं जो इच्छापूर्वक काम करने के लिये तैयार हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और इसके लिए आवश्यक व्यय की भी व्यवस्था कर दी गयी है।

विधि संस्था की स्थापना करने की मांग एक मत से दोनों सदनों में की गयी थी। इसका उद्देश्य कानूनी विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देना है। यह संस्था भारत के मुख्य न्यायाधिपति के सभापतित्व में स्थापित की गयी थी। इसके संचालन मंडल को सरकार के नियन्त्रण से बिल्कुल स्वतन्त्र रखा गया है। इसके बिना अनुसंधान का कार्य सुचारू रूप से चल नहीं सकता। हम नहीं चाहते कि सरकार के कोई विभाग गवेषणा कार्य करें और न हम यह ही चाहते हैं कि सरकार की देखरेख में ही यह कार्य हो। मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त सभी विधि विशेषज्ञों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह संस्था सरकार के एक विभाग की भांति गवेषणा कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकती। इस समय इसने ये विषय लिये हैं; प्रशासकीय प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, प्रत्यायोजित विधान, मूल अधिकार, वस्तुओं का अन्तर्जिलीय आवागमन। उसने कुछ प्रकाशन भी किया है जिसका देश तथा देश के बाहर काफी स्वागत हुआ है। मैं ने स्वयं उन प्रकाशित प्रतिवेदनों को स्वयं पढ़ा है, वे बहुत ही विशद एंव व्यापक हैं। उसके पास इस समय जो आवश्यक कार्य है, उसे पूरा करने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्न पर वह विचार करेगी। एकदम तो सारे विषयों के गवेषणा कार्य को लिया नहीं जा सकता। उसके लिए हमें अपेक्षित कर्मचारियों तथा अन्य सभी बातों की व्यवस्था करनी होगी।

मूल अधिकारों, समान विधि संरक्षण, समानता का अधिकार, भाषण देने की स्वतंत्रता, तथा भारतीय दंड संहिता की धारा १२५(क) और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता के सम्बन्ध में की गई अनुसंधान के लेखों के रूप में संस्था की पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। इनका उल्लेख इन पत्रिकाओं में समय समय पर किया गया है। इस दिशा में और आवश्यक गवेषणा भी कुछ समय के बाद पूरी कर ली जायगी। इस काम को समाप्त करने में कुछ समय लगेगा। समय समय पर अन्य देश के भविष्य और हित के साथ सम्बन्धित विषयों पर भी गवेषणा की व्यवस्था संस्था के प्रशासन पदाधिकारी करते रहेंगे।

संस्था को किसी प्रकार का गवेषणा सम्बन्धी निदेश देने का तो प्रश्न ही नहीं है। संसद् भी सरकार को ऐसा करने के लिये नहीं कहेगी क्योंकि विधि संस्था मुख्य न्यायाधिपति के सभापतित्व में स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करती चली आ रही है। और आशा है कि संसद् इस बात पर भी जोर नहीं देगी कि इस संस्था पर सरकार कोई नियंत्रण अथवा देख रेख करने का प्रबन्ध करे।

संस्था का अस्तित्व सब को प्रभावित कर रहा है। यह उन का तीसरा वर्ष है, अब वह अपनी इमारत बनाने जा रही है। आजकल वह बहुत थोड़े से स्थान में काम कर रही है जो कि आरम्भ में उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। आशा है कि इस की इमारत शीघ्र ही तैयार हो जायेगी संस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए इस के लिये जो राशि मांगी गई है वह भी कोई अधिक नहीं है। अतः मेरी अपील है कि सदन को हमारी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह : सभापति महोदय, पूरक अनुदानों की जो मांगें पेश की गई हैं, उन में से मैं ८३ और ११२, इन दो अनुदानों पर बोलना चाहता हूं। पहली बात मैं उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वहां पर सड़कें बनाने के लिये १३ करोड़ ५० लाख रुपये के अनुदान की मांग की

गई है। मैं उस का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी और जितनीतेज़ी से इस काम को किया जाना चाहिये था, सम्भवतः उतनी जल्दी और उतनी तेज़ी से सरकार अब भी नहीं करना चाहती है। पहली बात तो यह है कि १३ करोड़ ५० लाख रुपये के अनुदान की जो मांग की गई है वह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तथा हमारी उत्तरी सीमा जोकि ढाई हजार मील लम्बी है, उस की लम्बाई को देखते हुए, थोड़ी है। वहां पर तो हमें सड़कों का जाल सा बिछा देना है। हम जानते हैं कि आज हमारी उत्तरी सीमा को खतरा पैदा हो गया है और उस खतरे को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इस मद् में ज्यादा रुपये की मांग की जानी चाहिये थी।

इस के बारे में हमारी सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि चूंकि इस वर्ष बहुत कम समय सड़कें बनाने के लिये हमारे पास है, इस वास्ते अधिक रुपये की मांग पेश नहीं की गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जून से सितम्बर तक ही वहां पर सड़कें बन सकती हैं, दूसरे समय में वहां हिमपात हो जाता है, अधिक जाड़ा हो जाता है और काम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इसी कारण से अधिक रुपये की मांग न की गई हो। लेकिन मैं आशा करूंगा कि इस क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिये सरकार को जितने रुपये की आवश्यकता हो, उस को मंजूर करवा लिया है, उस में कभी कोई कमी करने का प्रयत्न न किया जाय।

जब मैं यह कहता हूं कि किसी प्रकार की कमी करने का प्रयत्न न किया जाय तो एक दो बातों की तरफ भी मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, चाहे पहाड़ी इलाके में सड़कें बनाने की बात हो या मैदानी इलाके में सड़कें बनाने की बात हो, यह आवश्यक है कि इस चीज़ की खोजबीन की जाय, इस प्रकार का रिसर्च किया जाय जिस से कि कम खर्च में सड़कें बन सकें। हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े हुए और निर्धन मुल्क में आज सड़कें बनाने पर जितना खर्चा हो रहा है, यदि उतना ही खर्चा होता गया तो हम सड़कों का जाल सा देश में नहीं बिछा सकेंगे और उत्तरी सीमा जोकि इतनी लम्बी फैली हुई है, वहां पर सड़कें जितनी जल्दी और जिस खर्चे में हम चाहते हैं, बनें, नहीं बन सकेंगी। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सरकार का ध्यान खर्च पर भी जाय और वह इस तरह का कोई तरीका निकाले जिस से कि कम खर्च में सड़कें बन सकें। आज जो खर्चा सड़कें बनाने पर होता है वह बहुत अधिक होता है और इसी गति से अगर खर्चा होता रहेगा तो सम्भवतः उतनी जल्दी हम सड़कों का विकास नहीं कर सकेंगे जितनी जल्दी की आज की परिस्थितियों में विकास करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं इंटरनेशनल डिवेलेपमेंट एसोसियेशन की सदस्यता के बारे में कहना चाहता हूं। मैं हिन्दुस्तान द्वारा इस संस्था का सदस्य बन जाने की बात का स्वागत करता हूं। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। ऐसे संगठन के बारे में, ऐसी एसोसियेशन के बारे में यह नियम भी बनना चाहिये––और मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का नियम बनवाने पर जोर दे––कि जिन मुल्कों की जितनी सामर्थ्य है कांट्रीब्यूशन देने की, जिन राष्ट्रों की जितनी सामर्थ्य है अनुदान देने की, हिस्सा देने की, उन से उतना हिस्सा लिया जाय और दूसरे राष्ट्रों की परिस्थितियों को देखते हुए, पिछड़ेपन को देखते हुए, अविकसित और अर्द्ध-विकसित अवस्था को देखते हुए, जितनी आवश्यकता ऐसी एसोसियेशन्स से रुपया वापिस लेने की, अनुदान या ऋण की शक्ल में, हो, उन को उतना ही मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल डिवेलेपमेंट एसोसियेशन ने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं माना है और इसीलिये यहां पर कहा गया है कि पांच साल तक सम्भवतः कोई अनुदान भी नहीं मिलेगा, ऋण ही मिल सकेगा। यदि हम दुनिया की आज की परिस्थितियों को देखें तो पता चलेगा कि एक तरफ तो पिछड़े हुए, अविकसित और अर्द्ध-विकसित मुल्क हैं और दूसरी तरफ समृद्धिशाली राष्ट्र हैं और ऐसी दशा में अगर हम ने इन पिछड़े हुए मुल्कों के लिये केवल ऋण की व्यवस्था ही की तो उन पिछड़े हुए मल्कों का जिन में हिन्दुस्तान भी एक है, विकास बहुत दिन तक

[श्री ब्रजराज सिंह]

नहीं हो सकेगा और दुनिया में अगर शान्ति कायम रखनी है तो उस के लिये यह आवश्यक है कि दुनिया के जितने भी पिछड़े हुए देश हैं, जितने भी अविकसित और अर्द्धविकसित देश हैं, उन का जल्दी से जल्दी विकास हो। यह विकास तभी हो सकता है जबकि हम इस तरह का नियम विश्व के पैमाने पर बनवाने का प्रयत्न करें कि जिन राष्ट्रों की जितनी क्षमता है, जितनी सामर्थ्य है ऐसी विकास एसोसियेशन में धन देने की, वे उतना ही धन दें और जिन्हें जितनी आवश्यकता है, ऋण की शक्ल में अथवा अनुदान की शक्ल में धन वापिस लेने की, उन को उतना धन मिल सके। इस समय एसोसियेशन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरह का प्रयत्न करे जिस से कि यह संस्था सच्चे अर्थों में विश्व विकास संस्था बन सके। ऐसा न हो कि पिछड़े हुए मुल्कों को अनुदान या ऋण देने में किसी राजनीतिक दावपेंच को बरता जाय और न ही कोई इस तरह का विचार हो कि फलां मुल्क ने चूंकि कम धन दिया है, कम हिस्सा दिया है इसलिये उस को सहायता के रूप में अथवा अनुदान के रूप में अथवा ऋण के रूप में कम रुपया मिलेगा। मैं समझता हूं कि जब हम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करेंगे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, विश्व के विकास कोष की संस्थापना में, तभी हम पिछड़े हुए मुल्कों की उन्नति कर सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस इंटरनैशनल डेवेलपमेंट एसोसियेशन को ऐसी शक्ल देने में समर्थ होगी जिस में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हो सकेगा।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, मुझे ग्रान्ट नं० १० के बारे में यह निवेदन करना है कि इस में जो मुआविजा देने के लिये रकम की मांग की गई है उस के सम्बन्ध में विस्तार के साथ कुछ नहीं बतलाया गया है। यही कहा गया है कि एक फर्म को लकड़ी का ठेका दिया गया। उस में कुछ माल था जो हमें पसन्द नहीं आया। नुक्सान को उस के जिम्मे रखते हुए दूसरी फर्म से माल ले लिया गया। हमें पता नहीं है कि दूसरी फर्म से जो माल लिया गया उस में सरकार को पहली फर्म के मुकाबले कितना ज्यादा रुपया देना पड़ा। इस का जिक्र भी इस में नहीं है। उस के बाद यह है कि उस फर्म ने दावा करना चाहा। उन्हों ने आरबिट्रेशन के सुपुर्द मामले को कर दिया। आरबिट्रेशन ने ८९,३१७ रु० का मुआवजा शासन से दिलाने के लिये अपना अवार्ड दिया। तो यह केवल ६०,००० रु० की रकम नहीं है, बल्कि ८९,००० रु० के लगभग तो सरकार को पहली फर्म को देना पड़ा। उस के अलावा उस फर्म से माल खरीदने के बाद दूसरी फर्म से जो माल खरीदा गया उस के लिये कितना ज्यादा रुपया देना पड़ा, यह भी इस में नहीं है। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि सदन के सामने यह बात रक्खी जाय कि जो माल पहली फर्म से खरीदा गया उस के बाद जो माल दूसरी फर्म से खरीदा गया तो उस में कितनी ज्यादा लागत सरकार को देनी पड़ी। यह चीज बतलाई जाय तभी कहीं यह ठीक से मालूम हो सकेगा कि वाकई हमारा कितना नुक्सान हुआ।

दूसरी बात यह है कि इस असावधानी के लिये कौन जिम्मेदार है। ८९,००० रु० तो सरकार बजाहिर दे रही है, जिस का शासन को नुक्सान उठाना पड़ा, और जो ज्यादा कीमत देनी पड़ी वह अलाहदा है। फिर जो माल पहले खरीदा गया था उस का क्या हुआ। आखिरकार वह स्वीकार करना पड़ा या कि वह वापस किया गया ? क्या उसे फर्म ने वापस ले लिया ? मैं समझता हूं कि वह फर्म वापस नहीं ले सकती थी और न उस ने लिया। वह माल काम में आया। जब वह माल काम में आ गया तो क्या कारण है कि उस को लेने से इनकार किया गया ? इस में किस किस की असावधानी थी और समय पर मिनिस्ट्री आफ ला से क्यों नहीं राय ले ली गई कि इस माल को लेने के लिये सरकार जिम्मेदार है या नहीं। अगर उसे माल को ले कर उस का उपयोग करना पड़ा तो पहले ही सलाह ले कर उस का उपयोग किया जा सकता था। यह अगर पहले किया जाता तो हरजाने के रूप

में जो इतनी बड़ी रकम देने का सवाल है, जिस की सम्भावना पूरे आंकड़े मालूम होने पर और भी ज्यादा हो सकती है, उस की जरूरत न होती और इतना नुकसान उठाने की आवश्यकता न पड़ती। इसलिये यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि इस का जिम्मेदार कौन है। शासन ने इस की जिम्मेदारी किसी पर डालने की कोशिश की या नहीं, और अगर कोई अफसर जिम्मेदार है तो वाकई उस के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या नहीं, यह भी देखने की जरूरत है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंग।

पावर रिसर्च इन्स्टिट्यूट की जो मांग है नं० ६५ पर, उस के बारे में मेरे मित्र प्रोफसर शर्मा ने कहा था। इसी तरह से जो बार्डर रोड डेवेलपमेंट बोर्ड है उस के बारे में भी कहा था कि स्टाफ बहुत ज्यादा है। मैं ने भी इस को देखा और मैं समझता हूं कि डाइरेक्टर्स, असिस्टेंट डाइरेक्टर्स, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डाइरेटर्स, प्यून्स, दफ्तरी, जमादार पता नहीं कितना किताना स्टाफ रख दिया गया है। हमारे देश में एक ऐसी परिपाटी हो गई है कि कोई डिपार्टमेंट कायम हो, पहले चपरासी वगैरह ज्यादा चाहिये। रिसर्च इन्स्टिट्यूट के लिय ज्यादा चपरासी क्या करेंगे ? प्यून्स क्या करेंगे ? इस में देखते हैं कि हेल्पर्स २५ हैं, प्यून्स २५ हैं। जब इस प्रथा को कोई बाहर से आने वाला देखता है तो कहता है कि दूसरे देशों में तो प्यून्स वगैरह देखने कोभी नहीं मिलते हैं। इसलिया कभी कभी इस ओर भी देखने की जरूरत है। हमारे जो ऊंह अधिकारी होते हैं उनकी एक आदत सी पड़ी हुई है, अभी जैसा संगठन लचल रहा है उस में इतना स्टाफ बढ़ा दिया जाता है जिस का कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी बोर्ड कायम हो, कोई भी संस्था कायम हो, हर एक के साथ वैसी ही व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन हमारे मन्त्रीगण को देखना चाहिये कि इसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अफसरों के मकानों पर चपरासी काम करते हैं। क्या यह चलना चाहिये ? यह प्रथा बन्द होनी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों के मकानों पर जो लोग काम करते हैं, उसे बन्द किया जाना चाहिये। तनख्वाह तो सरकार देती है लेकिन अफसर अपना काम करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। इस बीज में देखना चाहिये कि जो स्टाफ रक्खा गया है उसमें कमी हो। हमारे देश की गरीबी को मिटाना है, हमारे यहां जो योजनायें चलती हैं उनके लिये हमें पैसा नहीं मिलता है। हमें बाहर से करोड़ों रुपयों काकर्ज लेना पड़ता है और यहांपर वह पैसा चपरासियों या छोटे क्लर्कों या स्टेनोग्राफर्स पर खर्च किया जाता है। हमने हिन्दू रिलीजस एण्डाऊमेंट्स कमीशन में देखा कि उसमें ६ स्टेनोग्राफर्स हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सबस्टेनोग्राफर्स को एक साथ अफसर लोग डिक्टेशन लिखाया करेंगे सुबह से शाम तक। क्या हर मेम्बर को स्टेनोग्राफर चाहिये ? अगर वे आफिस में बैठते हैं तो एक आफिस में दो या तीन स्टेनोग्राफर काफी हैं। जिन की जरूरत हो वह उनको बुला कर डिक्टेशन लिखवा सकते हैं। इसी तरीके से देखता हूं किहर जगह स्टाफ की बहुत बड़ी सख्या है। उनकी सख्या कम होनी चाहिये और इस खर्च को जितना किया जा सके करना चाहिये।

बार्डर रोड्स के बारे में यह बोर्ड बना, डेवेलपमेंट के लिये, इसमें भी काफी बड़ा स्टाफ है और इंजीनियर्स हैं। मेरे मित्र श्री भगवत दर्शन ने ठीक ही कहा था कि बोर्ड बना तो, लेकिन जब यहां कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम बार्डर, नार्थ वेस्टर्न फ्रण्टियर एजेन्सी, बंगाल वगैरह का पूरा क्षेत्र है जो कि इसमें आ जाता है तो बोर्ड बैठ करक्या करेगा ? अगर यह स्थायी बोर्ड यहां तो यह काम क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं आता ता है। ज्यादा अच्छा होता कि एक छोटी कमेटी जैसी चीज होती, ऐडवाइजरी कैपेसिटी में. एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता, सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० और डिफेन्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित जो लोग कस्ट्रक्शन के जानकार हैं, वे इसमें होते, साथ में स्टेट्स के इंजीनियर्स भी होते, वे समय समय पर बैठ कर पालिसी तय करते, वे दिशा बतलाते कि किस

[श्री राघे लाल व्यास]

दिशा में किस तरीके से रोड्स बनानी हैं तो काम ज्यादा अच्छा होता। लेकिन एक बोर्ड स्थायी रूप से बना रहे, बारहों महीने, जबकि पहाड़ों में कुल चार या छः महीने काम होगा, और उस पर इतना खर्च हो, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस चीज पर भी विचारकरना चाहिये कि रोज तो कोई रिसर्च करता नहीं रहेगा एक जगह बैठ कर कि कम से कम खर्च में जल्दी से और सहूलियत से कैसे सड़क तैयार हो सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह उस का काम है, वह भी इसे कर सकता है। उसमें एक विंग ऐसा किया जा सकता है कि वह देखे कि पहाड़ों पर जो सड़कें बनाई जायें कम खर्च में कैसे बन सकती हैं। यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है, लेकिन यह जो बोर्ड बना है, उस पर और विचार करने की जरूरत है, इसको रिकसिडर करने की जरूरत है जिस में कम से कम खर्च हो।

रोड्स के प्रोग्रैम्स के लिये जरूरी है कि वे बनें, कोई भी उस पर कम खर्च की बात नहीं करेगा। उस पर चाहे जितना खर्च हो, लेकिन यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि कम से कम खर्च में रोड्स बनें। हमारे इतने बार्डर के लिये १५ करोड़ रु० प्रति वर्ष कोई ज्यादा नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि यह हमारी सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाली सड़कें होंगी। जब लड़ाई का समय होता है तो कंसट्रक्शन वर्क की जिम्मेदारी हमारी मिलिटरी और डिफेन्स डिपार्टमेंट की होती है। सड़कें वह बना लेते हैं, मकान वह बना लेते हैं। क्या हमारा डिफेन्स डिपार्टमेंट इस काम में सहयोग नहीं कर सकता? जो हमारे इंजीनियर्स हैं, पी० डब्ल्यू० डी० के जो इंजीनियर्स हैं वह सब मिल कर कस्ट्रक्शन का बहुत कुछ खर्च बचा सकते हैं।

बह सड़कें जो बनेंगी, उनके सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि यह भी देखा जाय कि उन सड़कों का लाभ उठाने के लिये ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर हम आबादी को बसा सकें और उनके लिये नये रोजगार और धंधे पैदा कर सकें। मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर को यह देखना चाहिये कि वहां पर कौन से फल ज्यादा पैदा किये जा सकते हैं, कौनसी काटेज इंडस्ट्री हो सकती हैं वहां पर कौन से मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इस का भी सर्वे किया जाय। अगर लोगों को रोजगार दे कर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर उनको बसा सकें तो वह ज्यादा लाभकारी होगा क्योंकि जब भी संकटकालीन स्थिति पैदा होती है तो वहां रहने वाले जो होंगे वह ज्यादा मददगार हो सकते हैं। इसके साथ ही जहां रोड्स बनाई जाती हैं, उस ओर भी ध्यान दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : वाद-विवाद में अधिकांश सदस्यों ने सीमांत सड़क विकास बोर्ड के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। वस्तुतः यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बातों पर माननीय सदस्यों के विचार वस्तुतः श्लाघनीय हैं। मैं ने सब माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार कर लिया है और जिस सीमा तक सुझाव बोर्ड के निर्देशन-पदों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होंगे उस सीमा तक हम उन पर अमल करेंगे। यदि वह उद्देश्य, जिसके लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, निर्देशन पदों के विस्तार की मांग करेगा तो निश्चय ही बाद में सरकार उनके विस्तार की बात सोचेगी। चूंकि यह मामला पहली बार सभा के सामने आया है इस कारण यह आवश्यक है कि उसे यहां पर इस ढंग से रखा जाय कि सभा इस सारी चीज को ठीक तौर पर समझ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहली बात तो यह है कि यह बोर्ड देश की विद्यमान किसी भी सड़क निर्माण करने वाली निकाय का स्थान ग्रहण नहीं करता अर्थात् यह सड़क बनाने का सारा काम अपने ऊपर नहीं लेता। इस संगठन का उद्देश्य देश के सामरिक महत्व की कार्यवाही करना तथा उसकी प्रतिरक्षा के उपायों के साथ साथ उन क्षेत्रों का विकास करना है। उस चीज़ के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य भी आ जाता है। इस लिये यह नहीं समझना होगा कि जहां पर सड़कें न हों वहां सड़क विकास बोर्ड से काम लिया जा सकेगा। अभी से इस बोर्ड के पास राज्य सरकारों तथा माननीय सदस्यों के सुझाव आने शुरू हो गये हैं कि अमुक सड़क इस प्रकार से उपयोगी रहेगी, चाहे वह यात्रा के सम्बन्ध में हो अथवा अन्य वाणिज्यिक उपयोगों के लिए। यह सब चीजें भी होनी चाहिए परन्तु इनके निष्पादन के लिए हमारे देश में पहले से ही अनेक संगठन विद्यमान हैं।

यह बोर्ड संविहित है और इसकी हैसियत किसी दूसरे सरकारी विभाग की सी है। यह बोर्ड प्रतिरक्षा मंत्रालय का भाग नहीं है क्योंकि जो सड़कें यह बनाता है वह इस मामले में प्रतिरक्षा सड़कें नहीं हैं कि उनके लिए प्रतिरक्षा बजट में व्यवस्था की जाती हो। जो मांग इस समय सभा के सामने है वह उस रकम की तुलना में कहीं कम है जिसे पूरा होने से पहले व्यय करना होगा।

कुछ और बातें भी माननीय सदस्यों ने कहीं। शायद वे लोग कुछ भूल गये जिन्होंने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में सभा को कुछ बताया नहीं गया। वस्तुतः इस बोर्ड की पहली बैठक २९ मार्च के करीब हुई थी और उसके कुछ थोड़े ही दिनों बाद इस बोर्ड का गठन तथा उसके निर्देशन पद आदि से सम्बद्ध सभी चीजें सभा-पटल पर रख दी गयी थीं। इस सम्बन्ध में विज्ञप्तियां भी जारी की गयी हैं। अन्य भौगोलिक आदि ब्योरा प्रस्तुत करना शायद हमारे लिए संभव न हो और शायद कुछ सड़कों की लम्बायी, चौड़ाई तथा अन्य एतदविषयक जानकारी देना भी ठीक न होगा, क्योंकि कुछ सड़कें सामरिक क्षेत्र में हैं।

इस संगठन में विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व है अर्थात्, परिवहन, वित्त तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों के अलावा इस में वैदेशिक तथा केबिनेट सचिव भी सम्मिलित हैं। इन लोगों को इस कारण शामिल किया गया है कि कुछ वैदेशिक मामलों की उलझनें भी इस काम में आती हैं। बोर्ड में सीमान्त सड़कों का एक डायरेक्टर जनरल है तथा उसके आधीन अन्य प्रशासनिक ढांचा है। आखिर यह विभाग संसद को उत्तरदायी है इस कारण इसके वित्तीय पहलुओं तथा अन्य सभी बातों पर हमें विचार करना पड़ता है। हमने कभी भी संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना नहीं होने दी। हां काम को वैज्ञानिक रीति से अवश्य चलाया जा रहा है ताकि काम होने में विलम्ब न हो। इसलिए इस बोर्ड का एक सदस्य, वित्तीय सलाहकार है जो सामान्य स्थितियों में अपनी शक्ति के अनुसार व्यय की मंजूरी भी दे सकता है।

इस समय यह बताना तो संभव न होगा कि कुल व्यय कितना होगा। वस्तुतः यही अवसर है जहां पर यह बताना उपयुक्त है कि यह बोर्ड तथा इस की सारी व्यवस्था का विकास स्वच्छेद रूप से होता रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ उप सचिव या सचिव बुला लिये गये हों इस आशा में कि काम बाद में आता रहेगा। हम ने कम से कम आदमियों से काम शुरू किया है। श्री दी० चं० शर्मा ने इस में काफी लोगों के अन्तर्ग्रस्त होने की बात कही। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि चपरासियों समेत इस में कुल २० आदमी ही हैं।

पूछा जाता है कि डायरेक्टर जनरल ही क्यों सारा प्रशासन नहीं चला लेता। यदि उसे इस काम में लगा दिया जाय तो वह इसी काम में उलझ जायेगा और सड़कें कम बनेंगी।

[श्री कृष्ण मेनन]

डायरेक्टर जनरल के अधीन टेक्नीकल काम हैं जैसे कि निर्माण कार्य, संगठन, योजना आदि और इन कामों में उसकी सहायता अन्य अधिकारी करते हैं जिन्हें हमने स्थल, जल तथा विमान सेना से लिया है । काम इस ढंग से चलाया जाता है कि विद्यमान संगठनों में तनिक भी खराबी न आये। जहां केन्द्रीय या राज्यीय लोक-निर्माण विभाग हों वहां पर यह बोर्ड उन्हीं के माध्यम से काम करता है और यदि धन का अभाव हो तो उसे पूरा किया जाता है तथा साथ ही अन्य मशीनरी अथवा नीति सम्बन्धी सहायता भी उन्हें दी जाती है ।

यह आवश्यक है कि इन सड़कों का निर्माण इस तरह पर हो जिस से कि वह उद्देश्य पूरा हो जाय जिस के लिए वह बनायी जा रही है। एक सदस्य ने इस बात को कहा कि यह बात आवश्यक नहीं कि सड़कों का निर्माण उसी रीति से किया जाय जिस तरह पर सड़क कांग्रेस ने निर्णय किया हो । यह ठीक है । इन सड़कों का निर्माण यह चीज़ सोचकर किया जाता है कि उन पर से कितना वजन ले जायगा और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलायी जायेंगी । अतः इन में स्थान स्थान पर विभिन्नता होगी और इतना कह देना ही काफी होगा कि हर जगह पर से गाड़ियां ले जायी जा सकेंगी । फिर इन सड़कों को हर ऋतु में खुला रखने की भी व्यवस्था करनी होगी। कहीं पर बर्फ गिरती है और कहीं पर कैसा मौसम रहता है उन सब बातों पर ध्यान रखते हुए हमें इन्हें सारा साल चलने योग्य बनाना होगा।

इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि जो काम हमने अभी शुरू किया है वह कब समाप्त हो जायगा। किन्तु केवल इतना कह सकते हैं कि इन्हें आम तौर पर लगने वाले समय के एक तिहाई समय में ही पूरा कर दिया जायगा ।

जहां तक निदेशालय तथा मंत्रालय के अधिकारियों का सम्बन्ध है मैं बताना चाहता हूं कि उन में पूर्ण समन्वय है । आशा है कि ऐसी ही भावना भविष्य में भी बनी रहेगी तथा हम लोग अपनी पूरी कोशिश से काम करेंगे । बोर्ड में स्थल तथा वायु सेना के सेनापति भी हैं । स्थल सेना के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह यह है कि निर्माण सम्बन्धी कार्यों से सम्बद्ध अधिकारियों अर्थात् क्वार्टर मास्टर जनरल तथा सड़क निर्माण के मुख्य डायरेक्टर जनरल तथा अन्य चीफ इंजीनियरों ने काम संभाला है । बोर्ड के सचिव का स्तर संयुक्त सचिव का है । उसे वित्त विभाग में से लिया गया है ताकि प्रक्रिया आदि की काफी जानकारी होने के कारण कार्य में अनावश्यक विलम्ब न होने पाये।

बोर्ड का काम कई कारणों से देर में होने का खतरा रहता है । पहले तो ऋतु का ही सवाल है । कुछ स्थानों पर कोई भी आदमी खास खास ऋतुओं में काम नहीं कर सकता दूसरी कठिनाई है साधन तथा मशीनरी की अनोपलिब्ध । जैसा कि सभा को ज्ञात है हमारे विदेशी मुद्रा के साधन कम हैं। कई बार यह भी सोचा जाता है कि जब बर्मा रोड़ हाथों से बनायी गयी तो ये सड़कें भी क्यों नहीं बनायी जा सकती। किन्तु यह काम संभव नहीं है । जिन रास्तों पर ये सड़कें बनायी जायेंगी वे दुर्गम हैं । अतः इन के लिए मशीनों की आवश्यकता है। मशीनरी के बिना ही तो अभी तक लक्ष्यों की यथा सम्भव पूर्ति नहीं हो सकी।

समन्वय तथा सहयोग के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि केन्द्रीय बोर्ड में सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं जो पूरा सहयोग देते हैं। जहां तक स्थानीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, बोर्ड में ऐसे कोई सदस्य नहीं हैं। वस्तुत: यह राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य मैं पहले से ही बता चुका हूं। जिस किसी भी राज्य या स्थान पर किसी सड़क के निर्माण की आवश्यकता होती है वहां पर पूरे समन्वय से काम किया जाता है। सीमांत सड़कों की योजना के बारे में दिल्ली में विभिन्न राज्यों के चीफ इंजिनीयरों का एक सम्मेलन हो चुका है। हर एक राज्य ने अभी तक हमें पूरा सहयोग दिया है। किन्तु अकेले समन्वय से ही तो सारी मशीनरी की प्राप्ति नहीं हो जाती। किन्तु मैं यह बात अवश्य कहूंगा कि इस कार्य का अधिकांश हिस्सा दो संगठनों द्वारा किया जाता है, एक तो सेना के द्वारा तथा दूसरा सैपरों के द्वारा। जो दल एक समय उपलब्ध होते हैं उन्हें काम के लिए भेज दिया जाता है। वही सड़क बनाने वाले हैं, इंजीनीयर हैं। कई स्थानों पर बड़े पुल बनाने पड़ते हैं इस उद्देश्य के लिए भी काफी श्रमिकों को रिजर्व कर लिया गया है।

यह बात भी पूछी गयी कि क्या वे स्थानीय ठु अथवा और लोग हैं। वस्तुत: स्थानीय लोगों को रखने से काफी लाभ होता है क्योंकि उस मौसम के आदी होते हैं और उसे सह सकते हैं। किन्तु कुछ इलाकों में ऐसे श्रमिक प्राप्त भी नहीं होते। सारी सड़कें विकसित क्षेत्रों में तो बनायी नहीं जाती। अविकसित क्षेत्रों की जनता भी अविकसित ही है क्योंकि वहां उन्हें खाने को काफी नहीं मिलता। । इसलिए युद्ध के समय की भांति श्रमिकों के दल रखने की भी आवश्यकता है जो चाहे सैनिक टुकड़ियां न हो पर अर्ध सैनिक टुकड़ियों के रूप में काम करें। कहने का तात्पर्य यह है कि उन पर सेवा की शर्तें लागू हों तथा वे अनुशासन के अधीन हों। इस कारण सैनिक सैयरों तथा राज्य सरकारों के स्थानीय श्रमिकों के अलावा, उक्त काम के लिए श्रमिक भर्ती कर के एक ग्रांड इंजिनीयरिंग फोर्स बनाने का विचार है। ऐसा संगठन युद्ध से पहले यहां था। इस में भूत पूर्व सैनिकों में से कुछ कम आयु के लोग लिये जाते हैं हैं और इस तरह से उन्हें काम भी प्राप्त हो जाता है। अत: पहाड़ी क्षेत्रों में भर्ती के केन्द्र खोल दिये गये हैं। जो कि सैनिक संस्थापनों के अधीन रह कर काम करते हैं।

एक सदस्य ने शिकायत की है कि इन लोगों को कम वेतन दिया जाता है। यह आलोचना न्यायोचित है। किन्तु इस देश में हम चाहे कितनी भी तनख्वाह दे दें वह कम ही रहेगी क्योंकि हमारा जीवन स्तर ही नीचा है। उन्होंने प्रशासन के लोगों की कम संख्या के बारे में भी उल्लेख किया है।

यह पत्र वेतन की आयोग की सिफारिशों के प्रकाशन से पूर्व ही छापा गया था। धीरे धीरे इन लोगों का स्तर भी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर दिया जायगा। जहां तक दूसरे संगठनों का सम्बन्ध है उन के कर्मचारियों को उसी स्तर से वेतन दिया जाता है जिसे सब लोग संतोषजनक समझते हैं। ग्राउंड इंजिनीयरिंग फोर्स के कर्मचारियों की न्यूनतम तनख्वाह ९० रुपये मासिक होगी। यह वेतन कपड़े तथा राशन के अलावा होगी। उन में से अधिकांश लोगों को अनुशासन में रहने की आदत होगी तथा वे मिलकर भी काम कर सकेंगे।

मशीनरी के बिना भी हमारा काम रुक जाता है और इसकी प्राप्ति में भी समय लगता है। कुछ को तो वहीं से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। युद्धास्त्र कारखाने

[श्री कृष्ण मेनन]

भी कुछ मशीनों की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। उधर सेना भी अपने सामान में से मशीनें उदारता से दे रही है ताकि काम न रुके।

मुझे यह बात सभा से छुपानी नहीं चाहिए कि इस काम से अर्थात् हमारे सीमान्त की सुरक्षा के काम से हमारी विमान सेना के ऊपर काफी बोझ पड़ा है। शायद आपने अखबारों में पढ़ा होगा हम ने एयर फोर्स में कुछ थोड़ी बढ़ोतरी की है। इस से समस्या का ज्यादा हल न होगा क्योंकि बहुत से स्थान ऐसे हैं जिन तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। दूसरी बातें तो कुछ हो ही नहीं सकतीं। इस कारण लोगों को वहां ले जाने, सामान ले जाने तथा उन स्थानों में उन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करने की सारी चीजें विमान बल को ही करनी होती है। इस काम के लिए भी काफी ज्यादा मशीनरी की आवश्यकता है जिसे विदेशी मुद्रा के अभाव की इस स्थिति में हमें प्राप्त करने का प्रयास करना है। इन के बावजूद भी हमारे लिए यही पर्याप्त नहीं है कि हम एक मात्र यह बता कर चुप हो रहें कि विलम्ब क्यों हुआ। हमें यही बताना होगा कि काम अन्ततः पूरा हो गया है। मौसम के खराब रहने के बावजूद तथा अन्य कठिनाइयों के होते हुए भी, थोड़े से समायोजन तथा साधारण से प्राथमिकताओं के परिवर्तन से हम इस अवधि में उतना काम कर चुके हैं जितना कि हमें करना चाहिए था। किन्तु कुछ क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में काम जारी रखना काफी कठिन होता है।

श्री नौशीर भरूचा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि सीमा में सड़कों के निर्माण के साथ साथ अन्य कार्य अर्थात् कृषि विकास तथा सेना के ठहराव आदि के प्रबन्ध की भी व्ययवस्था होती रहनी चाहिए। इन में से कुछ चीजें प्रतिरक्षा संगठन के अन्तर्गत अवश्य आती हैं। इस समय ये सीमान्त की सड़कें नये क्षेत्रों को खोलने के बारे में हैं। उदाहरणार्थ लेह-कर्गल सड़क के बारे में जैसे कि आपने अखबारों मे पढ़ा है, यद्यपि वहां पर सड़क बन चुकी है, परन्तु जो काम वहां पर किया गया है वह अग्रिम प्रायोजना के रूप में किया गया है परन्तु वह सड़क अब इतनी चौड़ी तथा पुख्ता बन गयी है कि उसे हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस से लद्दाख का सारा क्षेत्र खुल जायगा। इन सड़कों के जारी होने से उस स्थान में इस तरह के विकास होंगे जिस से देश की प्रतिरक्षा को काफी फायदा पहुंचेगा।

कुछ दूसरे क्षेत्र भी हैं जिनमें लोगों ने न कभी सड़क देखी है और न कभी मोटर गाड़ी इत्यादि। उन क्षेत्रों में भी यातायात की सुविधायें प्रदान करनी है किन्तु हमारा अनुभव यह है कि जब आप इन क्षेत्रों को जाकर देखें तो यह इतने कठिन नहीं प्रतीत होते कि इनका विकास हो ही न सके। इस समय सभा के समक्ष जो मांगें रखी गयी हैं वे अत्यल्प हैं और मैं बता देना चाहता हूं कि बाद में सरकार को और बड़ी रकमों के लिये सभा के समक्ष आना पड़ेगा। वह समय भी ज्यादा दूर नहीं है। सड़कों की लम्बाई तथा उन पर लगने वाले सामान के टन भार को मैं प्रकट नहीं कर सकता और यह बताना भी असंभव है कि इन पर ठीक से कितनी लागत आयेगी या एक मील पर कितनी। हो सकता है कुछ स्थानों पर ज्यादा लागत आये और कुछ स्थानों पर कम किन्तु हम समझते है कि सामूहिक रूप से जो लागत आयेगी वह अन्य स्थानों पर आने वाली लागत के लगभग समान ही होगी। उनमें से कुछ सड़कें सामाजिक महत्व की हैं और उन्हें सेना ही बनाती है। मैं समझता हूं कि हमारे पास जो सीमित सैपर हैं उन्हें सब से पहले इन्हीं क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिये। जब पानी वाले रास्तों

पर पुल बनाने के लिये इस्पात के सामान की आवश्यकता होती है तो उन्हें काफी संख्या में मंगवाना पड़ता है। तभी काम तेजी से आगे बढ़ता है। मैं इस समय यह आवश्यकता नहीं समझता कि किसी चीज की व्याख्या की जाय या किसी प्रकार का उजर पेश किया जाये।

जो सुझाव माननीय सदस्यों ने इस दिशा में दिये हैं मैं सरकार की ओर से तथा अपना ओर से उनका स्वागत करता हूं। उनमें से कुछ सुझावों पर विचार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो लोग इस वाद-विवाद को पढ़ेंगे उन्हें यह जानकर सन्तोष होगा कि यह सभा इस विषय में न केवल रूचि ही ले रही है, बल्कि पूरी परह से इसका अनुसरण भी कर रही है और सरकार को इस काम में आगे ले जाने के लिये अपना पूरा सहयोग दे रही है।

कुछ विशेष सड़कों के बारे में कुछ प्रश्न भी पूछे गये हैं। मैं उनके उत्तर दो कारणों से नहीं दे सकता। पहली बात तो यह है कि यह बताना कि अमुक क्षेत्र योजना में शामिल है या नहीं, लोक हित में नहीं है। जहां तक दूसरी बात का संबंध है हमें आशा करनी चाहिये कि हर संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाये परन्तु उन मांगों को पूरा करना सर्वथा संभव नहीं होता। यह बात मनीपुर जैसे क्षेत्रों पर लागू होती है जो ऐसे महत्वपूर्ण हैं परन्तु जिनको प्रथम प्राथमिकता नहीं दी गयी। इन सब बातों में हम स्थानीय जनता का सहयोग चाहते है और स्थानीय सरकारों की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बोर्ड के अधीन केवल प्रतिरक्षा कर्मचारी ही नहीं आते। जो सैनिक कर्मचारी कम्बेटैंट होते हैं उन्हें उन कामों पर नहीं लगाया जाता क्योंकि उन्हें और भी काम होते है। मुझे आशा है कि हमने जिन लोगों को इन क्षेत्रों में रखा है उनको धीरे धीरे और सुविधायें प्राप्त होती जायेंगी और उसके परिणामस्वरूप वहां पर पहले की अपेक्षा ज्यादा काम होगा।

राज्यों को दी जाने वाली सहायता के अनुपात के बारे में भी प्रश्न पूछे गये हैं। वैसे तो यह मामला बातचीत से तय होगा परन्तु हमारी यह इच्छा कभी भी नहीं रही कि हम कोई ऐसी चीज रोके जिससे सड़क निर्माण के काम में बाधा उपस्थित हो।

मैं सारी जानकारी देने को तैयार हूं और शायद इतनी ही बातें कहीं गयी थीं और इनके संबंध में मैंने उत्तर दे दिये हैं। कुछ जानकारी सभा पटल पर रख दी गयी है। यदि किसी माननीय सदस्य को रूचि हो तो हम संगठन के निर्देश पर तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों आदि को भी सभा पटल या पुस्तकालय में रख सकते हैं किन्तु न तो हम यह चाहते हैं कि इस मामले का अधिक प्रचार किया जाये और न ही हम यह चाहते है कि इसके महत्व को घटाया ही जाये।

कभी कभी सीमांत सड़कों की खबरें अखबारों में भी देखी जाती हैं पर वे बहुत ही कम महत्व की होती हैं।

मैं पुनः इस सभा को धन्यवाद देता हूं कि इसके समस्त सदस्यों ने इस काम में बहुत रूचि ली है और मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मांग संख्या ८३ को परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन दिखाया गया है। सभा जानती है कि यह मांग बिल्कुल उचित है और वह इसे स्वीकार अवश्य करेगी लेकिन जब यह सभा इसे परिवहन मंत्रालय के अधीन स्वीकृत करेगी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

तो इसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय का हाथ कैसे आयेगा ? इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विषय प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में रहेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह बोर्ड सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इसकी स्थिति परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अन्तर्गत आती है । इस बोर्ड के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं तथा प्रतिरक्षा मंत्री उपाध्यक्ष हैं । बजट के लिये यह विषय परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अन्तर्गत आता है । परिवहन मंत्रालय ही हमें धन देगा ।

†**श्री त्यागी** : यदि ऐसी बात है तो सभा इसे स्वीकार नहीं कर सकती । सरकार इस तरह घुमाफिरा कर कार्यवाही कर सकती है लेकिन यह सभा तो नहीं कर सकती । यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि क्या यह बोर्ड प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन है ? यदि ऐसा हो तो यह मांग भी उसी मंत्रालय की ओर से आनी चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : इसमें औचित्य प्रश्न कुछ नहीं है; कोई भी मंत्री दूसरे का प्रतिनिधित्व कर सकता है ।

†**श्री त्यागी** : बात यह नहीं । हम मांग तो स्वीकार कर रहे हैं परिवहन मंत्रालय की, इस लिये यह जानना जरूरी है कि यह बोर्ड उसी मंत्रालय के अधीन है या नहीं । अन्यथा हम मांग स्वीकार नहीं कर सकते ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : बात यह है कि यह बोर्ड परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी विभाग के रूप में है । यदि परिवहन मंत्री को, प्रतिरक्षा मंत्री या प्रधान मंत्री के इसमें योग देने पर आपत्ति नहीं तो फिर किसी को क्यों आपत्ति हो ?

†**श्री त्यागी** : तो ठीक है, इस बोर्ड से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तरदायित्व परिवहन मंत्री पर होगा ।

†**सभापति महोदय**: इससे यह मतलब नहीं निकलता ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या परिवहन मंत्रालय, बोर्ड के सैनिक अफसरों पर नियंत्रण रखेगा ? बेहतर यही होता कि यह मांग प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत रखी जाती ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मांगों को उपयुक्त तरीके से सभा के समक्ष रखा जाता है, इस तरह से उन्हें रखना ठीक नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : यह परिवहन तथा संचार मंत्रालय के अधीन है ।

†**डा० मेलकोटे** : प्रश्न तो यह है कि इस रकम को परिवहन मंत्रालय व्यय करेगा या प्रतिरक्षा मंत्रालय ।

†**श्री त्यागी** : इस मांग के बारे में हमारे प्रश्नों का उत्तर परिवहन मंत्री देंगे या प्रतिरक्षा मंत्री ?

†**सभापति महोदय** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट कर दी है और अब कोई सन्देह की बात नहीं रह गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मुझे यह तरीका अनियमित लगता है ।

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं अनुदानों की मांगों का सामान्य समर्थन करने के लिये माननीय सदस्यों की आभारी हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां की हैं और उन्होंने मांगों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण करने के लिये कहा है । मैं उनका यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी ।

पहिला प्रश्न मांग संख्या ११२ के संबंध में है, जिसके संबंध में श्री वारियर और कुछ अन्य सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था में अपनायी गयी मत प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति की है । कुछ समय पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई थी । उस समय इन मामलों में से अधिकांश में चर्चा हो गई थी । उस समय माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हो गये थे । उन्होंने इस चर्चा के दौरान पुनः इन बातों को उठाया है ।

संस्था के मतदान संबंधी संगत अनुच्छेदों को देखने से यह ज्ञात होता है कि मतदान के अधिकार विश्व बैंक के नियमों के अनुसार ही बनाये गये हैं । यह संस्था भी उस के अधीनस्थ एक संस्था बनने जा रही है । इस बैंक में प्रत्येक सदस्य को उसके अंशों से २५० मत अधिक मिलते हैं । इससे छोटे अंशधारियों को अधिक लाभ मिलता है । ऐसा होना उचित है । इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था में भी प्रत्येक सदस्य को उसके ५००० डालर के अंशों की संख्या से ५०० मत अधिक मिलेंगे । १००,००० डालर के एक अंश के लिये एक मत वाले सूत्र से बड़े अंशधारियों को अधिक महत्व प्राप्त होगा ।

निसन्देह वर्तमान व्यवस्था से भी प्रत्येक सदस्य को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तथापि पुनर्निर्माण और विकास की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था जैसी वित्तीय संस्थाओं के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे संघों में व्यक्तिगत सदस्य के अंशदान के बावजूद एक सदस्य एक मत की प्रणाली प्रयुक्त करना उचित है । भारत निसन्देह यह चाहेगा कि मतदान अधिकारों में अन्तर कम हो । प्रश्न यह नहीं है कि हम किस प्रकार की मतदान पद्धति चाहते हैं, तथापि प्रश्न यह है कि ऐसी उपयुक्त पद्धति क्या होनी चाहिये जिससे कि सभी सदस्य सहमत हों ।

आपको ज्ञात है कि भारत विश्व बैंक संगठन का पांचवां आरम्भिक सदस्य है । भारत इस संगठन का भी एक प्रभावशाली सदस्य है । वस्तुतः विश्व बैंक जिन कार्यों और दायित्वों को कर रहा था, वह इस संगठन को करने होंगे ।

बैंक के किसी भी सदस्य का अपना बहुमत नहीं है । इसलिये यह खतरा नहीं है कि कोई एक देश बैंक के कार्यों के संबंध में प्रभुत्व जमा लेगा । यही बात इस विकास संस्था के बारे में भी कही जा सकती है । क्योंकि बैंक के दो बड़े अंशधारियों यथा ब्रिटेन और अमेरिका के मतों की कुल संख्या कुल मतों का ४३ प्रतिशत होगा । यदि हम उन १७ औद्योगिक देशों को लें, जिनका अंशदान अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि में अमेरिकन डालर में दिया जाता है, भारत भी ऐसे देशों में एक है जोकि अपना १० प्रतिशत अंशदान डालर में देता है, अवशेष ९० प्रतिशत अंशदान इसे भारतीय रुपयों में देना होता है, उन १७ औद्योगिक देशों का जिनके अंशदान का प्रतिशत ७६ प्रतिशत है, उनको केवल ६९ प्रतिशत ही मतदान के अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संगठन के छोटे अंशधारी अनुपाततः अधिक अच्छी स्थिति में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने इन विदेशी ऋणों के प्राप्त करने में विलम्ब का प्रश्न उठाया था। आप जानते हैं कि ये ऋण कुछ विशेष परियोजनाओं के लिये होते हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणों का उद्देश्य पूंजीगत माल का आयात करना और सामान्य अर्थव्यवस्था को बनाये रखना होता है।

सरकार ऐसे ऋणों के उपयुक्त और तत्काल उपयोग पर बहुत महत्व देती है इन कई ऋणों के संबंध में, उदाहरणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या ब्रिटेन और जर्मनी से लिये गये ऋणों का संतोषजनक तरीके से उपयोग हुआ है। अन्य मामलों में ऋण के प्राप्त होने पर ही उस संबंध में टेंडर मागें जाते हैं, और आदेश दिया जाता है। ऋणों की राशी भुगतान करने के पूर्व प्राप्त नहीं की जा सकती है, अत : कभी कभी आवश्यक पत्र इत्यादी प्रस्तुत करने और ऋणों की राशि का उपयोग करने में विलम्ब हो जाता है। ऐसे मामलों में भी जहां उपकरणों का संभरण केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जैसा कि पूर्वी देशों के साथ किये गये ऋण समझौतों के साथ किया गया है, रिपोर्टों के तैयार करने, आदेश देने व उपकरणों और संयंत्रों के निर्माण करने और उन्हें भेजने में काफी समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में ऋणों के उपयोग में विलंब होना अनिवार्य है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि इन ऋणों की राशि का बहुत बड़ा भाग दूसरी योजना से तीसरी योजना में जाता है। इसका एक कारण यह है कि ऐसी योजनाओं पर जैसे कि कोयना बिजली घर योजना है या कलकत्ता मद्रास पत्तनविकास परियोजना है, ये योजनायें स्वयं ही तीसरी परियोजना की अवधि तक चलेंगी, ऋण के संबंध में कुछ मामलों में ऋण्दाता देशों से ही खरीद करने की शर्त से भी कुछ विलम्व हो जाता है। उदाहरण के लिये हमारा यदि किसी देश के साथ पूंजीगत माल खरीदने का कोई करार है, जिससे हमने ऋण लिया है, यह विलम्व अनिवार्य है। परन्तु हम इसे कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी बात माननीय सदस्य ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के बारे में भारत की स्थिति के संबंध में कही। कुछ दिन पहिले इस मामले पर सभा में विस्तृत चर्चा हुई थी और हमारी स्थिति तथा शक्ति बताने के लिये तथा सब अर्द्धविकसित देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का उपयोग बताया गया था, सभा को मालूम है कि अंशों और मतदान के संबंध में बैंक में हमारा पांचवीं स्थान है, मैं यह भी बता दूं कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ३१५ करोड़ रुपये का ऋण मिला है, इतना आज तक किसी दूसरे देश को नहीं मिला है। इसलिए इस आलोचना में कि विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का सदस्य होने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ ठीक नहीं। बैंक द्वारा आरम्भ के वर्षों में जो ऋण दिये गये थे वे अधिकतर यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिये थे, परन्तु समय बीतने के साथ साथ अधिकाधिक ध्यान ऐशियाई देशों की ओर हो रहा है। और अधिकतर ऋण एशियाई तथा मध्यपूर्वी देशों को दिया जा रहा है। भारत को इस सहायता कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभ हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से भी हमें बहुत अधिक लाभ होने वाला है। एक लाभ तो यह होगा कि इससे मिलने वाले ऋण की व्याज दर कम होगी। कुछ सदस्यों

ने अधिक व्याज दर की आलोचना की है । विश्व बैंक की व्याज दर अन्य देशों या अभिकरणों से प्राप्त ऋण की व्याज दर से कहीं कम है । इसलिए हम विश्व बैंक के व्याज दर को ऊंचा नहीं कह सकते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था अर्द्धविकसित देशों को अधिक आसान शर्तों और कम व्याज दर पर ऋण देने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था । जिससे जो देश अधिक व्याज दर नहीं दे सकते वे इससे लाभ उठायें । विश्व बैंक की अपेक्षा इस संस्था के ऋणों की वापसी की अवधि भी लम्बी है, विश्व बैंक दस से पन्द्रह वर्ष में ऋण वापस लेता है और यह संस्था तीस से चालीस वर्षों में । दूसरा लाभ यह है कि संस्था के ऋण पूर्णतः आंशिक रूप में रुपयों में दिये जा सकते हैं, जो करार की शर्तों पर निर्भर रहते हैं ।

मांग संख्या ६५ के बारे में कहा गया है कि मंगलोर में विद्युत् अनुसंधान संस्था की स्थापना में विलम्ब हुआ है । यह विलम्व अनिवार्य था ।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के करार के अनुच्छेद ५ के अनुसार ऋण भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिया जा सकता है, यह शर्त अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बारे में नहीं है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बिना किसी देश की सरकार की राय लिये हुए वहां की किसी संस्था को ऋण नहीं दे सकती है । उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनी होती है । उन्हें सरकार की सहमति देनी होती है । मेरे विचार से भारत के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है ।

ऋण लेने का दायित्व हमारे ऊपर रहता है । यदि हम किसी विशेष परियोजना के लिये ऋण लेना चाहें तो परियोजना को शर्तों के अनुसार ही ऋण का रूप बनेगा । अतः हम मोटे तौर पर या अस्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि गैर-सरकारी व्यक्तियों या सरकारी क्षेत्र को ऋण नहीं दिये जायेंगे । हमें विश्व बैंक से सरकारी क्षेत्र के लिये बहुत से ऋण मिले हैं । सरकार ने ऐसे ऋण लेने के लिये उपेक्षा नहीं दिखाई है । भविष्य में भी यदि कोई ऋण उपयुक्त नहीं होगा और सरकार उसे किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को देना उचित समझेगी तो सरकार उसे देने से इन्कार नहीं करेगी ।

मांग ६५ के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने कहा है कि यह संस्था बहुत पहले ही स्थापित हो जानी चाहिये थी । लेकिन यह परियोजना नई और प्रयोगिक प्रकार की थी । हमारे पास विद्युत् अनुसंधान संस्था के सम्बन्ध में कोई आंकड़े या जानकारी नहीं थी । इसलिये सरकार ने एक समिति बनाना आवश्यक समझा जो कि तत्सम्बन्धी विस्तृत बातों पर गौर करे और अपना प्रतिवेदन देवे । समिति ने सितम्बर, १९५६ में अपना प्रतिवेदन दिया । उसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया कि देश में विद्युत् संभरण की सुविधाओं तथा देश में विद्युत् उपकरणों के बढ़ते हुए निर्माण को देखते हुए, इस क्षेत्र में प्रभावशाली अनुसंधान करने का एक कार्यक्रम बनाया जाये । उन्होंने बंगलौर में विद्युत् अनुसंधान संस्था और भोपाल में स्विच गेयर विकास और परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की सिफ़ारिश की है । सरकार ने इन दोनों विभागों को खोलने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है । इनमें से पहला केन्द्र जो बंगलौर में स्थापित किया जायेगा वह सामान्य विद्युत् इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, जल सम्बन्धी इंजीनियरिंग, विद्युत् संभरण क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं इत्यादि

†मूल अंग्रेजी में

से सम्बन्ध रखेगा । इस अनुसंधान संगठन का दूसरा भाग भोपाल में स्थापित किया जायेगा । यह स्विच गेयर के विकास और परीक्षण से सम्बन्धित उच्च शक्ति युक्त प्रयोगशाला होगी, इसमें हाई करन्ट फीनोमिना से सम्बन्धित बातों पर भी अनुसंधान हो सकेगा ।

बंगलौर की प्रयोगशाला, भारतीय विज्ञान संस्था की वर्तमान शक्ति इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के निकट स्थापित की जायेगी । इससे भारतीय विज्ञान संस्था का ज्ञान इसे सरलता से उपलब्ध हो सकेगा ।

इस संस्था का इतिहास यह है कि इस योजना का आरम्भिक नकशा तैयार होने पर, १९५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष कोष की सहायता ली गई । इस योजन का पूंजीगत व्यय दोनों विभागों के लिये ४२० लाख रुपये कुल आंका गया । बंगलौर प्रयोगशाला का अनुमानिक व्यय २२० लाख रुपये था, जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश १५० लाख था । भोपाल प्रयोगशाल में अनुमानतः २०० लाख रुपये व्यय होंगे, उसमें १५० लाख रुपय की विदेशी मुद्रा व्यय होगी । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने हमें चार वर्षों के दौरान केवल ९२ लाख रुपयों की सहायता देने का वचन दिया है । इसमें से आयात किये जाने वाले उपकरणों, विदेशी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिये बंगलौर की प्रयोगशाला को १९ लाख और भोपाल की प्रयोगशाला को ७३ लाख रुपये मिलेंगे । भारत सरकार इस योजना में ९९ लाख रुपया व्यय करेगी, जिसमें से बंगलौर के लिये ५२ लाख और भोपाल के लिये ४७ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे ।

उक्त योजना को संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान संस्कृति संघ के प्रवर्तन कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्रीय विशेष निधि की ओर से कार्यकारी अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है । मेरे विचार से माननीय सदस्य अवश्य इस संस्था के प्रशंसकों में होंगे ।

कुछ सदस्यों ने प्रशासन पर होने वाले अत्यधिक और एकांगी व्यय पर आपत्ति व्यक्त की है । उन्होंने यह आपत्ति की है कि निदेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है जब कि गवेषणा रसायनशास्त्री बहुत कम हैं । सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने बताया है कि ये निदेशक ही गवेषणा और जांच के अधिकारी होंगे । अतः हमें उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यदि वे गवेषणा और सभी पहलुओं पर जांच करने का पूरा दायित्व लेते हैं तो सभा को उन्हें निदेशक या सहकारी निदेशक कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

सिक्किम खान निगम के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था । इस संस्था की स्थापना सिक्किम के खनिज संसाधनों का विदेहन करने के उद्देश्य से की गई थी । यह भारत सरकार और सिक्किम दरबार का संयुक्त अभियान है । इस निगम की प्राधिकृत पूंजी १०० लाख रुपये है । यह १०० रुपये के एक लाख प्रदत्त अंशों में विभाजित है, इनमें से ४९००० अंश भारत सरकार के और ४९००० अंश सिक्किम दरबार या उसके नामनिर्देशित व्यक्ति के होंगे । भारत सरकार दरबार द्वारा खरीदे गये अंशों की कीमत की लागत तक का ऋण देने का विचार कर रही है, लेकिन यह ऋण कुल पूंजी के ५१ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

निगम की मूल पूंजी की आवश्यकता २३.५६ लाख रुपया है । उसकी तत्काल आवश्यकता १० लाख रुपये हैं जिसमें से ४.९० लाख रुपये भारत सरकार को अपने अंशों के देने होंगे । यह रुपया भूमि को प्राप्त करने उसके प्रतिकर देने तथा भूमि का पट्टा प्राप्त करने व कर्मचारियों की तनख्वाहों व भत्तों में व्यय किया जायगा ।

मूल बजट की मूल मांगों के दौरान इन मांगों को रखने का समय नहीं मिला। इसलिये सरकार ने अपने अंश का रुपया देने के लिये अनुपूरक मांग रखी है।

माननीय सदस्यों ने भारत सरकार और सिक्किम की सरकार की इस संयुक्त परियोजना की सराहना की है। मेरे विचार से इस संयुक्त परियोजना को शानदार सफलता प्राप्त होगी क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं सिक्किम में तांबे और जिंक की बहुत बड़ी खानें हैं, जिनका हमारे देश में बहुत अभाव है। यदि हम इन संसाधनों से तांबे और जिंक का उपयोग कर सके तो हमारा बहुत बड़ा सिरदर्द दूर हो जायेगा, क्योंकि इस समय इन दोनों के आयात के लिये हमें विदेशों पर निर्भर करना होता है। देश के उद्योगीकरण के लिये हमें इस मद पर बहुत अधिक व्यय करना होता है, और यदि यह निगम सफल हुआ तो हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो जायगी।

मैं माननीय सदस्यों को उनके समर्थन के लिये धन्यवाद देती हूं और उनसे इन अनुपूरक मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध करती हूं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उपमंत्री ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कुछ परियोजनाओं में न्यूनतम वेतन केवल ३० रुपये रखा गया है, जब कि वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम वेतन ८० रुपये होने चाहियें। सभा से इस मांग को स्वीकार करने को कहा जा रहा है।

†**श्री त्यागी** : मंत्री महोदय कह चुके हैं कि वेतनक्रम वह नहीं दिये जायेंगे जो यहां पारित किये जा रहे हैं, उनमें परिवर्तन करना होगा। वस्तुतः इस मांग को पारित करने के पूर्व ही अपेक्षित परिवर्तन कर देना चाहिये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं अतः मैं इस का अधिक स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं समझती हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां): सभा न्यूनतम आय के सम्बन्ध में निश्चय कर चुकी है। जिन सेवाओं का इस मांग में उल्लेख है वह नई सेवायें हैं। तथापि हमारे मंत्री यह चाहते हैं कि हम ३० रु० न्यूनतम वेतन स्वीकार कर लें। ऐसा करना देश तथा सभा को दिये गये आश्वासन को झुठलाना होगा, अतः माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** : (पूर्व खानदेश) : यह कहना भी सही नहीं है कि सभा केवल अनुपूरक अनुदानों की मांगें ही स्वीकार करती है, उसके विस्तृत विवरणों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह मांग ३० या ४० रुपये वेतन पर आधारित है, यदि इसे बढ़ाया जायेगा तो अनुपूरक अनुदान की राशि में भी अन्तर आ जायेगा। मांग स्वीकृत होने के पश्चात् सरकार को उसे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : : सभा को यह ज्ञात है कि यह केवल एक प्रतीक मांग है पृष्ठ ५ में यह कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में संस्था का कुल व्यय १,७७,००० रुपया होगा। बजट बनने के समय तक इस योजना के लिये औपचारिक अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, इसलिये मूल बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। तथापि अनुदान में संभावित बचत से इस

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यय का निपटारा हो सकता है। इसलिये केवल १००० रुपये की प्रतीक मांग रखी गई है। यदि हम इतना रुपया बचाने में समर्थ हुये हैं तो सभा को इसकी प्रशंसा करनी चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह :** मद ८३ के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। यह बिल्कुल नया मामला है।

†**श्री त्यागी :** मांग की शाब्दिक गल्तियों को ठीक कर इस मांग को पुनः कल या परसों मतदान के लिये रखा जा सकता है। मांगों पर चर्चा हो चुकी है केवल मतदान करना ही बाकी रह गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** नये वेतन क्रम स्वीकार हो चुके हैं तथापि अभी लागू नहीं किये गये है। यह बातें उन वेतनक्रमों को लागू करते समय ही पैदा होंगी।

†**श्री सिंहासन सिंह :** श्रीमान्, मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

†**सभापति महोदय :** इसमें कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अब मांगों पर मतदान लिया जायेगा। मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय द्वारा वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६५	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग .	१०००
७०—क	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय. .	७,२७,०००
८३	परिवहन तथा संचार मंत्रालय	७,५०,०००
११२	चल मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय . . .	४,४१,९३,०००
१२९	इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय पर पूंजी व्यय	१०००
१३३	सड़कों पर पूंजी व्यय	१३,५०,००,०००

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कुछ विधियों में मीट्रिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।'

†मूल अंग्रेजी में

यह विधान अर्थात् बांट तथा माप प्रमापक अधिनियम १९५६, देश मे १० वर्ष के दौरान में मीट्रिक व्यवस्था अपनाने के लिये संसद् द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के उपबन्धों को देश के बहुत से भागों में तथा बड़े बड़े उद्योगों जैसे कपास, जूट, सीमेंन्ट तथा अन्य साधारण इंजीनियरिंग उत्पादों एवं रासायनिक तत्वों में लागू किया जा चुका है। इसको अच्छी तरह लागू करने के लिये अब यह विचार किया गया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाये और एकत्रित किया जाये। यदि इस मामले में अधिक देरी की गई तो जिन बड़े बड़े उद्योगों ने बांट तथा माप की मीट्रिक व्यवस्था को अपना लिया है अथवा अपनाने जा रहे हैं काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा।

केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक कर अधिनियम १९४४ की प्रथम अनुसूची के अनुसार वे वस्तुएं जिन पर कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगेगा उन इकाइयों को फुट-पाउंड में दिखाया गया है तथा उत्पादन शुल्क की दर पुराने सिक्कों में दी गई है। इसलिये उस अधिनियम को बदलना अब नितान्त आवश्यक हो गया है, ताकि उन सभी वस्तुओं के बारे में जिन पर कि केन्द्रीय शुल्क लगेगा मीट्रिक व्यवस्था अपनाई जा सके और साथ ही उत्पाद शुल्क की दर दशमलव सिक्कों में दी जा सके।

हालांकि बहुत सा उत्पादन शुल्क केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक कर अधिनियम १९४४ के अधीन लगाया जाता है, कुछ शुल्क अन्य दूसरे अधिनियम जैसे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की चीजें) अधियिनयम १९५७ और खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम १९२८ के अधीन भी लगाये जाते हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अन्य उत्पाद करों के साथ एकत्रित किये जाते हैं अतः यह आवश्यक समझा गया कि इन सभी अधिनियमों में एक ही विधेयक द्वारा संशोधन किया जाये।

मीट्रिक व्यवस्था में परिवर्तन करते समय यह संभव नहीं है कि वर्तमान में प्रचलित इकाइयों एवं दरों के स्थान पर ठीक समानवाचक इकाइयां अपनाई जायें क्योंकि ऐसा करने से बड़े अजीब आंकड़ों की स्थापना होगी जिससे जनता तथा प्रशासन दोनों को ही बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। अतः वर्तमान दरों एवं इकाइयों के स्थान पर उनसे मिलती जुलती इकाइयां अपनानी होगी।

यथासंभव यह प्रयत्न किया गया है कि दरों के मामले में इन नई इकाइयों को पूरे नये पैसे या आधे नये पैसे में परिवर्तित कर दिया जाये। कुछ मामलों में, राजस्व में अधिक परिवर्तन न हो, इसलिये उक्त सिद्धान्त को नहीं भी अपनाया गया है। इन्हीं कारणों के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि कराधान के लिये वर्तमान दर की अपेक्षा बड़ी इकाई अपनाई जाये।

आजकल पेट्रोलियम उत्पाद पर प्राकृतिक तापमान के आधार पर कर लगाया जाता है। जिसके कारण काफ़ी लम्बे चौड़े हिसाब किताब करने पड़ते हैं। अतः इस कठिनाई से बचने के लिये यह निश्चित किया गया कि छोटे पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय देशों में स्वीकृत १५ डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान को मानक मानलिया जाये। यह प्रस्ताव किया गया है कि यही बात केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क के अन्तर्गत वस्तुओं को फिर से एकत्रित करने के लिये स्वीकार कर ली जाय। इस प्रयोजन के लिये भारतीय व्यापार-वर्गीकरण में मानी गई व्यवस्था को ही स्वीकार किया गया है। आजकल प्रशुल्क अनुसूची में दियासलाई, पेन्ट तथा वारनिश एवं अन्य

ऊनी कपड़ों को छूट दी जाती है उसको भी समाप्त करने का निश्चय किया गया है। छोटे स्तर की इकाइयों में दी जाने वाली छूटें जारी रहेंगी और इसकी व्यवस्था एक उपयुक्त अधिसूचना के द्वारा की जायेगी। यह प्रथा अन्य दूसरी बहुत सी वस्तुओं के बारे में भी अपनाई जा रही है। और इससे वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने के लिये काफी लोच आ जाता है लेकिन यह कार्य परिनियम में व्यवस्थित उपरिसीमा के अनुसार ही होगी।

अब कुछ चीजों के बारे में अधिसूचनाओं के द्वारा कुछ प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं। इसलिये विधेयक के द्वारा उन अधिसूचनाओं में भी उचित संशोधन कर दिया जायेगा।

ऊपर बताये गये ढंग से शुल्क की दरों को फिर से निश्चित करने के कारण कुछ चीजों से तो अनुमानित आय में निश्चय ही कुछ कमी आ जायेगी और कुछ चीजों के कारण बढ़ जायेगी, लेकिन मैं यह आश्वासन दूंगा कि यह अन्तर कम से कम हो।

इस विधेयक की अनुसूची १ में दी गई वस्तुओं मे से १६ वस्तुओं के बारे में तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा लेकिन बाकी वस्तुओं के बारे में मामूली सा परिवर्तन होगा। इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप ११ मदों से कुल मिला कर २७.३५ लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय होगी और अनुसूची में लिखित शेष ६ मदों से होने वाली आय में १३.८७ लाख रुपये की कमी होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर वित्तीय आय में १३.४८ लाख रुपये का लाभ होगा। इसी प्रकार कुछ मामूली से परिवर्तन होंगे। अतः मैं समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : यह एक आवश्यक विधेयक है अतः मैं आशा करता हूं कि इसे बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया जायेगा। दरों के आंकड़ों को पूरा करना तो ठीक है किन्तु यह कर दाताओं को कष्टप्रद न हो यह देखना आवश्यक है। कठिनाई यह भी है कि मीट्रिक पद्धति अभी तक लोगों को ठीक तरह से समझायी नहीं जा सकी है। इसलिये आशंका इस बात की है कि सरकारी आमदनी में तो सिर्फ १६ लाख रुपयों की ही वृद्धि होगी लेकिन मीट्रिक पद्धति अपना लेने से खुदरा बाजार पर काफ़ी असर पड़ेगा क्योंकि आम जनता को इस पद्धति के मापों और बाटों के बारे में कोई अन्दाज़ ही नहीं है। अतः पूर्णांक बनाने के कारण लोगों को यह आशंका हो गई है कि जनता को पहले से अधिक कीमतें चुकानी पड़ जायेंगी।

अतः मेरा निवेदन है कि ये परिवर्तन तालिकाएं बाजारों में उचित रूप से टांगी जानी चाहियें सभी दुकानों मे ये तालिकायें प्रादेशिक भाषाओं में टांगी जानी चाहियें ताकि जनसाधारण यह जान सके कि ये परिवर्तन वास्तव में क्या है।

यह तो ठीक है कि हम यह परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन रह निश्चय है कि खुदरा दुकानदार उपभोक्ताओं से अधिक दाम लेंगे। इसलिये सरकार खुदरा दुकानदारों को यह चेतावनी दे दे कि वे पूर्णांक बनाने के कारण उपभोक्ताओं से अधिक दाम न लें।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। स्कूलकी निचली कक्षाओं में गणित की पुस्तकों में सवाल अब भी पुरानी बाट-माप पद्धति के अनुसार दिये हुए हैं। अतः

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक उन पुस्तकों में परिवर्तन न किया जाय तब तक बाजारों में हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हमें अगली पीढ़ी को मीट्रिक पद्धति से हिसाब करने की शिक्षा देनी चाहिये।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदुर्ग) : जब कुछ वर्ष पूर्व रुपये आने पाई को दसमलव प्रणाली में बदला गया था तो देश में बड़ी गड़बड़ी फैली थी। गरीब अनपढ़ लोग हमेशा ही बेईमान लोगों के शिकार बन जाते हैं। बाजार में भी इससे बड़ी गड़बड़ी हुई थी। अतः इस पद्धति की उचित शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिये। दूसरे लोग शताब्दियों से चली आने वाली पद्धति में यकीन रखते चले आ रहे हैं तथा उसी के आदी हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।]

मेरा विचार है कि नये सिक्कों की यह नई प्रणाली सरकार ने इसीलिये चलाई थी कि सरकार असंगत रूप से अधिक कर लगा सके। अब बाट तथा मापों के बड़े अजीब नाम चलाये जा रहे हैं और इस से देहाती जनता को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सरकार को उत्पाद शुल्क बढ़ाने का अवसर मिल जायेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इतने पुराने दिनों से चली आने वाली व्यवस्था को बदलने से क्या लाभ है। अगर परिवर्तन करना ही है तो क्यों न इन अंग्रेजी नामों के स्थान पर नये भारतीय नाम दिये जायें। अन्यथा लोगों को अधिक कीमतें देनी पड़ेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम अगला विषय लेंगे।

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव

†**श्री प्र० गं० देव** (अंगुल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा सरकार की तेल सम्बन्धी नीति पर, विशेष रूप से विदेशों से अशोधित तेल के आयात करने सम्बन्धी नीति पर विचार करती है।"

सरकार की तेल सम्बन्धी नीति बड़ी विचित्र सी नीति है और तीसरी योजना के लिये विदेशी मुद्राओं की बचत करने के उद्देश्य से यह अत्यन्त आवश्यक है कि तेल सम्बन्धी समस्या का हल शीघ्र ही निकाला जाये।

सोवियत रूस ने प्रचलित मूल्य से कहीं कम कीमतों पर हमें जो अशोधित तेल देने का प्रस्ताव किया था, भारत में चलने वाले तीनों तेल शोधक कारखानों ने उसे साफ करने से इन्कार कर दिया था। सरकार ने उन समवायों से जो समझौते किये हैं उनसे पता चलता है कि सरकार को सौदा करने का कौशल नहीं आता क्योंकि उन समझौतों में इस देश की हित रक्षा के लिये समुचित उपायों की व्यवस्था नहीं की गई है। इन समवायों से हुए करारों के अनुसार फारस की खाड़ी के क्षेत्र से प्राप्त किये बिना साफ हुए तेल को छोड़ कर अन्य किसी भी तरह से लाये गये तेल को इनके कारखानों में साफ नहीं कराया जा सकता। करार में गारंटी सम्बन्धी कोई भी शर्तें न रहने के फलस्वरूप हम रूसी प्रस्ताव का कोई लाभ नहीं उठा सके हैं। इन समझौतों की एक अन्य शर्त ऐसी है जिससे वे समवाय हमसे अपनी मनमानी शर्तें स्वीकार करा सकने की स्थिति में पहुंच गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० गं० देब]

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वह इन करारों के पुनरीक्षण के लिये अपनी ओर से कोई एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पहले ही से जिस प्रकार वचन बद्ध हो चुकी है उसी के कारण वह इस प्रकार की कार्यवाही करने में असमर्थ है।

मेरा निवेदन है कि यह बताया जाना चाहिये कि रूस से अभी तक तेल न मंगाने का निर्णय पूरे मंत्रिमंडल ने किया है अथवा वह केवल तेल मंत्री महोदय का अकेले का निर्णय है।

देश को विदेशी मुद्राओं की जिस कमी का सामना करना पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यह उचित था कि ऐसे तेल का प्रस्ताव जिसकी कीमत रुपयों के रूप में अदा की जा सके, स्वीकार कर लिया जाता।

सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल कर और समझा बुझा कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि विदेशी समवायों से हुए करारों में—जो शर्तें हमारे प्रतिकूल पड़ती हैं उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सके।

विदेशी तेल समवायों की एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये क्योंकि उत्पादन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिये काफी नहीं होगा। सामान्य व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह व्यवस्था करनी आवश्यक है कि गैर-सरकारी तेल शोधक कारखाने सस्ते अशोधित तेल को साफ करने से इन्कार न करें।

संसद् की एक तेल नीति विषयक समिति बनानी चाहिये। इसमें विशेषज्ञों को भी रखा जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाजार): भारत में राष्ट्रीय तेल उद्योग का विकास अब भी अपनी आरम्भिक अवस्था में ही है। हमें अब वही गलतियां फिर से नहीं दोहरानी चाहियें जो हमने उद्योग की स्थापना के आरम्भिक चरण में की थी।

यह खेद की बात है कि नहरकटिया में १९५३ में ही तेल का पता लग गया था। फिर भी हम अब तक भी उससे लाभ नहीं उठा सके हैं। इसकी वजह यही है कि सरकार अभी तक आसाम आयल समवाय से समझौता नहीं कर सकी है।

तीसरी योजना के मसौदे से ऐसा लगता है कि योजना बनाने वालों ने देश में तेल के उत्पादन के प्रश्न के सम्बन्ध में गम्भीरता से काम नहीं लिया है। उसके अन्त तक लगभग ४५ लाख टन अशोधित तेल की कमी पड़ने की संभावना है और इसका आयात करना ही होगा। इसका हमारे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संसाधनों पर बहुत अधिक बोझा पड़ जायेगा।

हमें तेल साफ करने के काम पर अधिक ध्यान देना चाहिये और यह व्यवस्था करनी चाहिये कि केवल अशोधित तेल का ही आयात किया जाये ताकि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात न करने से जो धन बचे उसका उपयोग तेल शोधक कारखानों की स्थापना में किया जा सके। हमें

†मूल अंग्रेजी में

इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि तेलशोधक कारखाने सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किये जायें ।

सरकार को तीसरी योजना में तेल के लिये और भी अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जैसे दूसरी योजना इस्पात की योजना थी वैसे ही तीसरी योजना तेल की योजना बन जाये ।

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :—

"और उसका अनुमोदन करती है ।"

†**श्री दामानी** (जालौर) : १९५९ में हमने अपने देश में ९२४ करोड़ रुपयों के मूल्य की वस्तुयें आयात की थीं, जिनमें से ८२ करोड़ रुपये सिर्फ तेल के आयात पर व्यय हुए थे । खाद्यान्नों के बाद, आयातों में तेल ही सब से बड़ी मद है । तृतीय योजना काल में प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये के बिना साफ किये हुए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का लक्ष्य रखा गया है । इसके लिये काफी विदेशी मुद्रा चाहिये ।

माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि कैम्बे क्षेत्र में तेल की जो खोज चल रही है, उससे हमें कब तक तेल मिल सकेगा और परिष्करिणियों में साफ होने के बाद वह आम उपयोग के लिये जनता के पास कब तक पहुंच सकेगा ।

यदि हम अपनी परिष्करिणियों की क्षमता बढ़ा सकें तो हमें तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी । इसके बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये और एक महत्वपूर्ण ढंग से काम आगे बढ़ाना चाहिये ।

इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को अवसर दिया जाना चाहिये ।

हम जानना चाहते हैं कि रूस ने हमें ज्यादा सस्ती दर पर बिना साफ़ किया हुआ तेल देने का, और उसके लिये रुपयों में अदायगी मंजूर करने का जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा था, उसका करार क्यों नहीं हो सका विदेशी । मुद्रा की बचत की दृष्टि से, सरकार को तेल के बदले अन्य देशों के साथ अपने देश में बनी वस्तुयें देने का वस्तु-विनिमय करार करने की कोशिश करनी चाहिये ।

†**श्री जगन्नाथराव** (कोरापट) : मैंने इस मंत्रालय की मांगो के बारे में बोलते हुए, ७ अप्रैल, १९६० को सरकार से तेल के विषय में दृढ़ता से कोई एक नीति अपनाने के लिये कहा था ।

माननीय मंत्री ने उस समय अप्रैल में कहा था कि तेल की खोज के काम में विदेशी समवायों से सहयोग करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं । फिर उन्होंने ८ अगस्त को कहा कि कोई भी विदेशी समवाय तेल की खोज और उसके परिष्करण में योग दे सकता है, बशर्ते वह औद्योगिक नीति संकल्प के अनुरूप हो ।

मैं फिर दोहरा कर कहता हूं कि तेल का स्थान हमारी अर्थ-व्यवस्था में बड़ा ऊंचा है, वह हमारे देश की प्रगति के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिये उसकी खोज का काम ही नहीं, उसका उत्पादन, परिष्करण और वितरण—सभी कुछ सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिये ।

सरकार की तेल सम्बन्धी नीति का मुख्य ध्येय यही होना चाहिये कि तेल उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में पूरा योग दे और लोगों के लिये रोजगार की संभावनायें जुटाये । दूसरा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

ध्येय यह है कि वह सभी औद्योगिक इकाइयों को अत्यावश्यक सामग्री जुटा सके, तीसरे यह कि वह नीति हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो ।

देश के कल्याण और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश में एक सशक्त तेल उद्योग रहना आवश्यक है ।

हमारे देशमें अभी ३० लाख टन बिना साफ किया हुआ तेल निकाला जाता है । अभी तेल की हमारी मांग ६० लाख टन है जो तृतीय योजना काल में १ करोड़ ४० लाख टन हो जायेगी । मेरा खयाल है कि तेल के मामले में आत्म-निर्भर बनने के लिये, हमें तृतीय योजना काल में इसपर ३,६०० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे । लेकिन उससे १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत भी हो सकेगी, क्योंकि तब उसका आयात नहीं करना पड़ेगा ।

तृतीय योजना कालमें परिवहन, कृषि और उद्योग के विकास के कारण डीज़ल तेल का उपभोग अधिक बढ़ जायेगा, लेकिन उसका उत्पादन उतना अधिक नहीं बढ़ पायेगा । और जिस गति से परिष्कृत तेल का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके परिणामस्वरूप देश में मोटर स्प्रिट की मात्रा तो आवश्यकता से अधिक होगी, लेकिन डीज़ल तेल वगैरह की कमी रहेगी ।

इस असंतुलन को दूर करने के लिये योजनाकारों ने जो तरीके बताये हैं,उनमें से एक यह है कि डीज़ल तेल पर कर बढ़ा दिया जाये । यह ग़लत होगा, क्योंकि परिवहन और रेलवेज़ पर इसका प्रभाव बुरा पड़ेगा और उससे औद्योगीकरण के विकास में बाधा पहुंचेगी । सही तरीका यह है कि डीज़ल तेल का उत्पादन बढ़ाया जाये । संसार के सभी देशों में डीज़ल तेल का प्रचलन बढ़ रहा है, और मोटर-स्प्रिट की खपत कम होती जा रही है । इसलिये यदि सरकार डीजल तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न नहीं करेगी, तो बाद में उसका आयात बढ़ाना पड़ेगा ।

सरकार को देश में अधिक तेल क्षेत्रों की खोज करनी चाहिये । हमारे यहां खोज का काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है । सरकार को इसमें तेज़ी लानी चाहिये । साथ ही, सरकार को पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । सरकार के पास तेल को स्टोर करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है । प्रतिरक्षा मंत्रालय के तेलवाहक जहाज़ भी इसके लिये नहीं पड़ते ।

पेट्रोलियम उत्पाद सलाहकार परिषद् तभी कुछ उपयोगी हो सकेगी, जब उसके निर्देश-पदों को अधिक व्यापक बनाया जाये ।

माननीय मंत्री ने पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य घटाने के लिये सराहनीय प्रयास किया है । लेकिन यह उपाय अस्थायी ही है । सवाल यह है कि परिष्कारिणियों का क्या होगा । इनके सम्बन्ध में पहले जो करार हुए थे, उनके अनुसार वे विदेशी समवायों की हैं, लेकिन तब औद्योगिक नीति संकल्प नहीं था । उस समय यह शर्त रखी गई थी कि परिष्करिणियों को २५ साल तक विमुक्ति दी जायेगी । लेकिन अब सरकार को उन करारों का पुनरीक्षण कराने का प्रयास करना चाहिये । विमुक्ति-काल २५ से घटा कर १५ वर्ष कराने की चेष्टा की जानी चाहिये । तीसरी योजना की समाप्ति पर, प्रतिकर अदा करने के बाद तो परिष्करिणियां सरकार की हो जानी चाहियें । या फिर उनमें सरकार को बराबर का भागीदार बनाया जाये ।

सभा को सूचित किया जाये कि कैम्बे क्षेत्र में कितना तेल मिलने की आशा है । और यह भी बताया जाये कि उस क्षेत्र का तेल मोटर-स्प्रिट के लिये ज्यादा अच्छा रहेगा,

या डीजल तेल, वगैरह के लिये । अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र में कितना तेल मिल सकता है ? माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें, क्योंकि तेल की मात्रा का अनुमान करने के बाद ही तय किया जा सकेगा कि इन क्षेत्रों में परिष्करिणी बनाई जाये, या नहीं । यों तो हर क्षेत्र एक अलग परिष्करिणी की मांग कर रहा है, लेकिन वह संभव नहीं ।

मैं जानना चाहता हूं कि बरौनी और नहरकाटिया की परिष्करिणियां कितनी मोटर-स्प्रिट और कितना डीजल तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करेंगी । किस अनुपात में ?

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरी समझ में नहीं आता कि हम बहस किस चीज पर कर रहे हैं । सरकार ने न तो तेल की खोज, या उसके उत्पादन, या परिष्करण के बारे में कोई स्पष्ट नीति रखी ही नहीं, फिर हम बहस किस चीज की कर रहे हैं ? सरकार ने कोई स्पष्ट प्रस्ताव रखा ही नहीं है । माननीय मंत्री को सभा के सामने अपनी नीति रखनी चाहिये थी ।

†**तेल और खान मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : नीति तो सभी जानते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : संशोधन में कहा गया है कि हम सरकार की नीति स्वीकार करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन का मतलब सिर्फ इतना है कि हम नीति का अनुमोदन करते हैं । यदि माननीय सदस्य का यह खयाल हो कि कोई नीति है ही नहीं, तो माननीय मंत्री अपनी नीति बतायेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह** : जब माननीय मंत्री ने कोई स्पष्ट नीति रखी ही नहीं, तो उसका समर्थन या विरोध कैसे किया जा सकता है ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने ठीक तरह से चलना सीखने से पहले दौड़ना शुरू कर दिया है । इस प्रस्ताव में रूस से मिलने वाले बिना साफ किये हुए पेट्रोलियम का जिक्र किया गया है । यदि रूस की ओर से यह प्रस्ताव आता कि वे हमारे यहां कुछ परिष्करिणियां स्थापित करेंगे और उनके लिये रूस बिना साफ़ किया हुआ पेट्रोलियम लगातार देता रहेगा, तो बात समझ में आती । हमें रूस के इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । रूस के सथ कोई भी सौदा करते समय हमें हमेशा याद रखना चाहिये कि रूस में मूल्य किस ढ़ंग से निर्धारित होते हैं इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं हैं । मैं समझ नहीं पाता कि रूस इतनी सस्ती दर पर एकाएक एक ही बार में बिना साफ किया हुआ इतना तेल देने का प्रस्ताव क्यों रख रहा है । एक ही बार क्यों, वह आगे भी इसी दर पर हमें तेल क्यों नहीं दे रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वह देता रहेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : बड़ी खुशी की बात है । यह बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल ने अभी बताया ही है कि हमने आसाम के तेल क्षेत्रों का पूरा-पूरा लाभ उठाने में बहुत अधिक विलम्ब किया है । फिर मैं इस नीति का समर्थन कैसे कर सकता हूं ?

मैं तेल की खोज करने की बुनियादी नीति का, या तेल के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने की नीति का विरोध नहीं करता । पेट्रोलियम उद्योग कोई मजाक तो नहीं है । पेट्रोलियम उद्योग का इतिहास देखिये । संसार के जिन भी देशों ने इसका विकास किया है, उनको इस उद्योग पर बेशुमार धन खर्च करना पड़ा है । हमारे पास उतना धन है ही नहीं । इसलिये यदि कुछ विदेशी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

समवाय हमारे देश में यह काम करना चाहें, तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिये। उससे हमरा राष्ट्र निर्माण कार्य और तेजी से आगे बढेगा।

परिवहन तथा संचार मंत्री हमेशा ही विदेशी मुद्रा की कमी का रोना रोते रहते हैं। और दूसरी तरफ, हमारे माननीय मंत्री हर बार उठ कर घोषणा कर देते हैं कि किसी नई जगह पर तेल मिला है। बड़ी खुशी हो हमें, अगर हम व्यावसायिक आधार पर तेल की खोज कर सकें, उससे हमें लाभ हो। सिर्फ तेल का पता लगाने से तो कुछ नहीं बनता। उसे निकालने के लिये धन भी तो बहुत चाहिये। मैं तो कहता हूं कि विदेशी समवायों को सौंपना चाहिये, जिनके पास अनुभव और धन दोनों हैं।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : माननीय मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये कि तेल के लिये योजना में जो मूल आवंटन २०० करोड़ रुपये का किया गया था, उसे घटा कर अब १३० करोड़ रुपया क्यों किया जा रहा है। खास तौर से अब जब कि कई जगहों पर और तेल के कुएं मिले हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इसके लिये इतनी विदेशी मुद्रा सुलभ नहीं है। यह तो दमड़ी बचाने के लिये रुपयों का न्यारा-न्यारा करने की नीति हुई। यदि तेल के काम के लिये पर्याप्त राशि दी जाये, तो हम बहुत सी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, क्योंकि तब हमें तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

दूसरा सवाल है तेल के वितरण और उसे स्टोर करने का। माननीय मंत्री ने पिछले सत्र में इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। उनको सभा के सामने पूरा ब्यौरा रखना चाहिये कि तेल का संचित भंडार रखने की समस्या का हल किस प्रकार किया जायेगा। यह इसलिये जरूरी है कि रूस हमें एक बड़ी मात्रा में बिना साफ किया हुआ तेल सस्ती दर पर देने को तैयार है, लेकिन तेल को संचित करके रखने और उसके परिष्करण की क्षमता हमारी सरकार के पास नहीं है। इस पर दूसरों का अधिकार है। सरकार हमें इसके बारे में कोई ब्यौरेवार जानकारी नहीं देती। आमतौर पर कुछ बातें कह दी जाती हैं। बताया ही नहीं जाता कि रूस का प्रस्ताव स्वीकार करने के रास्ते में क्या अड़चनें हैं। मुझे तो इसका यही कारण दिखाई देता है कि जो विदेशी समवाय हमारे देश के तेल उद्योग पर एकाधिकार जमाये बैठे हैं, उनको यह पसंद नहीं। इसका पता हमें अपने देश की और अमरीका की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों से चलता है। उदाहरण के लिये अमरीका की टाइम पत्रिका ने प्रचार किया है कि भारतीयों को पेट्रोलियम उद्योग को सरकारी क्षेत्र में नहीं लेना चाहिय। तभी अमरीकी समवाय पूंजी लगायेंगे।

इधर स्टोनवाक् कम्पनी ने प्रचार शुरू किया है कि उसे कुछ मुनाफा ही नहीं होता, और विदेशों से लाकर बड़ी बड़ी राशियां लगानी पड़ती हैं।

मैं चाहती हूं कि सरकार बताये कि इसके बारे में उनकी नीति क्या है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार विदेशी मुद्रा आदि कठिनाइयों के नाम पर तेल उद्योग में विदेशी कम्पनियों को ज्यादा से ज्यादा हद तक घुसने देगी।

अभी माननीय प्रधान मंत्री खम्भात गये थे। वहां पर उन्हें स्वागत अभिभाषण देते हुए कहा गया कि उनके काम में नियमों आदि से काफी रुकावटें पड़ती हैं। उन्होंने यह प्रार्थना की कि नियमों को तनिक ढ़ीला किया जाय ताकि वह काम निरन्तर जारी रहे। इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार किस प्रकार की नीति अपना रही है। हमें जो मशीनें खरीदनी चाहियें वे सब एक ही देश से लेनी चाहियें ताकि बाद में उनके फालतू पूर्जों के लिये कठिनाई न हो।

---

†मूल अंग्रजी में

इसके बाद मैं खम्बायत क्षेत्र में काम करने वाले हमारे टैक्नीशियनों की प्रशंसा करती हूं। उन्होंने बहुत ही श्लाघनीय कार्य किया है। आजकल गैर-सरकारी क्षेत्र में टैक्नीशियनों को काफी वेतन मिलता है। यद्यपि हम उतना वेतन तो उनको कदापि नहीं दे सकते तदपि हमें उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना चाहिये।

माननीय मंत्री ने स्वयं एक लेख में लिखा था कि आधुनिक काल में तेल का महत्व अधिकाधिक बढता जा रहा है। भविष्य में भी तेल का महत्व निरन्तर बढता जायेगा। इस बात को देखते हुए मैं यह समझती हूं कि सरकार तेल की खोज के लिये पूरा प्रयत्न करेगी।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : आधुनिक काल में औद्योगिक विकास के लिये तेल का महत्व अधिकाधिक बढता जा रहा है। इस चीज को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हमारे मंत्री महोदय ने जो प्रयत्न किये हैं वह ज्यादा आशाजनक नहीं हैं। यदि तीसरी योजना में भी ऐसी ही हालत रही तो हमें प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये का कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा। इससे हमारे संसाधनों पर और भी बुरा असर पड़गा।

कहा जाता है कि हमें ६ लाख वर्ग मील क्षेत्र में तेल की खोज करनी है। परन्तु स्थिति यह है कि अभी तक हम केवल कुछ ही हजार वर्ग मील क्षेत्र में खोज का काम कर पाये हैं। यदि इसी गति से हम आगे बढे तो यह काम शताब्दियों में जाकर पूरा होगा। इस काम की प्रगति के सम्बन्ध में वाद-विवाद में पड़ना व्यर्थसा है। इस कारण मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वे गैर-सरकारी कम्पनियों की भी सहायता लें। उन पर ठीक नियंत्रण रखने से काम ठीक ढंग से चल सकता है। उन्हें तेल निकालने का ठेका दिया जाये और तेल की सफाई का काम सरकार अपने हाथ में रखे। इससे कोई हानि न होगी।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि तेल की खोज करने वाले अच्छे औद्योगिक तब तक विदेशों में जोखिम नहीं लेते जब तक तेल की सफाई का काम करने का वचन भी उन्हें न दिया जाय।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : किन्तु जब बड़े व्यापारियों को मध्य-पूर्व के तेल क्षेत्रों से निकलना पड़ेगा तब यह स्थिति नहीं रहेगी। वह समय निकट ही है। तेल की सफाई का काम उन्हें नहीं सौंपा जाना चाहिये। यदि और कुछ रियायतें दी जा सकें तो भले ही दे दी जायें।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : पाकिस्तान में तेल की खोज करने के लिये रूस ने बिना किसी शर्त के काम करना स्वीकार कर लिया है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : माननीय मंत्री को भी देश की प्रगति के लिये ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए।

हमें यह जान कर काफी निराशा हुई कि रूस ने इस देश को कच्चा तेल देने का वचन दिया है और इस काम के लिये वह एक गैर-सरकारी फर्म से बातचीत तय कर रहा है। यह बड़ी विचित्र बात है कि रूस जैसा समाजवादी और साम्यवादी देश गैर-सरकारी क्षेत्र से सौदा करे। सरकार को चाहिये कि वह इस काम के लिये रूस से सीधी बातचीत करे। और सारा वितरण खुद करे।

दूसरी बात यह है कि रूस वाले उस तेल के एवज यहां पर रुपया निधि इकट्ठी करेंगे और उसी रुपये से कुछ चीजें खरीदेंगे। हम कुछ चीजें पूंजीवादी राष्ट्रों को भेजते हैं। और कुछ चीजें समाजवादी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजेन्द्र सिंह]

देशों को। यदि रूस ने उन्हीं चीजों की मांग की जिन्हें हम पूंजीवादी देशों को भेजते हैं तो हमारे निर्यात व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। इसलिये हमें वैसी चीजों का उत्पादन बढाना चाहिए ताकि बाद में कठिनाई न हो।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, दो तीन रोज पहले मैं ने मालवीय जी से एक प्रश्न पूछा था कि रिफानरीज से जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह शर्त रखी गयी है कि नहीं कि जो आइल हिन्दुस्तान में इम्पोर्ट होगा वह हिन्दुस्तानी टैंकर्स के द्वारा इम्पोर्ट होगा। मालवीय जी ने उत्तर दिया कि हमने रिफाइनरीज से जो एग्रीमेंट किया है उसमें यह शर्त नहीं है।

हमारे मित्र शुक्ल जी ने इस बारे में बहुत अच्छा कहा। हम हिन्दुस्तान में तीसरी योजना के अन्त तक १४ मिलियन टन क्रूड आइल इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। अगर २० हजार जी० आर० टी० के टेंकर लें तो ७०० टेंकर्स में इतना क्रूड आइल हिन्दुस्तान में आ सकता है। अर्थात २०,००० जी० आर० टी० के ३९ टेंकरों की हमको यह सारा तेल हिन्दुस्तान में लाने के लिए आवश्यकता होगी।

इसका दूसरा एसपैक्ट यह है कि हमने यह पालिसी बनायी है कि टेंकर को पबलिक सैक्टर में रखा जाए। लेकिन हमारे पास आज भी एक भी ओवरसी जाने लायक टेंकर नहीं है। हमारे पास एक भी टेंकर नहीं है जो इस १४ मिलियन टन तेल में से एक बूंद भी हिन्दुस्तान को ला सके।

अभी हमारे दोस्त ने कहा कि ५० करोड़ रुपये का तेल हिन्दुस्तान में आता है, अगर आप रफली जोड़ें तो इतना तेल लाने में करीब १५ करोड़ रुपया फ्रेट का लग जाएगा। लेकिन इस १५ करोड़ में से हिन्दुस्तान को कुछ नहीं मिलता। आप देखें कि हिन्दुस्तान में जो रिफाइनरीज हैं वे या तो अमरीका की हैं या इगलिशमैन की हैं और यह रिफाइनरीज खुद टेंकर्स को चार्टर करती हैं। इस प्रकार फायदा होता है अमरीका का और फायदा होता है इंगलैंड का। हम हिन्दुस्तान के पैसे से इंगलैंड और अमरीका को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका एक प्रतिशत फायदा भी हमको नहीं मिलता। इसलिए हमारा कहना है कि जब आपने टेंकर को पबलिक सैक्टर में रखा है तो इस ड्रेनेज को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हमको कारगो की खोज करने की जरूरत नहीं है, हमको तो बाहर से लाकर हिन्दुस्तान में तेल डालना है। हमारे पास कारगो मौजूद हैं, हमको दुनिया में मारकेट नहीं खोजना है, लेकिन फिर भी एक पैसा भी हमको फ्रेट में नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि हिन्दुस्तान के पास कम से कम ३९ टेंकर हों, जिनके द्वारा हम बाहर से क्रूड आइल हिन्दुस्तान में ला सकें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो हम गेहूं अमरीका से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको अमरीका टेंकर्स में भेजेगा। इस समय दोनों ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहिबान यहां मौजूद हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि चार बरस के वास्ते गेहूं का कारगो हमारे पास है। आप सैकिंड हैंड टेंकर खरीद लीजिए। चार बरस तक उनसे गेहूं लाइए और चार बरस बाद आप उनका प्रयोग आइल इम्पोर्ट करने में कर सकते हैं। इस प्रकार आप हिन्दुस्तान के फारिन एक्सचेंज की रक्षा कर सकेंगे। और भारत की गरीब जनता

का जो रुपया सैन्ट-पर-सैंट फारन एक्सचेंज के रूप में, फेट के रूप में विदेशी कम्पनियों को दिया जा रहा है, उस का ड्रेनेज बन्द होना चाहिए ।

मुझ से जो क्वेस्चन पूछा गया है, उस का जवाब यह है कि एक सैकंड हैंड टैंकर की कीमत बीस लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी ?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : अभी कुछ दिन पूर्व सभा में रूस द्वारा अशोधित तेल दिये जाने के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गये थे। उस सम्बन्ध में विषय को टालने वाले उत्तर दिये गये । इस अवसर में अधिक न कह कर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्रश्नों के सीधे और ठोस उत्तर देवें । प्रश्न केवल यह नहीं है कि रूस हमें सस्ती कीमत पर अशोधित तेल देने को तैयार है, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि यूरोपीय महाद्वीप का एक अन्य समवाय भी हमें इससे सस्ती कीमत पर तेल देने को तैयार हो गया था शर्त यह थी कि उन्हें हमारे देश में खुली प्रतियोगिता करने की छूट दी जाय। जहां तक रूस के इस प्रस्ताव का प्रश्न है संभव है उसमें कुछ राजनैतिक उद्देश्य हो तथापि यह बात स्वीकार करनी होगी कि ये तेल समवाय हमसे काफी अधिक लाभ कमा रहे हैं । रूस के इस प्रस्ताव का लाभ मंत्री महोदय अपने ढंग से इस प्रकार उठा रहे हैं कि इन समवायों पर कीमत कम करने के लिये दबाव डाल रहे हैं ।

हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि रूस जिस कीमत पर हमें तेल दे रहा था वह कीमतें उन कीमतों से भी कम थीं, जिस कीमत में वह पूर्वी यूरोप के देशों को देता है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह कीमत क्या थी ?

हमें तेल की खोज के कार्यक्रम को अधिक महत्व देना चाहिये । भारत में तेल की खपत इस समय ६२.८ करोड़ टन है। यह खपत तीसरी योजना में बढ़ कर १० करोड़ टन हो जाएगी । हम केवल नहरकटिया में वाणिज्यिक आधार पर तीसरी परियोजना के अंत तक २७.५ करोड़ टन का उत्पादन करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार हममें सात बहुमूल्य वर्ष विना कुछ किये ही व्यय कर दिये । यदि सरकार चाहती है कि जनता सरकारी क्षेत्र का समर्थन करे तो उसे कुछ ठोस काम कर के दिखलाना चाहिये ।

जैसलमेर योजना के बारे में भी मुझे यही शिकायत है । वहां पिछले तीन वर्ष से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, यद्यपि वहां तेल की खोज की बहुत संभावनायें हैं। तथापि इस कार्य को किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा है । स्टेनवाक समवाय ने वहां से तेल निकालने का प्रस्ताव इसीलिये रखा होगा जब कि उन्हें वहां से तेल निकलने की पूरी आशा होगी । इसी कम्पनी के कुछ उपकरण पश्चिमी बंगाल में बेकार पड़े हैं, सरकार को चाहिये कि वह उनका उपयोग करे ।

अब मैं एक अन्य विषय को लेता हूं । योजना में कहा गया है कि डीजल के उपयोग को कम करने के संबंध में कुछ वित्तीय और धन संबंधी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है । इस संबंध में मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन की ओर दिलाना चाहता हूं । जिस में उन्होंने डीजल के उपयोग को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और इस संबंध में अपने विचार सभा में प्रस्तुत करेंगे ।

जसलमेर के बारे में मैं माननीय मंत्री को यह भी बता देना चाहता हूं कि वहां तेल की खोज से राजस्थान को सस्ती शक्ति उपलब्ध हो जायेगी । राजस्थान में विद्युत् तथा कोयले

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

की संभावनायें बहुत कम हैं, लेकिन तेल की गैस इस क्षेत्र से उपलब्ध हो सकती है, इसका यह प्रभाव होगा कि राजस्थान नहर का क्षेत्र बहुत विकसित हो जायगा और वहां कई बस्तियां बस सकेंगी ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देंगे ।

†श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : इस में संदेह नहीं है कि एक समय हम अंग्रेजी राज्य के गुलाम थे । आज हम उस महान तेल साम्राज्य के खिलौने हैं जो कि अमेरिका के टैक्सास राज्य से टोकियो तक फैला हुआ है ?

हमें इस बात पर प्रधान मंत्री को बधाई देनी चाहिये कि उनकी प्रेरणा से हम अपनी योजना में तेल के संबंध में एक स्थिर नीति बना सके हैं।

वस्तुतः तेल के सम्बन्ध में हमारी स्थिति बहुत दुविधापूर्ण है । हमने तेल समवायों से १९५२ में २५ वर्ष के लिए समझौता किया हुआ है । मेरे विचार से यदि तेल समवाय अपनी वर्तमान नीति को नहीं बदलेंगे तो कोई भी सरकार आगामी २५ वर्ष तक इस समझौते को मान्य नहीं करेगी। वस्तुतः हम सभी इन तेल समवायों के शिकार हैं और सभी इस सम्बन्ध में कुछ रियायतें चाहते हैं। केवल श्री जयपाल सिंह ने अपनी विरोधी राय प्रकट की है । उन्होंने रूस के सम्बन्ध में कई बातें कही हैं तथापि जब पाकिस्तान जैसा देश रूस से अपनी तेल समस्या के हल करने में सहायता ले सकता है तो क्या भारत उस से सहायता नहीं ले सकता है ? रूस के इस प्रस्ताव से विश्व के अविकसित देशों को काफी लाभ हुआ है और उस के प्रस्ताव के कारण ही भारत में भी कम्पनियों ने तेल के दामों में रियायत की है ।

हम भारत में तेल कम्पनियों का राष्ट्रीय करण करने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हम कई देशों से विदेशी मुद्रा संबंधी सहायता ले चुके हैं । तथापि यदि हम अगले दस वर्ष तक ऐसा करने में समर्थ नहीं होंगे तो हम एक दुर्बल राष्ट्र समझे जायेंगे। क्यूबा जैसे छोटे से राष्ट्र ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अमेरिका का जूआ उतार फेंका तथापि हमारी बिल्कुल दूसरी स्थिति है, इन सब बातों को देखते हुए प्रधान मंत्री द्वारा बताई गई तेल की नीति बहुत उत्तम है ।

इस संबंध में मैं रूमानिया का उदाहरण देना चाहता हूं । १९४८ में ब्रिटिश व अमेरिकन कम्पनियों ने रूमानिया का बहिष्कार कर दिया था । उस समय रूमानिया के तेल का उत्पादन २० लाख टन था। आज रूस के सहयोग से उसका तेल उत्पादन बढ़ कर १ करोड़ टन हो गया है । मिश्र भी अपना तेल उत्पादन बिना अमेरिका व ब्रिटिश कम्पनियों के सहयोग से कर रहा है । अतः जब मिश्र और रूमानिया जैसे छोटे राष्ट्र ऐसा कर सकते हैं तो क्या कारण है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है ? माननीय मंत्री को चाहिये कि भविष्य में देश में होने वाली तेल की खोज से गैर-सरकारी कम्पनियों को बिल्कुल अलग रखा जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय भारतीय नवयुवकों में यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि वे विदेशी फर्मों की नौकरियां अधिक पसन्द करते हैं । यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और तेल क्षेत्र की नौकरियों के वेतन तथा शर्तें काफी आकर्षक रखनी चाहियें जिस से कि उन्हें देश की सर्वोच्च प्रतिभा का सहयोग प्राप्त हो सके ।

इस समय स्थिति यह है कि विदेशी तैल कम्पनियां सरकार को इस क्षेत्र में प्रविष्ट होने से रोकने का प्रयत्न कर रही हैं, उनका तर्क यह है कि क्षेत्र खतरे से भरा हुआ है और इस में बहुत भारी रकम लगानी पड़ती है । सरकार को इन बातों की चिन्ता न करते हुए तैल क्षेत्र का विकास करना चाहिये और हमारे नवयुवकों को इस में प्रशिक्षण देना चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या विदेशी तेल कम्पनियों के प्रत्येक विभाग में भारतीय पर्याप्त संख्या में हैं, कई गोपनीय और महत्वपूर्ण विभाग अब भी भारतीयों के लिये वर्जित हैं। इन विभागों में भारतीयों को शामिल किया जाय जिस से कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय , तेल व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में काम कर सकें ।

श्री के० दे० मालवीय : मुझे जो थोड़ा सा समय मिला है उस में मेरे लिये भारत सरकार की तेल नीति पर व्यापक रूप से प्रकाश डालना संभव नहीं होगा । यह अवसर हमें रूस से आयात किये जाने वाले अशोधित तेल के सम्बन्ध में चर्चा करने को प्राप्त हुआ है, तथापि संकल्प के प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि हम इस मौके पर तेल नीति के कुछ पहलुओं पर चर्चा करें ।

मैं ने इस सम्बन्ध में ८ अगस्त को लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया था । रूस से अशोधित तेल के आयात के सम्बन्ध में मैं ने यह बताया था कि वर्तमान शोधन शालाओं ने रूस का अशोधित तेल इस आधार पर साफ करना अस्वीकार कर दिया है कि वे अपने संभरणकर्ताओं को पहिले ही वचन दे चुके हैं । मैं ने सभा को यह बताया था कि वर्तमान समझौते के अधीन जिन के द्वारा शोधन-शालाओं को अपने संभरण का स्रोत स्वयं निश्चित करने का अधिकार है, सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती है । तेल कम्पनियों ने एक ओर रूस का अशोधित तेल लेने से इन्कार कर दिया है और दूसरी ओर अपने अशोधित तेल के दाम कम कर दिये हैं । अशोधित तेल की कीमतों के कम करने के प्रभाव की जांच की गई और इसी बीच फारस की खाड़ी के तेल की पोस्टेड (घोषित) कीमत को ध्यान में रखते हुए सभी तेल समुदायों ने हमें यह बताया कि उन्हों ने अशोधित तेल की कीमतें कम करने सम्बन्धी जो रियायत की थी उसे उन्हों ने अस्थायी रूप से वापस ले लिया है । पांच सात दिनों के भीतर ही उन्हों ने इस सारे मामले पर पुनर्विचार किया और उन्हों ने फारस की खाड़ी में कीमतों की कमी को ध्यान में रखते हुए अशोधित तेल की कीमतों में अन्तिम रूप से कमी की । मूलत: पहिले ७।। प्रतिशत की रियायत की गई, तदन्तर जब तक एक तेल कम्पनी ने १२।। प्रतिशत की रियायत की तो सभी कम्पनियों ने उस का अनुकरण किया इस प्रकार घोषित कीमतें गिरने के पूर्व यह रियायत १२।। प्रतिशत थी । तत्पश्चात् पोस्टेड (घोषित) कीमतों के गिरने के पश्चात् कम्पनियों ने अपने रियायत का प्रतिशत १२।। प्रतिशत से घटा कर ७।। प्रतिशत कर दिया । उन का यह कहना था कि ५ प्रतिशत कीमतें पोस्टेड कीमतों में ही कम हो गईं । इसलिये अशोधित तेल की कीमतों में कुल कमी लगभग उतनी ही हो गई, जोकि पोस्टेड कीमतों के गिरने के पूर्व की गई थी ।

इस सब का यह प्रभाव होगा कि ५।। से ६ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी । भारत सरकार द्वारा तेल कम्पनियों को अशोधित तेल की खरीद के लिये जो रुपया दिया जायेगा उस में भी पांच या छह प्रतिशत विदेशी मुद्रा कम लगेगी ।

[श्री के० दे० मालवीय]

रूस से मिलने वाले तेल के सम्बन्ध में मैं ने विस्तार से बताना इसलिये आवश्यक नहीं समझा था कि भारत सरकार ने रूस से अशोधित तेल खरीदने में अपनी असमर्थता प्रगट की । मैं ने यह भी स्पष्ट कर दिया था रूस से अशोधित तेल के आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसे साफ करने के लिये कोई शोधनशाला नहीं है । सभा को ज्ञात है कि तेल की खोज करने वालों का विशाल संगठन है, उन के पास उस के शोधन और वितरण की अपनी व्यवस्था है । ये संगठन एकीकृत संगठन होते हैं और बम्बई की शोधनशाला एक संबद्ध शोधनशाला है । अर्थात् बर्मा शेल देश के किसी भाग में तेल की खोज करेगी उसे अपनी ही इस शोधनशाला को साफ करने के लिये बेचेगी । समझौते के अनुसार शोधनशालाओं द्वारा तेल की खरीद की कीमत बर्मा शेल द्वारा फारस की खाड़ी में घोषित कीमत के समान होगी । निसन्देह पिछले १८ महीनों से वही कीमत जारी है जोकि फारस की खाड़ी में भारत की शोधनशालाओं के लिये घोषित की गई थी ।

कीमतों में सब से पहली कमी फरवरी १९५९ में हुई । तब से अशोधित तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई । जब रूसी समुदाय ने बम्बई बन्दरगाह में तेल देना मंजूर किया तब तेल समवायों ने रियायत की घोषणा की । यह भी सच है कि यही तेल की खोज करने वाले और उत्पादक समवाय, यूरोप की ऐसी सभी शोधनशालाओं को जो सम्बद्ध नहीं हैं, यथा स्कैंडिनेवियन देश, डैनमार्क, फ्रांस और इटली इत्यादि में, घोषित मूल्य पर रियायत दे रहे हैं । हमारे देश की सम्बद्ध शोधनशालाओं को इस रियायत का लाभ नहीं मिला है ।

इस प्रश्न को भारी पूंजी विनियोग की पृष्ठभूमि में देखना होगा । मैं शर्तों के सम्बन्ध में बहुत संक्षेप में और निरपेक्ष भाव से कह रहा हूं । घोषित कीमतों से शोधनशालाओं की कीमतों के नियंत्रण को इस परिपृष्ठ में देखना होगा कि १९५२-५३ में बर्मा शैल और स्टेनवाक ने हमारी विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से यह शोधनशाला खोलना स्वीकृत किया । सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर उस समय उक्त समझौते की शर्तें मानने को तैयार हुई ।

अशोधित तेल की कीमतों के गिरने के परिणामस्वरूप तेल उत्पादों की कीमतें भी गिरी हैं । मैं इस बात पर विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि घोषित कीमतों में कमी होने के बाद जो ७॥ प्रतिशत की कमी की गई है, उस के लिये तेल की खोज करने वालों, उत्पादकों, शोधकों और वितरकों के लाभ का हिसाब लगाने में अन्तर्ग्रस्त कई मामलों के सम्बन्ध में विचार किया गया होगा ।

निसन्देह तेल की कीमतों में जो कमी हुई है, मैं उस से सहमत नहीं हूं । मैं आशा करता हूं कि तेल कम्पनियां वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करेंगी । मैं सभा को १९५१ की स्थिति बताना चाहता हूं । उस समय पहिली बार अन्तर्राष्ट्रीय रूप से तेल के आंकड़े संग्रहीत किये गये और संसार को ज्ञात हुआ कि अशोधित तेल का कुल उत्पादन ३४ करोड़ टन है । उस समय पहिले पहल यह ज्ञात हुआ कि विश्व में उस की खपत से अधिक तेल का उत्पादन होता है । तब से तेल समवायों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता पैदा हो गई । १९५९ में उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है । वर्तमान उत्पादन ७८ करोड़ टन है अर्थात् यह खपत से बहुत अधिक है । यह अवस्था अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी । अतः इस की संभावना है कि ग्राहकों को अपने मन पसन्द कीमत पर तेल मिलने लगे । अतः प्रत्येक ग्राहक को प्रतियोगी दर से तेल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये । हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम उन कम्पनियों से जिन से हम शर्तों के द्वारा बंधे हुए हैं सस्ता तेल प्राप्त करने का प्रयत्न करें । मैं आशा करता हूं कि तेल समवाय इस मामले में कोई तरीका निकालेंगे, जिस से कि वे शोधनशालाओं को इस मामले में सहमत कर सकें । उन्हें

इस पूरे विषय पर पुनर्विचार करना चाहिये । मैं बहुत पहले से ही यह बात कह रहा हूं, और मैं सभा में भी इस बात को दुहराना चाहता हूं, कि तेल क्षेत्र में एकाधिकार करने वाले समवायों को यह समझ लेना चाहिये कि उन के लिये यह अवसर आ गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन करें । जब तक वे विश्व की बदलती हुई परिस्थितियों और नवजागृत देशों की आवश्यकताओं पर, जहां की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, ध्यान नहीं देंगे और तेल को एक अन्तर्राष्ट्रीय साधन के रूप में, जिस से कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है, स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें समझ लेना चाहिये कि तेल उद्योग के बुरे दिन आ पहुंचे हैं ।

अब मैं उन पहलुओं को लेता हूं जिन का देश की परिवर्तित स्थिति से सीधा सम्बन्ध है । विरोधी सदस्यों के भाषण से यह ज्ञात होता है कि वे सोचते हैं कि भारत सरकार की कोई निश्चित तेल नीति नहीं है । मैं इस का विरोध करता हूं । १९५६ में यह स्पष्ट घोषित कर दिया गया है कि तेल अनुसूची (क) के अधीन है । इस उद्योग का आरम्भ, प्रवर्तन और नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जायेगा । तब से किसी भी समवाय को ऐसे अधिकार नहीं दिये गये जिन्हें लोक हित के विरुद्ध कहा जा सके ।

हाल ही में हमने सारे विश्व की तेल कम्पनियों को तेल की खोज में हमारी सहायता करने का निमंत्रण दिया है, उनसे सहायता इसी शर्त पर ली जायेगी कि वे हमारे औद्योगिक नीति संबन्धी संकल्प से सामान्यतः सहमत हों । जैसा कि सभा को पता है हमारे पास कुछ प्रस्ताव आये हैं और काफी पेचीदा बातचीत चल रही है । कुछ बातें हमने लिखी हैं और उनका जवाब उन्होंने दिया है जिससे समझौता होने में विलम्ब होता है ।

जब मध्य-पूर्व में तेल के मूल्य गिर गये हैं तो उससे अब यह कहा जाने लगा है कि जो देश वहां पर तेल का उत्पादन कर रहे हैं वे सब कम रॉयल्टी प्राप्त करने लगें जिससे दूसरी बात यह होगी कि तेल समवायों की रॉयल्टी भी कम हो जायगी । हो सकता है तेल के सस्ता होने के फलस्वरूप ईरान, ईराक, सऊदी अरब जैसे देशों को कम रॉयल्टी मिलने लगे । इस मामले पर वे ही कम्पनियों से समझौता करेंगे उनके यहां भी विशेषज्ञ हैं और उनके सम्बन्ध भी कम्पनियों से अच्छे हैं । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमें तो यही अनुभव हुआ है कि कम्पनियों के साथ इस प्रकार का समझौता किया जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हमें किसी प्रकार की हानि न हो । यदि हम रॉयल्टी पर ही निर्भर करें तो तेल के उत्पादन के कम होने से हमारी आय भी कम हो जायेगी । इस लिए लाभ की मात्रा को निश्चित करना हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है । बहुत से पत्र पत्रिकाओं में यह चीज छपी है कि रूस ने भारत को कच्चा तेल देने की जो बात की है उससे मध्य-पूर्व के देशों को आघात पहुंचेगा । ऐसी बात नहीं । उन देशों को चाहिए कि वे तेल की खोज करने वाली कम्पनियों के साथ बातचीत करके अपने लाभ की मात्रा को बढ़ायें ताकि उनकी आय कम न हो । किन्तु इससे हमें कुछ शिक्षा मिली है कि यदि आधे आधे लाभ के आधार पर भी समझौता हो तब भी बहुत कुछ सोच समझकर काम करने की जरूरत होगी । अतः यह जो ५० : ५० प्रतिशत वाले समझौते की बात हो रही है इसमें भी दूसरी तरफ से अधिक झुकाव हमें प्रतीत नहीं हो रहा है : मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें यद्यपि विदेशी टेक्निशियनों की सहायता की जरूरत है तदपि हमें देश का हित सर्वोपरि रखना है ।

जहां तक तेल साफ करने वाले कारखानों का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक ऐसे कारखाने होने चाहिएं । हमारी राष्ट्रीय तेल शोधनशालाएं ही हमारी अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करेंगी । इस सरकार की यही नीति है ।

[श्री के० दे० मालवीय]

जहां तक तेल की खोज का प्रश्न है, उसके बारे में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं परन्तु मैं सभा को ठीक स्थिति बताने के लिए तैयार हूं। यदि आगामी ६ या ७ वर्ष में हमारे देश में नवीन तेल की खोज न भी हो तो भी हमें ६००या ७०० करोड़ रुपये का कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा। उस तेल को यहां पर साफ करना होगा। हमारे मंत्रालय के लिए अब तक ११५ करोड़ रुपया की व्यवस्था की गयी है। उसमें से ६० करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में होगा। किन्तु उपर हमें ७०० करोड़ रुपया आयात पर व्यय करना होगा। सात या आठ मास में हम ५५ करोड़ रुपया व्यय कर डालेंगे। इतना व्यय हरेक मास में हुआ करेगा। हमारा मंत्रालय इतना रुपया ८० से १०० लाख टन कच्चा तेल निकालने के लिए व्यय करेगा। यह आंकड़े व्यर्थ ही नहीं है अपितु यह कहना कि हमें अपना काम विदेशी कम्पनियों को सौंप देना चाहिए, उचित नहीं है।

नीचे दिये गये उद्धरण से आपको ज्ञात हो जायगा कि तुर्की में क्या कुछ हो रहा है :—

"हाल ही में तुर्की सरकार के नियंत्रण पर ओ० ई० ई० सी० के विशेषज्ञ श्री जे० बीर ने वहां जो खोज की है उसकी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि १९५९ तक लगभग २० संस्थापनों को २२२ रियायतें थीं तथा २० अन्तर्राष्ट्रीय तेल खोज करने वालों को भी इतनी ही रियायतें थीं।"

अतः कुल २४३ रियायतों में से २१ रियायतें तुर्की सरकार के पास थीं। इसमें आगे चलकर बताया गया है कि विद्यमान तैल क्षेत्रों में ४५ कूपों से तेल निकाला गया। इसमें लिखा है :—

"१९५९–६० में सारी कम्पनियों ने वहां पर ६८५ लाख डालर का खर्चा किया जिसमें से १० प्रतिशत टर्किश पेट्रोलियम का व्यय है। हैलीकाप्टर आदि के संचालन, भोगोलिक सर्वेक्षण तथा अन्य सभी कामों के लिए कम्पनियां भी खूब धन लगा रही हैं। अभी तो तत्संबंधी कानून बनाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है किन्तु पेट्रोल डायरेक्टरी में, जो सरकार की ओर से सारा काम देखती है, तुर्क कर्मचारी ही हैं जो काम के लिए सक्षम हैं।"

खैर उन्हें ६९० लाख डालर का व्यय करना पड़ा। फिर भी उन्हें केवल दो तेल क्षेत्र ही मिल सके हैं। अभी तक एशात से २०० किलोमीटर दूर काहरा में ही तेल ढूंढा गया है। मैं यह बता रहा हूं कि यदि हम अपने सारे क्षेत्र भी कम्पनियों को सौंप दें तो भी यह निश्चित नहीं कि सात वर्ष में तेल निकल ही आए। उसके बाद भी हमें सात सौ करोड़ रुपये की राशि व्यय करनी होगी अन्यथा हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रहेगा।

हमने अभी तक केवल २० करोड़ रुपये का व्यय किया है जिसमें से १२ करोड़ रुपये की रकम पूंजीगत वस्तुओं पर लगायी है तथा ८ करोड़ रुपये काम पर लगाए हैं। शायद यह व्यय १० करोड़ रुपये तक का हो। एक तेल का क्षेत्र हमें खम्बायत में और दूसरा अंकलेश्वर में मिला है। इस तरह से एक केन्द्र मिल गया है तथा दूसरे कुएं धीरे धीरे मिलते जायेंगे।

यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तेल की प्राप्ति के चार पांच वर्ष बाद ही तेल का उत्पादन संभव हो सकता है। कहीं पर भी इससे कम समय नहीं लगता। अभी बहुत सा काम करना शेष है।

पहला तेल कूप भारत में सितम्बर, १९५८ में मिला था। खम्बायत में दूसरे कुएं से भी उसी तारीख को तेल निकला था। इस समय १९६० है। हमें आशा है कि अगले वर्ष के मध्य तक

हम खम्बायत से कच्चे तेल का उत्पादन करने लगेंगे। अंकलेश्वर में अभी तीन चार मास पूर्व ही तेल मिला है। अगले वर्ष तक हम वहां ३० या ४० कूप खोद देंगे।

आसाम के बारे में मेरी आलोचना की गयी है। मैं उस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देता हूं। कहा गया कि यदि हम बातचीत में विलम्ब न करते तो वहां तेल पहले ही मिल जाता और हम काफी विदेशी मुद्रा बचा सकते थे। वस्तुतः यह मामला इतना आसान नहीं है। जब किसी संस्था को रियायत दी जाती है तो वह हर किस्म का प्रबंध करती है। खुदायी का काम शुरू करने से पूर्व उन्हें दो वर्ष का समय लग जाता है।

आसाम में खोज की अनुज्ञप्ति जून १९५४ में दी गयी। आसाम ऑयल कम्पनी उस क्षेत्र में १९३८ से काम कर रही है। युद्ध के समय उन्हें मौरेटोरियम दिया गया। काम रुक गया। फिर काम १९४६ में शुरू हुआ। १९५०-५१ के निकट कुछ तेल वहां मिला और पहली जनवरी, १९५८ तक उन्होंने वहां पर ३५ कूप खोदे। वस्तुतः खोज कूप खोदने का काम बड़ा ही कठिन होता है। अब तक वे ७२ कुएं खोद चुके हैं। अगले वर्ष तक हम सारे कुएं खोद लेंगे। गौहाटी तथा नूनमती के दोनों तेल साफ करने के कारखानों से तब हमें २५ लाख टन तेल प्राप्त होने लगेगा।

काम १९४६ में शुरू हुआ था और खुदाई १९५४ में अतः इस वर्ष के अंत तक वे ७३/७४ कूप खोद चुके हैं। शायद वे हम लोगों से अधिक प्रवीण हैं अतः हमें आशा कि वे आगामी वर्ष तक लक्ष्य की पूर्ति कर देंगे। मैं यह सब इस लिए कह रहा हूं कि सब को यह पता चल जाना चाहिए कि तेल की खोज के कुछ ही महीनों बाद तेल का उत्पादन शुरू नहीं हो जाता। खोज के बाद उत्पादन तक ५ या ६ वर्ष का समय सहज ही लग जाता है। किन्तु हमें आशा है कि हम अपने युवक टेक्निशियनों की सहायता तथा उनके परिश्रम से काफी समय बचा लेंगे। हम ज्यादा बातें तो नहीं बनाते क्योंकि बातें बनाने से कोई लाभ भी नहीं है। हम काम में विश्वास रखते हैं और काम ही करके दिखायेंगे।

खम्बायत के तेल की मात्रा के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अन्त तक हम मध्य श्रेणी के तेल साफ करने के कारखाने की स्थापना की योजना बना लेंगे। मैं उस बात को अब भी दोहराता हूं। इसमें अनेक उलझनें होंगी। मुझे सभा को यह बता कर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस बीच बम्बई के तेल साफ करने के कारखानों ने तेल साफ करने की बात मान ली है। प्रयोगात्मक उत्पादन हम अगले वर्ष के मध्य से करना शुरू करेंगे और उस तेल को बम्बई के कारखाने में पहुंचा देंगे। हमारे समझौते में एक व्यवस्था है कि वे स्वदेशी तेल के परिष्करण का भरसक प्रयास करेंगे। अतः खम्बायत तथा अंकलेश्वर का तेल कुछ दिनों तक बम्बई के कारखानों में साफ किया जायगा। इस बीच हम गुजरात के कारखाने की योजना बना लेंगे। हम तेजी से तेल की खोज का काम काज करते जा रहे हैं। सके अलावा आसाम में भी हम तेल की खोज कर रहे हैं। हिमालय की तलहटी में भी तेल की खोज बराबर की जा रही है। जैसलमेर क्षेत्र में भी हम अभी तक तेल की खोज करते जारहे हैं। हां इतना जरूर है कि कि जैसलमेर में काम की गति तनिक मन्द हो चुकी है। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम काफी तेजी से काम करें। मरुभूमि में जहां न सड़कें हैं और न पानी हमें अन्य स्थानों की अपेक्षा ६/७ गुणा अधिक व्यय करना पड़ता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजना यह थी कि खर्चा कम से कम किया जाय तथा परिणाम अधिक से अधिक निकलें ताकि जनता को ज्ञात हो सके कि हमने भी कुछ सीखा है।

[श्री के० दे० मालवीय]

जहां तक जैसलमेर का सम्बन्ध है हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। कुछ संस्थाओं ने सहयोग देने की बात की है परन्तु हम यह देख रहे हैं कि उनसे ऐसा समझौता हो जाय जो हमारी औद्योगिक नीति के अनुकूल हो। वहां से तेल निकलने की आशा तो हो सकती है किन्तु हम विश्वास से नहीं कह सकते। स्टैण्डर्ड वैक्यूम ऑयल कम्पनी ने पाकिस्तान में गैस की प्राप्ति कर ली है। पता चला है कि वह गैस ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या जाने वैसे ही भौगोलिक स्थिति इधर भी हो और यह भी हो सकता है कि इधर कुछ भी न हो। इसके बावजूद भी हम उस क्षेत्र में तेल या गैस की खोज के लिये बड़ी मेहनत से काम करेंगे, चाहे खुद करें या उन कम्पनियों की सहायता से करें जो हमारी शर्तें मान कर काम करने को राजी हो जायं। मुझे आशा है कि हमें ऐसा प्रबन्ध करने के मामले में ज्यादा देर न लगेगी।

जहां तक तेल के दूसरे पहलुओं का सम्बन्ध है, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम अब तेल की खोज के मामले से आगे बढ़ चुके हैं। हमने एक वितरण कम्पनी की स्थापना की है और हमारा विचार है कि हम खुरदा तेल का वितरण विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं को सौंपें जो कि आयात किये हुए पेट्रोलियम उत्पादों को सस्ते दामों पर वितरित करें। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को सस्ती दरों पर लेने के लिये तुली हुई है। मुझे आशा है कि विभिन्न तेल कम्पनियां जो हमारे साथ दीर्घ काल से सहयोग करती आ रही हैं क्रेताओं के सम्बन्ध में अपनी शर्तों में परिवर्तन करने के बारे में सोचेंगी। क्रेता विपणि अभी चलेगी और भारत को इससे लाभ होना चाहिये।

जहां तक डीजलाइजेशन का सम्बन्ध है मैं उसी राय का नहीं हूं जैसा कि श्री माथुर सोचते हैं। उन्होंने एक विशेषज्ञ की राय का उल्लेख किया है। निस्सन्देह डीजल से काम अच्छी तरह से चलता है। किन्तु यदि हम मोटर-स्प्रिट तैयार करेंगे तो क्या करेंगे? तेल साफ करने के कारखाने में तो निश्चित रूप से बराबर की मोटर स्प्रिट बनेगी। यदि २० टन डीजल बने तो २० टन मोटर स्प्रिट बनेगी। इस तरह से हमें यह समस्या आ जाएगी। हम तेल साफ करने के और कारखाने लगाना चाहते हैं। इस तरह मोटर स्प्रिट ज्यादा बनना शुरू होगा। तब हमें उसके लिये मंडियां ढूंढनी होंगी। जब नूनमती बराउनी तथा खम्बयात के तेल साफ करने के कारखाने चालू हो जायेंगे तब हमारे पास काफी मोटर स्प्रिट होगी। उसका प्रयोग करना होगा और वह तभी हो सकता है जब हम सड़क परिवहन का अधिक विकास करें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: रिपोर्ट में सब बातों पर चर्चा की गयी है; क्या आपने उसे पढ़ा भी है?

†**श्री के० दे० मालवीय**: अतः डीजल तथा मोटर स्प्रिट से चलने वाले परिवहन की साधारण प्रणाली के बारे में ही सोचा जाना है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है। हमें डीजल तथा मिट्टी के तेल की काफी जरूरत है। अब हमें डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है। यदि हम डीजल से ही गाड़ियां चलाने लगें तो हमें ज्यादा डीजल का आयात करना पड़ेगा। उसके लिये हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। अतः जब तक हम इस दिशा में आत्म निर्भर नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते और हमें इस तरह पर काम करना होगा कि हमारी विदेशी मुद्रा पर कम से कम असर उसका पड़े। यदि हमारी दक्षता कुछ कम भी हो जाय तब भी हमें विदेशी मुद्रा की तो बचत ही करनी चाहिये। मोटर स्प्रिट तो दुनिया भर में फालतू है। इसे कोई न खरीदेगा। इसलिये हमें इसके उप-

†मूल अंग्रेजी में

योग का तरीका निकालना होगा। हमारी योजना ही इस ंग की होनी चाहिये कि हमें फालतू उत्पादों के लिये ज्यादा तकलीफ सहन न करनी पड़े।

भाड़े का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य यह है कि यह रुपया दूसरों के पास न जाय। इस मामले पर परिवहन मंत्रालय भी विचार कर रहा है। मुझे पता चला है कि एक मालवाहक जहाज तो शायद खरीद लिया गया है और कुछ और जहाज खरीदे जाने का विचार है। आशा है कि निकट भविष्य में हम समुद्रीय परिवहन पर काफी सीमा तक नियन्त्रण कर सकेंगे।

जहां तक आन्तरिक वितरण का सम्बन्ध है, सरकार तेल को पहुंचाने के लिये पाइप लाइनें बिछाने का विचार कर रही है ताकि रेलवे पर ज्यादा बोझ न पड़े। बम्बई से, दिल्ली, बराउनी तथा कलकत्ता तक नालियों के द्वारा तेल पहुंचाना ज्यादा बचत का तरीका है। पांच ६ वर्ष की अवधि में हम इस दिशा में काफी प्रगति कर दिखायेंगे। पाइप सरकारी क्षेत्र में हैं। राउरकेला से जब ही इस्पात मिलना शुरू होगा हम पाइप बनाना आरम्भ कर देंगे। नूनमती से बराउनी तक पाइप बिछाने का कुछ काम राष्ट्रीय पाइप मिल्स द्वारा सम्पन्न होगा। जैसे जैसे यह काम प्रगति करता जायगा वैसे वैसे हम अन्य स्थानों तक भी नालियां बिछाते रहेंगे।

†**श्री प्र० गं० देव :** मैं सभासदों को इस विषय में रुचि लेने तथा माननीय मंत्री को स्थिति स्पष्ट करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं प्रस्ताव सभा के सामने रखूंगा। संशोधन नियमानुकूल नहीं है। उसका कारण यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा तेल सम्बन्धी सामान्य नीति पर चर्चा नहीं हुई है ; यह सारा मामला तेल के आयात से सम्बद्ध था और इस दृष्टि से सीमित था। अतः तेल सम्बन्धी नीति का सामान्य प्रश्न नहीं उठता। इसलिये तेल सम्बन्धी नीति के बारे में, जिस पर मतभेद सकता है, सभा को वचनबद्ध होना ठीक नहीं है। इस कारण यह संशोधन ठीक नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि :

> "यह सभा सरकार की तेल सम्बन्धी नीति पर, विशेष रूप से विदेशों से अशोधित तेल के आयात करने सम्बन्धी नीति पर, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, २९ अगस्त, १९६०
७ भाद्र, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६२३—४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
८२४	निर्माण कार्यों में मितव्ययिता	२६२३—२५
८२५	जम्मू और काश्मीर में खनन और खनिज पदार्थ निगम	२६२५
८२६	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	२६२६—२९
८२८	राष्ट्रीय खेल संस्था	२६३०—३२
८२९	५०५ सेना वर्कशाप, दिल्ली में वस्तुओं का बनाया जाना	२६३२—३३
८३०	मतदाताओं के लिये पहचान पत्र	२६३३—३५
८३१	भिलाई इस्पात कारखाना	२६३५—३६
८३२	कच्चे लोहे के कारखाने और बिजली की भट्ठियां	२६३६—३८
८३३	जनरल तिमय्या की जीवनी	२६३९—४४
८३४	नागार्जुनसागर परियोजना	२६४४—४५
८३५	शारीरिक शिक्षा समिति का प्रतिवेदन	२६४५—४७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४	पंजाब नैशनल बैंक	२६४७—५०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२६५०—९६
तारांकित प्रश्न संख्या		
८२७	बम्बई और मद्रास में कच्चे लोहे के कारखाने	२६५०
८३६	वैमानिक अनुसन्धान संस्था	२६५०—५१
८३७	गौहाटी और बरौनी के तेल शोधक कारखाने	२६५१
८३८	प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिक कर्मचारी	२६५१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३९	भारतीय छात्रों के लिए विदेशी पुस्तकें . .	२६५१–५२
८४०	हिन्द महासागर का अध्ययन	२६५२
८४१	भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार	२६५२
८४२	बिहार कोयला खानों में उत्पादन .	२६५२–५३
८४३	मनीपुर में अभियोगाधीन कैदी की मृत्यु . .	२६५३
८४४	संघ लोक सेवा आयोग की मौखिक परीक्षा . .	२६५३
८४५	राष्ट्रीय संस्थाओं को सहायता . .	२६५४
८४६	राज्य सरकारों को ऋण . . .	२६५४
८४७	सरकारी विभागों में वैज्ञानिक .	२६५४–५५
८४८	कोयम्बटूर जिला .	२६५५
८४९	सस्ते रेडियो सेट	२६५५–५६
८५०	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान .	२६५६
८५१	राज्यों में कोयले की कमी	२६५६–५७
८५२	गोपेश्वर मन्दिर	२६५७
८५३	प्रतिरक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का रक्षण	२६५७
८५४	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	२६५७–५८
८५५	पनडुब्बी विध्वंसक विमान . .	२६५८
८५६	मोटर गाड़ियों की खरीद के लिये पेशगी . .	२६५८
८५७	भारत में पश्चिम जर्मन पूंजी का विनियोजन .	२६५९
८५८	अतिरिक्त उत्पादन शुल्क . .	२६५९
८५९	लोहे और इस्पात का कोटा . . .	२६६०
८६०	लोहा और इस्पात के स्टाक रखने वाले व्यापारी .	२६६०–६१
८६१	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये सलाहकार	२६६१
८६२	कलकत्ते में जाली सिक्के बनाने के केन्द्र .	२६६१
८६३	संगीत नाटक अकादमी	२६६२
८६४	सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में उत्पादन	२६६२
८६५	तस्कर व्यापार	२६६२–६३
८६६	लन्दन में जीवन बीमा निगम का व्यापार . .	२६६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

८६७ टैगोर जन्म शताब्दी समारोह २६६३–६४
८६८ दिल्ली में राज्यों के सम्पर्क पदाधिकारी . २६६४
८६९ रेणुका राय समिति २६६४
८७० रद्दी लोहे तथा इस्पात का निर्यात . . . २६६४–६५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६३१ मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) में प्राचीन अवशेषों का सर्वेक्षण २६६५
१६३२ बम्बई में स्मारक २६६५
१६३३ राजनीतिक पीड़ित २६६५
१६३४ बम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित मामले . . . २६६५–६६
१६३५ वैस्टमिन्स्टर बैंक लन्दन में हैदराबाद का धन . . २६६६
१६३६ राजस्थान में तांबे के निक्षेप . २६६६
१६३७ उड़ीसा में सोने की खानें . . २६६६
१६३८ चाय और पटसन से आय २६६७
१६३९ बिहार के पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . . . २६६७–६८
१६४० उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान . . . २६६८
१६४१ उत्तर प्रदेश में आयकर की बकाया राशियां . . २६६८
१६४२ हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये पानी सम्बन्धी सुविधायें . . २६६८
१६४३ राजस्थान में तांबे के निक्षेप २६६९
१६४४ मद्रास के व्यापारी द्वारा पाकिस्तान ले जाया गया धन . २६६९
१६४५ पैट्रोलियम उत्पादन . . . . २६६९—७०
१६४६ सहकारी उद्योग अनुसन्धान सन्थायें . . २६७०
१६४७ जिप्सम से गन्धक का निर्माण . . २६७०
१६४८ हरिजन कल्याण . . . २६७१
१६४९ खाद्य तथा असैनिक संभरण निदेशालय, दिल्ली २६७१
१६५० रेलवे बुकिंग एजेन्सी, दिल्ली में हत्या २६७१–७२
१६५१ विशिष्ट सहायता अधिनियम २६७२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१६५२	गाड़ी से धन की चोरी	२६७२
१६५३	राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन	२६७२
१६५४	अन्तरिक्ष अनुसन्धान समिति	२६७३
१६५५	रुपया निधि का उपयोग	२६७३
१६५६	राष्ट्रीय विज्ञान संस्था	२६७३
१६५७	उड़ीसा में समाज कल्याण कार्य	२६७३–७४
१६५८	उड़ीसा में योग्यता-एवं-साधन छात्रवृत्तियां	२६७४
१६५९	समाचार पत्र और पत्रिकायें	२६७५
१६६०	अन्दमान को बसाना	२६७५
१६६२	हिन्दी असिस्टेंट	२६७५–७६
१६६३	शस्त्र नियम	२६७६
१६६४	आय कर की बकाया	२६७६
१६६५	दिल्ली में हत्यायें	२६७६–७७
१६६६	सेना में शिक्षा का माध्यम	२६७७
१६६७	दिल्ली में नर्सरी स्कूल	२६७७
१६६८	धन-कर	२६७८
१६६९	नागा	२६७८
१६७०	राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आंदोलन	२६७८–७९
१६७१	दिल्ली में हरिजनों को कानूनी सहायता	२६७९
१६७२	अस्पृश्यता निवारण	२६७९
१६७३	दिल्ली में कल्याण केन्द्र	२६७९–८०
१६७४	पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्व	२६८०
१६७५	लुधियाना में भूतपूर्व सैनिक	२६८०
१६७६	प्रतिरक्षा विज्ञान में अनुसन्धान	२६८०–८१
१६७७	अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२६८१–८२
१६७८	बहुप्रयोजनीय स्कूलों का नमूना सर्वेक्षण	२६८२
१६७९	उड़ीसा में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां और पिछड़े वर्ग	२६८३
१६८०	भारतीय एवरेस्ट अभियान दल	२६८३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६८१	त्रिपुरा में चूहों के आतंक से पीड़ित क्षेत्रों में भूख से मौतें .	२६८४
१६८२	अन्दमान द्वीप समूह के लिये मालवाही जहाज .	२६८४
१६८३	उत्तर प्रदेश में राज्य बैंक और रक्षित बैंक की शाखायें	२६८५
१६८४	श्रीमती इन्द्रानी रेहमान और उनकी मंडली .	२६८५–८६
१६८५	भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिवेदन	२६८६
१६८६	सामुद्रिक अनुसन्धान समिति . . .	२६८६–८७
१६८७	अंडमान के पदाधिकारी . . .	२६८७–८८
१६८८	आय-कर आयुक्त, कलकता के कार्यालय में भर्ती .	२६८८
१६८९	दिल्ली में प्लाटों की बिक्री . .	२६८८–८९
१६९०	जीवन बीमा निगम द्वारा बन्धक-ऋण . . .	२६८९
१६९१	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में नौकरियां के स्थान	२६८९
१६९२	गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र-पुस्तिकाएं आदि . .	२६९०
१६९३	स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास . .	२६९०
१६९४	हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी	२६९०–९१
१६९५	दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति .	२६९१–९२
१६९६	करौल बाग, दिल्ली में अस्वास्थ्यकर स्थिति . .	२६९२
१६९७	अपाहिज व्यक्तियों को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाना .	२६९२–९३
१६९८	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के पश्चात् अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२६९३
१६९९	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद . . .	२६९३
१७००	त्रिपुरा के लिये वेतन समिति	२६९३–९४
१७०१	त्रिपुरा में रैयत की बेदखली	२६९४
१७०२	त्रिपुरा में भूमिहीन कृषक	२६९४
१७०३	त्रिपुरा में अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रावास-वृत्तियां	२६९४–९५
१७०५	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	२६९५
१७०६	रद्दी लोहे का निर्यात . . .	२६९५
१७०७	आदिम जातीय क्षेत्रों में काम करने के लिये अधिकारियों का प्रशिक्षण	२६९६

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

(१) "पोलिटिकल रिनेसां इन अफ्रीका" नामक पुस्तिका की एक प्रति ।

(२) ३१ दिसम्बर, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के संचालन के संबंध में "सांख्यकीय जानकारी" नामक पुस्तिका की एक प्रति ।

(३) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के १९५५–५६ से १९५८–५९ तक के वित्त लेखे (भाग १, २, ३ और ४) और तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९६० की एक प्रति ।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें—शेष मामले) नियम, १९६० की एक प्रति ।

(५) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ जलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७८५ ।

(दो) दिनांक १६ जुलाई, १९६० की जी० एस० आर० ७९३ ।

(६) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे की एक प्रति तत्संबंधी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६९८

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और १ अगस्त, १९६० को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) रबड़ (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(२) रूई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २६९८

श्रीमती इला पालचौधरी ने आगरा के निकट बालकेश्वर नामक स्थान पर तेल मिलने के समाचार की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुरस्थापित	२६९९
सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	
वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . .	२६९९—२७३७
वर्ष १९६०–६१ के लिये सामान्य आय व्ययक के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरंभ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।	
विधेयक विचाराधीन	
राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव	२७३७—५३
श्री प्र० गं० देव ने भारत सरकार की तेल संबंधी नीति के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । वाद-विवाद का उत्तर दिये जाने के बाद चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—	
निम्न विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक;	
बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक ;	
भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक और औषधि (संशोधन) विधेयक ।	

GIPD—LSIII—1058 (Ai)LSD—3-10-60—135